GS HINDI MAGAZINE MAY 2017

Topic	Page
Polity	2-7
Programme &Schemes	7-8
Geography, Environment& Ecology	9-21
Science and Technology	21-24
Social issues	24-30
International Relation& International events	31-37
National Issues	38-41
Security issues	42-46
Economy	47-61
Editorials	61-76
Miscellaneous	76-77

GENERAL STUDIES HINDI

Polity

1. अगला बजट जनवरी में!

केंद्र सरकार वित्त वर्ष की मौजूदा अवधि में बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यानी वह वित्त वर्ष जनवरी में शुरू करके दिसंबर में समाप्त करना चाहती है। अभी सरकार का वित्त वर्ष अप्रैल में शुरू होकर मार्च में समाप्त होता है।

इसकी शुरुआत अगले साल आम बजट से होगी जिसे एक महीने पहले जनवरी में पेश किया जा सकता है। यह वित्त वर्ष में बदलाव के लिए जमीन तैयार करेगा।

केंद्र सरकार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर एन आचार्य की अगुआई वाली विशेषज्ञ समिति ने मौजूद वित्त वर्ष में बदलाव का समर्थन नहीं किया था। समिति के सुझावों पर अभी विचार किया जा रहा है लेकिन सरकार बदलाव के पक्ष में है और इस मुद्दे पर विभिन्न लोगों की राय लेनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्रियों से कहा था कि उन्हें वित्त वर्ष चक्र में बदलाव के सुझाव पर गौर करना चाहिए और इसे लागू करने के लिए केंद्र को सुझाव देने चाहिए।

आदर्श स्थिति तभी बनेगी जब राज्य सरकारें भी जनवरी-दिसंबर वित्त वर्ष को अपनाएं। अगर केंद्र जनवरी-दिसंबर वित्त वर्ष को अपनाता है तो राज्यों को भी ऐसा ही करना होगा। सरकार के वित्त वर्ष के बदलाव से लोगों और कंपनियों की कर भुगतान की विभिन्न तिथियों में भी बदलाव करना पड़ेगा।

2. राष्ट्रपति ने बैंकों के फंसे हुए कर्ज (एनपीए) की समस्या से निपटने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

GENERAL STUDIES HINDI

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फंसे हुए कर्ज (एनपीए) की समस्या से निपटने के लिए लाए गए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.
- इस अध्यादेश के जरिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (1949) में संशोधन किया गया है. इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को पहले से अधिक अधिकार दिए गए हैं.

इस अध्यादेश के मुताबिक :-

- आरबीआई बैंकों को डिफॉल्टरों के खिलाफ 2016 के 'इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड' (किसी को दिवालिया घोषित करने से संबंधित नियम)' के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है.

- इसके अलावा केंद्रीय बैंक को समय-समय पर बैंकों को फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है. इसके लिए आरबीआई एक या अधिक समिति/प्राधिकरणों का गठन कर सकता है.
- देश में बैकों के लिए एनपीए की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले साल 24 सरकारी बैंकों के एनपीए में 56.4 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
- इस दौरान यह आंकड़ा 6.15 लाख करोड़ रुपये हो गया जो 2015 में 3.93 लाख करोड़ रुपये था. वहीं 2016 में बैंकों द्वारा दिए गए कुल कर्ज में एनपीए की हिस्सेदारी 7.16 से बढ़कर 11 फीसदी हो चुकी है.

3. अदालतों पर भी दबाव

मंत्रियों और अफसरों के दबाव में काम करने की खबरें तो देश में आम खबरों की तरह सुनाई पड़ती रहती हैं। लेकिन अब जजों पर दबाव बनाने की खबरें भी आम होने लगी हैं। दबाव भी छोटी अदालतों के जजों पर नहीं बल्कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर भी दबाव डाले जाने की बात सामने आ रही हैं।

Context (सन्दर्भ)

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एक जज ने मुरथल गैंगरेप मामले में उन पर दबाव डाले जाने की बात कही है। मामला अति गंभीर है क्योंकि गैंगरेप से जुड़ा है। हरियाणा सरकार ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है पर बात सिर्फ कार्रवाई की नहीं है।

प्रश्न जिनका जवाब अनिवार्य है

आखिर, वे कौन हैं जो जजों से अपनी मर्जी मुताबिक फैसला लिखवाना चाहते हैं? क्या वे राजनीति से जुड़े हैं या कार्यपालिका से? जजों पर दबाव बनाने वालों पर कार्रवाई के साथ उनके नाम भी सार्वजनिक होने चाहिए। आज के माहौल में सरकारों पर आमजन का भरोसा घटता जा रहा है।

किसी पर भरोसा रह गया है तो वे हैं अदालतें। अदालतों पर से भी भरोसा उठ गया तो इस देश का क्या हाल होगा, सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। यह किसी से छिपा नहीं कि पुलिस-प्रशासन आज पूरी तरह से राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं।

राजनेता अपने इशारे पर प्रशासन को अपने हिसाब से चलाते हैं। नेता-अफसरों के गठजोड़ ने देश की नींव को खोखला कर दिया है। देश ने बीते सालों में जितने घोटाले देखे हैं, सब में राजनेता और अफसरों की मिलीभगत ही सामने आई है।

बोफोर्स, 2जी, कोल आवंटन, आदर्श सोसाइटी और कॉमनवेल्थ खेलों से लेकर तमाम छोटे-बड़े घोटाले मिल-बांटकर खाने की कहानी ही बयां करते नजर आए हैं। इन घोटालों की

तह तक जाकर दोषियों को सजा दिलाने का काम यदि किसी ने ईमानदारी से किया है तो वे अदालतें ही हैं।

Need of hour is ?

ऐसे में हरियाणा से लेकर केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे अदालतों की निष्पक्षता बनाये रखने के हरसंभव उपाय करें। देश में लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब कानून को बिना भेदभाव काम करने की आजादी मिलेगी। सरकारों के साथ राजनीतिक दलों को भी अदालतों की आजादी बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए ताकि संवैधानिक ढांचे पर आंच न आने पाए।

4. तीन तलाक इस्लाम का हिस्सा है या नहीं

मुस्लिमों में प्रचलित तीन तलाक और निकाह हलाला की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट ने कहा कि पहले वह तय करेगा कि यह इस्लाम का मौलिक हिस्सा है या नहीं?

- पांच जजों की संविधान पीठ ने साफ कर दिया कि बहुविवाह पर फिलहाल विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह तीन तलाक से जुड़ा मुद्दा नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम विचार करेंगे कि तीन तलाक इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है कि नहीं? और यदि है, तो क्या इसे मौलिक अधिकार के तहत लागू कराया जा सकता है?' कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि तीन तलाक धर्म का मौलिक हिस्सा है, तो वह उसकी संवैधानिक वैधता के सवाल में नहीं जाएगा।
- याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों में एक बार में तीन तलाक खत्म हो चुका है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां भी खत्म होना चाहिए। यह इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इसलिए इसे धार्मिक आजादी के तहत संरक्षण नहीं मिल सकता

GENERAL STUDIES HINDI

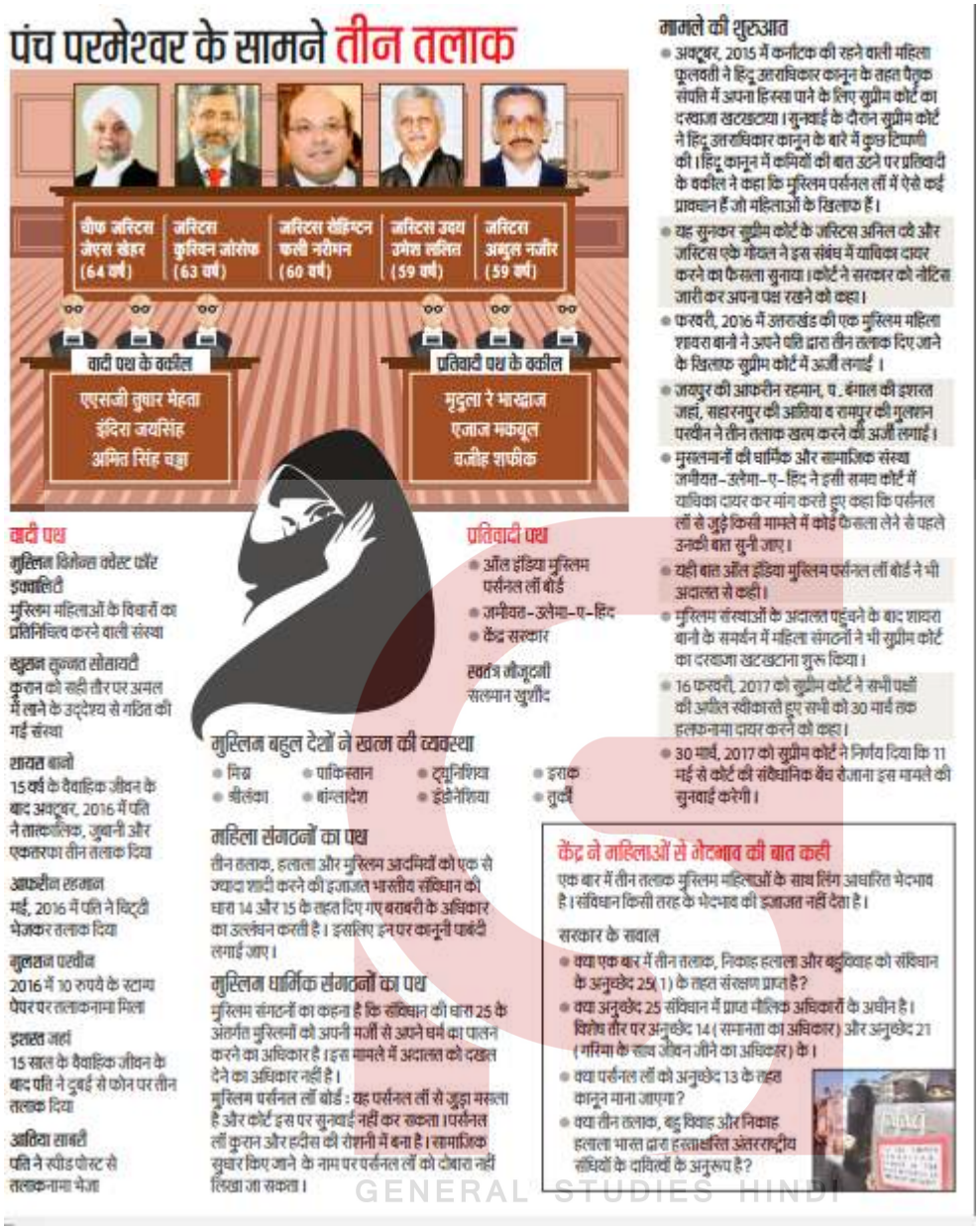

5. साइबर नहीं बुनियादी सुधार की दरकार न्यायपालिका को

खबरों में

देश की सबसे बड़ी अदालत ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुलेगी तो वह कागज रहित हो चुकी होगी। यह घोषणा स्वयं मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहड़ ने हाल ही में की। वह नए सूचना तंत्र का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने वर्ष 2016-17 में ई लिए के मिशन कोर्ट-2,130 करोड़ रुपये मंजूर किए थे लेकिन दिसंबर तक महज 88 करोड़ रुपये खर्च हुए। जाहिर है इस क्षेत्र में खर्च करने के लिए बहुत सारी धनराशि उपलब्ध है।

अधीनस्थ न्यायालयों की स्थिति

- अधीनस्थ न्यायालयों की दिक्कत को तो मीडिया भी सामने लाता रहा है और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में भी वह झलकता है। गत वर्ष प्रधानमंत्री के समक्ष अधीनस्थ न्यायालयों की स्थिति का ब्योरा देते हुए मुख्य न्यायाधीश के आंसू निकल पड़े थे। गत वर्ष अक्टूबर में अधिवक्ताओं ने संसद भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित ऋण वसूली पंचाट में जाना बंद कर दिया था क्योंकि वहां बिजली और पानी की व्यवस्था तक नहीं थी। सरकार उसका किराया नहीं चुका रही थी।
- हाल ही मे बंबई उच्च न्यायालय ने 220 पन्नों का एक फैसला लिखा जिसमें राज्य की विभिन्न अदालतों और पंचाटों की हालत का जिक्र था। उसने इन समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न उपायों की सूची तैयार कराई। मामले की सुनवाई अदालत ने स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की थी। फैसले की शुरुआत में ही यह टिप्पणी की गई थी कि राज्य के कमोबेश सभी न्यायालय और पंचाट मूलभूत बुनियादी ढांचे तक के अभाव में काम कर रहे हैं। इसके बाद उसने कुछ अदालतों, पंचाटों और उपभोक्ता अदालतों से हताश करने वाले ब्योरे पेश किए। अगर महाराष्ट्र की अदालतें इतनी हताश करने वाली स्थिति में हैं, अन्य स्थानों पर उनकी समकक्ष अदालतों की हालत की कल्पना ही की जा सकती है।
- उच्च न्यायालय ने 30 निर्देश जारी किए। इनका संबंध पेय जल, पर्याप्त फर्नीचर और कंप्यूटर, वादियों के लिए कुर्सियां, लिफ्ट की मरम्मत (पुणे में लंबे समय से लिफ्ट खराब थीं) तथा इमारतों के रखरखाव के लिए फंड जारी करने से था। ठाणे और मझगांव में कुछ पुरानी इमारतें वर्षों पहले ही इस्तेमाल की दृष्टि से नाकाम घोषित की जा चुकी थीं जिन्हें खाली करा दिया जाना चाहिए था। अगर वहां कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटी तो यह पूरी तरह किस्मत की बात थी। स्वच्छ भारत अभियान का उल्लेख करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, 'महाराष्ट्र के विभिन्न अदालती परिसरों में शौचालयों और स्नानागारों से बदबू आना आम बात है। इतना ही नहीं अदालत परिसर तथा कक्षों के भीतर भी सही ढंग से साफ-सफाई नहीं की जाती है।'
- सर्वोच्च न्यायालय ने गत वर्ष एक अध्ययन किया था जो उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण के अनुरूप ही निकलता है। उसने यह भी कहा कि भौगोलिक औसत के मुताबिक देखा जाए तो 157 वर्ग किलोमीटर इलाके में एक न्यायाधीश की उपलब्धता है, हालांकि पुलिस अधिकारी हर 61 वर्ग किमी के दायरे में उपलब्ध हैं। मौजूदा अदालती कक्षों का बुनियादी ढांचा ऐसा है कि वहां करीब 15,540 न्यायिक अधिकारी बैठ सकते हैं जबकि अखिल भारतीय मंजूरी 20,558 अधिकारियों की है। रिपोर्ट से यह बात साफ होती है कि कमजोर बुनियादी ढांचा न्यायपालिका को प्रभावित करता है।

क्या वित्तीय सहायता पर्याप्त

GENERAL STUDIES HINDI

वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में भी न्यायपालिका के प्रति पक्षपात बरकरार रहा। कुल बजट का महज 0.2 फीसदी ही इसके लिए जारी किया गया। बजट बनाने वालों ने न्यायिक प्रशासन के लिए 1,744 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जबकि अकेले एयर इंडिया को 1,800 करोड़ रुपये दिए गए थे। न्याय विभाग में ढेर सारे प्रमुख थे मसलन राष्ट्रीय न्याय आपूर्ति एवं विधिक सुधार मिशन, ई-कोर्ट का दूसरा चरण, देश में न्याय तक पहुंच मजबूत करना, इन सबको मिलाकर 432 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह फिल्म बाहुबली के कुल बजट से भी कम राशि थी। जाहिर सी बात है कि केंद्र और राज्य के बजट निर्माता भी अदालती इमारतों में मची गंदगी के लिए जिम्मेदार हैं।

निष्कर्ष

जाहिर सी बात है कि जिन लोगों का पाला निचले स्तर पर काम करने वाली अदालतों से पड़ता है वे सर्वोच्च न्यायालय में डिजिटल युग या फिर कहें कृत्रिम बुद्धिमता की संभावनाओं को लेकर बहुत उत्साहित नहीं हैं। उनके मन में वही पुरानी और निरंतर चली आ रही धारणा बनी रहेगी कि कि अदालतें भले ही सबके लिए खुली हैं लेकिन तकनीकी उन्नति तक वही पहुंच पाएगा जिसकी जेब ज्यादा भारी होगी। जाहिर सी बात है अदालती क्षेत्र में सुधार की शुरुआत ढांचागत और भौतिक स्थिति से होनी चाहिए, न कि साइबर क्षेत्र में।

Programme &Schemes

1. स्वच्छ सर्वेक्षण -2017 : इंदौर और भोपाल सबसे साफ

- पूरे देश में मध्य प्रदेश के इंदौर ने सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा हासिल किया है. इसके बाद भोपाल सबसे साफ-सुथरे शहरों में दूसरे पायदान पर है
- शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण- 2017 में यह बात सामने आई है. यह सर्वे देश के 434 शहरों में करवाया गया था जिसमें, करीब 18 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था| इन शहरों में कुल शहरी आबादी का 60 फीसदी हिस्सा रहता है.

GENERAL STUDIES HINDI

Detail

- सर्वे के मुताबिक देश में सबसे स्वच्छ शहरों में विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश), सूरत (गुजरात) और मैसूर (कर्नाटक) शीर्ष पांच में शामिल हैं.
- इसके अलावा तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), दिल्ली, नवी मुंबई (महाराष्ट्र), तिरुपति (आंध्र प्रदेश) और वड़ोदरा (गुजरात) ने भी सूची में अपनी जगह बनाई है. दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश स्थित गोंडा को सबसे गंदा शहर बताया गया है. इसके बाद महाराष्ट्र का भुसावल है.

- स्वच्छता के मामले में सुधार की स्थिति राज्यवार देखें तो मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में अव्वल है.
- सूबे के 23 शहर शीर्ष 100 में शामिल हैं.
- इसके बाद गुजरात के 21 शहरों ने इसमें अपना स्थान बनाया है.

2. स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित 60 फीसदी शौचालयों पानी की पर्याप्त आपूर्ति के बिना बेकार

- स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाये गये 60 फीसदी शौचालय पानी की पर्याप्त आपूर्ति न होने की वजह से इस्तेमाल के लायक नहीं हैं
- साथ ही गांवों में अभी भी 55.4 फीसदी लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं
- शहरों में ऐसे लोगों की संख्या 7.5 फीसदी है. ये बातें नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) द्वारा किए गए सर्वे में सामने आई हैं.
- इस सर्वे के नतीजे अक्टूबर, 2019 तक देश को खुले में शौच करने से मुक्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर सवालिया निशान लगाते हैं.
- देश में साफ-सफाई संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार तो हुआ है, लेकिन इस दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है. मोदी सरकार के आने के बाद से सब्सिडी की मदद से पूरे देश में करीब 3.5 करोड़ नए शौचालय बने हैं.

3. 'Make in India' की जगह अब 'Buy in India' को तेजी से बढ़ावा देने पर सरकार का जोर

सरकार 'मेक इन इंडिया' की जगह अब 'बाय इन इंडिया' को तेजी से बढ़ावा देते हुए दिख रही है.

GENERAL STUDIES HINDI

- सरकार द्वारा घरेलू खरीद नीति को प्राथमिकता देने के लिए एक व्यापक नीति पर काम किया जा रहा है.
- प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने हाल ही में प्रस्तावित नीति की रूपरेखा पर बैठक की थी. माना जा रहा है कि सरकार इस नीति को जल्द ही ला सकती है.
- 'बाय इन इंडिया' नीति पर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसमें ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें सरकार सबसे बड़ी खरीदार है जैसेकि इंजीनियरिंग, मशीनरी और कागज आदि. बताया जाता है कि नई नीति में 'स्वदेशी' का दायरा ज्यादा व्यापक होगा. हालांकि इस मामले के जानकारों में से कुछ का मानना है कि घरेलू खरीद को तरजीह देने पर हमेशा से ही विवाद होता रहा है. साथ ही इसे विश्व व्यापार संगठन में भी चुनौती दी जा सकती है.
- भारत ऐसे समय में यह कदम उठा रहा है जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में आर्थिक राष्ट्रवाद जोर पकड़ रहा है.

Geography, Environment& Ecology

1. परंपरागत तरीकों से सूखे की समस्या को मात देते लोग

Drought in Country

अभी देश से मानसून बहुत दूर है और भारत का बड़ा हिस्सा सूखे, पानी की कमी व पलायन से जूझ रहा है। बुंदेलखंड के तो सैकड़ों गांव वीरान होने शुरू भी हो गए हैं।

- एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक, देश के लगभग सभी हिस्सों में बड़े जल संचयन स्थलों (जलाशयों) में पिछले साल की तुलना में कम पानी बचा है।
- यह सवाल हमारे देश में लगभग हर तीसरे साल खड़ा हो जाता है कि 'औसत से कम' पानी बरसा, तो तस्वीर क्या होगी? देश के 13 राज्यों के 135 जिलों की कोई दो करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि हर दस साल में चार बार पानी के लिए त्राहि-त्राहि करती है।
- भारत का क्षेत्रफल दुनिया की कुल जमीन या धरातल का 2.45 प्रतिशत है।
- दुनिया के कुल संसाधनों में से चार फीसदी हमारे पास हैं और जनसंख्या में हमारी भागीदारी 17.2 प्रतिशत है।
- हमें हर वर्ष बारिश से कुल 4,000 अरब घन मीटर (बीसीएम) पानी प्राप्त होता है, जबकि उपयोग लायक भूजल 1,869 अरब घन मीटर है। इसमें से महज 1,122 अरब घन मीटर पानी ही काम आता है।

जाहिर है, बारिश का जितना हल्ला होता है, उतना उसका असर पड़ना नहीं चाहिए। कम बारिश में भी उग आने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, कुटकी आदि की खेती और इस्तेमाल सालों-साल कम हुए हैं, वहीं ज्यादा पानी मांगने वाले सोयाबीन व अन्य नगदी फसलों ने खेतों में अपना स्थान मजबूती से बढ़ाया है। इसके चलते देश में बारिश पर निर्भर खेती बढ़ी है।

GENERAL STUDIES HINDI

Monsoon & Indian Economy

- हमारी लगभग तीन-चौथाई खेती बारिश के भरोसे है। जिस साल बादल कम बरसते हैं, आम आदमी के जीवन का पहिया जैसे पटरी से नीचे उतर जाता है।
- और एक बार गाड़ी नीचे उतरी, तो उसे अपनी पुरानी गति पाने में कई-कई साल लग जाते हैं। मौसम विज्ञान के मुताबिक, किसी इलाके की औसत बारिश से यदि 19 फीसदी से कम पानी बरसता है, तो इसे 'अनावृष्टि' कहते हैं। मगर जब बारिश इतनी कम हो कि उसकी माप औसत बारिश से 19 फीसदी से भी नीचे रह जाए, तो इसको 'सूखे' के हालात कहते हैं।

Drought and Problems

- सूखे के कारण जमीन के कड़े होने या बंजर होने, खेती में सिंचाई की कमी, रोजगार घटने व पलायन, मवेशियों के लिए चारे या पानी की कमी जैसे संकट उभरते हैं।
- वैसे भारत में औसतन 110 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो दुनिया के अधिकांश देशों से बहुत ज्यादा है। यह बात दीगर है कि हम हमारे यहां बरसने वाले कुल पानी का महज 15 प्रतिशत ही संचित कर पाते हैं।
- बाकी पानी नालियों, नदियों से होते हुए समुद्र से जाकर मिल जाता है और बेकार हो जाता है।

How people are adapting : Case study

गुजरात के जूनागढ़, भावनगर, अमेरली और राजकोट के 100 गांवों ने पानी की आत्मनिर्भरता का गुर खुद ही सीखा। विछियावाड़ा गांव के लोगों ने डेढ़ लाख रुपये और कुछ दिनों की मेहनत के साथ 12 रोक बांध बनाए और एक ही बारिश में 300 एकड़ जमीन सींचने के लिए पर्याप्त पानी जुटा लिया। इतने में एक नलकूप भी नहीं लगता। ऐसे ही प्रयोग मध्य प्रदेश में झाबुआ व देवास में भी हुए। तलाशने चलें, तो कर्नाटक से लेकर असम तक और बिहार से लेकर बस्तर तक ऐसे हजारों हजार सफल प्रयोग सामने आ जाते हैं, जिनमें स्थानीय स्तर पर लोगों ने सूखे को मात दी।

खेती या बागान की घड़ा प्रणाली हमारी परंपरा का वह पारसमणि है, जो कम बारिश में भी सोना उगा सकती है। इसमें जमीन में गहराई में मिट्टी का घड़ा दबाना होता है। उसके आस-पास कंपोस्ट, नीम की खाद आदि डाल दें, तो बाग में खाद व रासायनिक दवाओं का खर्च बच जाता है। घड़े का मुंह खुला छोड देते हैं व उसमें पानी भर देते हैं। इस तरह एक घड़े के पानी से एक महीने तक पांच पौधों को सहजता से नमी मिलती है। जबकि नहर या ट्यूब वेल से इतने के लिए सौ लीटर से कम पानी नहीं लगेगा। ऐसी ही कई पारंपरिक प्रणालियां हमारे लोक-जीवन में उपलब्ध हैं और वे सभी कम पानी में शानदार जीवन के सूत्र हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

कम पानी के साथ बेहतर समाज का विकास कतई कठिन नहीं है, बस एक तो हर साल, हर महीने इस बात के लिए तैयारी रखनी होगी कि पानी की कमी है। दूसरा, ग्रामीण अंचलों की अल्प वर्षा से जुड़ी परेशानियों के निराकरण के लिए सूखे का इंतजार करने की बजाय इसे नियमित कार्य मानना होगा।

2. आर्कटिक में हो रहे बदलाव के नतीजे

#Editorial_Economic Times

In news:

आर्कटिक (उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित क्षेत्र) की बर्फ तेजी से पिघल रही है. पिछले तीन दशक के दौरान इस इलाके की समुद्री बर्फ में आधे से भी ज्यादा की कमी आ गई है.

- एक हालिया रिपोर्ट का अनुमान है कि इस तरह यह आर्कटिक 2040 तक बर्फविहीन हो जाएगा.
- पहले 2070 तक ऐसा होने की बात कही गई थी.
- भारत सहित सभी देशों को इसके नतीजों यानी बहुत ज्यादा बारिश या सूखे और समुद्र के उठते स्तर जैसी समस्याओं से निपटने के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए. साथ ही, इन देशों को उन प्रतिबद्धताओं के प्रति मजबूती भी दिखानी चाहिए जिसके तहत उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से बढ़ाने की जरूरत है कि उनका कार्बन का उत्सर्जन कम हो.

Effect of this:

- आर्कटिक में पिघलती बर्फ का सूखे, बाढ़ और लू की बढ़ती घटनाओं से सीधा संबंध है. इस इलाके में बढ़ती गरमी समुद्री धाराओं और हवाओं पर असर डालती है जिसके प्रभाव पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ते हैं और इसमें मानसून भी शामिल है.
- इससे न सिर्फ फसलों के पैटर्न और खाद्य उत्पादन पर असर पड़ता है बल्कि पानी की कमी की समस्या और गंभीर होती है
- समुद्री बर्फ के पिघलने की रफ्तार तेज होने का मतलब यह भी है कि समुद्र का स्तर बढ़ेगा और मुंबई जैसे तटीय शहरों के लिए खतरा पैदा होगा. खतरा यह भी है कि बर्फ की तहों में हजारों साल से सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए वायरस और बैक्टीरिया अब फिर सक्रिय होकर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं.

GENERAL STUDIES HINDI

Development at what cost?

आर्कटिक की बर्फ का पिघलना अभी तक वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के लिए ही चिंता का विषय रहा है. अब बाकी समुदायों को भी इससे चिंता होनी चाहिए. विकास जरूरी है लेकिन इसे इस तरह अंजाम देना होगा कि वह कार्बन डाइ ऑक्साइड कम निकले जो इस समय धरती को गर्म कर रही है.

पेरिस में हुए समझौते में जलवायु परिवर्तन पर जो प्रतिबद्धताएं जताई गई हैं वे वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को दो डिग्री से नीचे रखने के लिए नाकाफी हैं. देशों, शहरों और अर्थ जगत, सभी को अपनी कोशिशों का दायरा बढ़ाना होगा. अब पीछे हटने का समय नहीं है. इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की प्रगति धीमी होगी. अब कोशिशें बढ़ाई नहीं गईं तो नुकसान बहुत बड़े हैं और इनकी मार सबसे ज्यादा उन पर पड़नी है जो सबसे ज्यादा गरीब हैं

3. कुदरत के दोहन से खतरे में जीवन

#Editorial_Jansatta

Is Human life on earth in danger?

प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हाकिंग ने कहा है कि 'जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, उल्का पिंडों के टकराव और परमाणविक आतंक को देखते हुए खुद को बचाए रखने के लिए मनुष्य को दूसरी धरती खोज लेनी चाहिए। सौ साल बाद पृथ्वी पर मानव का बचे रहना मुश्किल होगा।' धरती पर जीवन के अंत की शुरुआत हो चुकी है। बदलते मौसम और जलवायु के कारण स्तनधारियों की सतहत्तर प्रजातियां, एक सौ चालीस तरह के पक्षी और चौबीस तरह के उभयचर प्राणी लुप्त हो चुके हैं। हर साल जानवरों की पचास प्रजातियां खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। अमेरिका के तीन नामी विश्वविद्यालयों के शोध के अनुसार धरती पर जीवन अब अंत की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले खत्म होने वाली प्रजाति इंसानों की हो सकती है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के लुप्त होने की दर सामान्य से एक सौ चौदह गुना तेज है। अब हम लुप्त होने के छठे बड़े दौर में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर प्रजातियों के लुप्त होने की आखिरी ऐसी घटना साढ़े छह करोड़ साल पहले घटी थी। तब डायनासोर धरती से लुप्त हो गए थे। पर अब खतरा इंसानों के सिर पर मंडरा रहा है। लोग बदलते मौसम के कहर से परेशान हैं। ठंडे स्थान और ठंडे हो रहे हैं, जबकि गरम जगहें ज्यादा गरम हो रही हैं। तूफान, बाढ़, सूखा और भूकम्प की घटनाएं अब विकराल रूप में बार-बार कहर बरपा रही हैं।

- कुदरत का अंधाधुंध दोहन अब हमारे लिए काल बनता जा रहा है। आज मनुष्य के लिए शुद्ध वायु, जल और भोजन मिलना मुश्किल हो गया है, जो उसके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए सबसे जरूरी है।
- वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की आधुनिक नीति ने आज जल, थल और नभ- तीनों को विषाक्त कर दिया है। इससे मानव जाति सहित कई जीवों के जीवन और अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है।
- पिछले चालीस-पचास वर्षों में इस धरती के कई जीव-जंतु विलुप्त हो गए हैं और कई विलुप्ति के कगार पर हैं। हर साल साठ लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि मरुभूमि में बदल रही है। ऐसी जमीन का क्षेत्रफल तीस साल में लगभग सऊदी अरब के क्षेत्रफल के बराबर होता है। हर साल एक सौ दस लाख से अधिक हेक्टेयर वन उजाड़ दिए जाते हैं, जो तीस साल में भारत जैसे देश के क्षेत्रफल के बराबर हो सकता है। अधिकतर जमीन जहां पहले वन उगते थे ऐसी खराब कृषि भूमि में बदल जाती है, जो खेतिहरों को भी पर्याप्त भोजन दिलाने में असमर्थ है।

What research says:

आधुनिक पारिस्थितिकी अनुसंधान से ज्ञात होता है कि जैव मंडल पर मनुष्य के अनवरत, एकतरफा और काफी हद तक अनियंत्रित प्रभाव से हमारी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता में तब्दील हो सकती है, जो मरुभूमियों को मरुद्यानों और मरुद्यानों को रेगिस्तानों में बदल देगी। इससे पृथ्वी पर सारे जीवन के विनाश का खतरा पैदा हो जाएगा। अब स्पष्ट है कि मनुष्य द्वारा भौतिक चीजों का नियोजित उत्पादन जैव मंडल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रभावों का अनियोजित 'उत्पादन' भी करता है और यह इतने बड़े पैमाने पर होता है कि पृथ्वी पर मनुष्य सहित सारे जीवन को नष्ट करने का खतरा पैदा कर देता है। प्रमुख जैविकविद जानवरों और पौधों की जातियों के इतने बड़े पैमाने पर लुप्त होने का पूर्वानुमान लगाते हैं, जो प्रकृति और मनुष्य की क्रिया के फलस्वरूप पिछले करोड़ों वर्षों में हुए उनके विलुप्तीकरण से कहीं अधिक बड़ा होगा।

- यह बात भी सिद्धांतत: सच है कि अंतत: सारी जैविक प्रजातियां विलुप्त होंगी। पर पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध और इस शताब्दी के शुरुआती दशक में भूतपूर्व वीरान क्षेत्रों में मनुष्य की बस्तियां बस जाने, जहरीले पदार्थों के व्यापक उपयोग और प्रकृति के निर्मम शोषण की वजह से जातियों के विलुप्तीकरण की दर तेजी से बढ़ी है और जातियों-प्रजातियों के क्रम-विकास की दर के मुकाबले अधिक हो गई है।
- पिछले दो हजार वर्षों में जो जातियां विलुप्त हुईं उनमें आधे से अधिक 1900 के बाद हुई हैं। जैविकविदों की मान्यता है कि पिछले साढ़े तीन सौ वर्षों में प्रति दस वर्ष में प्राणियों की एक जाति या उपजाति नष्ट हुई।
- प्रकृति और प्राकृतिक साधनों के अंतरराष्ट्रीय रक्षा संगठन ने अनुमान लगाया है कि अब औसतन हर वर्ष एक जाति या उपजाति लुप्त हो जाती है। इस समय पक्षियों और जानवरों की लगभग एक हजार जातियों के लुप्त होने का खतरा है। पौधों की किसी एक जाति के लुप्त होने से कीटों, जानवरों या अन्य पौधों की दस से तीस तक जातियां विलुप्त हो सकती हैं। अगर मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही तो उनकी बहुत बड़ी संख्या के जीवित बचे रहने की संभावना बहुत कम है। इसलिए अब प्रकृति के साथ मनुष्य जाति की अंतर्क्रिया के तरीकों को बदलना अनिवार्य हो गया है।

दरअसल, मनुष्य ने भौतिक उत्पादन के विकास से जैव मंडल के आंगिक ढांचे में एक विशेष कृत्रिम अंग शामिल कर दिया है। उसके इस कार्य का न सिर्फ समाज और उत्पादन के हमारे लक्ष्यों, बल्कि जैव मंडल की क्रिया के साथ भी समन्वय होना जरूरी है। इसके लिए हमें उद्योगों के विकास पर रोक नहीं लगानी है, बल्कि उनके विकास का ढंग सुनियोजित करना है। इस तथ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि क्या वहां के उद्योग-धंधे हमारे परिवेश से सामंजस्य बिठा सकेंगे? हमारे विकास कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए, जिनसे अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे।

इसके लिए उद्योगों के विकास का ढंग सुनियोजित करना है। कच्चे माल के लिए प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक आधार पर दोहन किया जाए, जिससे उस संपदा का ह्रास न हो। उद्योगों की आवश्यक ऊर्जा पूर्ति के लिए ईंधनों के साथ गैर-परंपरागत ऊर्जा-संसाधनों का

भी समुचित उपयोग किया जाए, जिससे प्रदूषण न्यूनतम हो। विकास कार्यक्रमों के संबंध में इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रत्येक देश की अपनी स्थिति, परिस्थिति और पर्यावरण होता है। किसी दूर देश की जलवायु और मिट्टी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इस तथ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि क्या वहां के उद्योग-धंधे हमारे परिवेश से सामंजस्य बिठा सकेंगे? हमारे विकास कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए, जिनसे अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे।

वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने मनुष्य की प्रकृति पर नियंत्रण का विशेष अधिकार दे दिया है। हम पर्वतों को हटा सकते हैं, नदियों के मार्ग बदल सकते हैं, नए सागरों का निर्माण कर सकते हैं और विशाल रेगिस्तानों को उर्वर मरुद्यानों में परिणत कर सकते हैं। हम प्राकृतिक जगत में मौलिक परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे उत्पादन और आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यकलाप अंतरिक्ष तक विस्तृत हो गए हैं। पर हम प्रकृति पर अपने अंतहीन अतिक्रमण और बगैर सोचे-समझे उसमें बड़े-बड़े फेरबदल करके इस अधिकार का अविवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके हानिकारक नतीजे हो सकते हैं। हम उत्पादन कार्यों द्वारा जैव मंडल में हुए परिवर्तनों को कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम जीवन प्रणाली के विभिन्न तत्त्वों पर अपने प्रभाव को सावधानी से देखते रहें। मौलिक प्राकृतिक पर्यावरण को मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार रूपांतरित करना और विनाशक प्राकृतिक शक्तियों जैसे भूकम्प, टाईफून, चक्रवात, बाढ़ और सूखा, हिमानी भवन, चुंबकीय और सौर आंधियां, रेडियो सक्रियता, अंतरिक्षीय विकिरणों के विरुद्ध संघर्ष करना अनिवार्य है। पर ऐसे परिवर्तन केवल उन नियमों के अनुसार किए जा सकते हैं, जिनसे जैव मंडल एक अखंड और स्वनियामक प्रणाली के रूप में काम करता और विकसित होता रहे।

4. गंगा में लगाई गई डुबकी आपको बीमार कर सकती है

GENERAL STUDIES HINDI

In news:

गंगा को स्वच्छ बनाने के तमाम दावों और अभियानों के बीच ताजा खबर यह है कि इस नदी का पानी अब हरिद्वार में ही नहाने लायक तक नहीं रह गया है. यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत एक आवेदन के जवाब में दी है~ सीपीसीबी ने कहा है कि हरिद्वार में गंगा का पानी लगभग सभी मानकों पर विफल रहा है.

Pollution in GANGA

रिपोर्ट के मुताबिक सीपीसीबी ने उत्तराखंड में गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक 11 जगहों से नमूने लेकर उनकी जांच की थी. सीपीसीबी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक आरएम भारद्वाज ने बताया कि इसमें पानी के तापमान, उसमें घुली ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन की मांग (बीओडी) और कोलिफॉर्म (बैक्टीरिया) की जांच शामिल थी.

What rule says:

सीपीसीबी नियमों के मुताबिक अगर किसी नदी में बीओडी का स्तर तीन मिलीग्राम प्रति लीटर है तो उसका पानी नहाने के लिए सुरक्षित है. लेकिन, हरिद्वार में गंगा के पानी में यह स्तर 6.4 मिग्रा प्रति लीटर पाया गया. इसी तरह कोलिफॉर्म का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर में 1600 एमपीएन तक मिला जबकि स्वीकार्य स्तर प्रति 100 मिलीलीटर 500 एमपीएन है. इसी तरह पानी में घुली ऑक्सीजन का स्वीकार्य स्तर पांच मिलीग्राम प्रति लीटर है, लेकिन हरिद्वार में यह चार मिलीग्राम से 10.8 मिलीग्राम प्रतिलीटर पाया गया.

5. गंगा की दशा

#Editorial_Jansatta

तीन दशक से ज्यादा वक्त से गंगा की सफाई के लगातार दावे किए गए, योजनाएं बना कर उन पर काम करने की बात कही गई। लेकिन इतनी लंबी अवधि के दौरान सरकारीदावों की हकीकत यह है कि अब गंगा का पानी पीने लायक तो दूर, नहाने के लायक भी नहीं बचा है। सूचनाधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में खुद सरकार ने यह माना है। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गंगोत्री से हरिद्वार के बीच करीब तीन सौ किलोमीटर की गंगा में से ग्यारह स्थानों से नमूने जांच के लिए लिये गए थे, लेकिन ये सभी सुरक्षा मानकों पर फेल रहे। रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार के करीब बीस गंगा घाटों पर हर रोज पचास हजार से एक लाख लोग नहाते हैं। यह बेवजह नहीं है कि गंगा के पानी में बीओडी यानी बॉयोलॉजिकल आॅक्सीजन डिमांड और कोलिफॉर्म यानी बैक्टीरिया के अलावा दूसरे जहरीले पदार्थों की मात्रा निर्धारित मानकों के मुकाबले काफी अधिक है। 1985 में गंगा की सफाई के लिए शुरू की गई गंगा कार्य योजना अब नमामि गंगे के रूप में सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा है। बीते तीस सालों के दौरान इस मद में बाईस हजार करोड़ से ज्यादा रुपए बहाए जा चुके हैं।

नमामि गंगे जैसी योजना और लगातार सरकारी कार्यक्रमों में गंगा के माहात्म्य के उल्लेख के बावजूद खुद सरकार यह मान रही है कि गंगा का पानी नहाने तक के लायक नहीं बचा, तो अब तक की कवायदों को किस नजरिए से देखा जाएगा! कानपुर या दूसरे शहरों में औद्योगिक इकाइयों और सीवर आदि की वजह से पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी यह नदी अगर हरिद्वार में भी इस हालत में चली गई है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पर्यावरणविदों ने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

इस बीच धीरे-धीरे हरिद्वार में औद्योगिक इकाइयों की श्रृंखला खड़ी हो गई और यह पर्यटन का केंद्र बन गया। लेकिन उसके बरक्स जलशोधन संयंत्रों और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करना जरूरी नहीं समझा गया। पचास हजार से एक लाख लोग जहां रोज नहाने

पहुंचते हों, वहां उससे उपजी गंदगी और दूसरी समस्याओं के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे देश में गंगा के प्रति श्रद्धा-भाव तो अपार है, पर वास्तव में गंगा की फिक्र कितनी है? एक ओर सुप्रीम कोर्ट गंगा के मसले पर केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने यहां तक कह चुका है कि इस मामले में सरकार का काम उसके नारों से उलट रहा है। सवाल है कि किसकी जवाबदेही बनती है?

6. जलवायु परिवर्तन की नई चुनौतियां

#Editorial_Business Standard

In news:
अमेरिका के डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि वह पेरिस में 2015 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौते में जताई गई प्रतिबद्घताओं से पीछे हट सकता है। यह बात मायने रखती है क्योंकि अमेरिका वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 14 फीसदी का जिम्मेदार है। अमेरिका का इस समझौते से पीछे हटना अन्य देशों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

Deviation from Paris and fallout:
पेरिस समझौते में उत्सर्जन कटौती के लिए जताई गई प्रतिबद्घता से किसी भी तरह का विचलन बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है। इस समझौते के मूल में यह बात है कि वैश्विक औसत तापमान वृद्घि को औद्योगिक युग के पूर्व के स्तर से अधिकतम दो फीसदी ज्यादा पर सीमित रखा जाए। इस लक्ष्य पर टिके रहने की 66 फीसदी संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि सन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 42 गीगाटन पर सीमित किया जाए और सन 2075 के बाद उसे ऋणात्मक कर दिया जाए। ऐसा करके ही हम 1,000 गीगाटन की उस सीमा में रह पाएंगे जिसका 80 फीसदी 2030 तक इस्तेमाल होना है। समझौते में जिस 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की कामना की गई है वह बरकरार रहेगी और उम्मीद यही है कि हम एक दशक में उसे पार कर जाएं। पेरिस समझौते के तहत जो प्रतिबद्घताएं जताई गईं वे 2030 तक की अवधि में इस लागत बचाने वाली राह में 12 से 14 गीगाटन तक पिछड़ जाएंगी।

How many committed to their target:
इतना ही नहीं फिलहाल कुछ ही देश ऐसे हैं जो अपनी प्रतिबद्घताएं पूरी करने की राह पर अग्रसर हैं। यूएनईपी की उत्सर्जन अंतराल संबंधी रिपोर्ट में कहा गया है कि जी 20 देशों में से जो उत्सर्जन के अधिकांश हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, केवल यूरोपीय संघ, भारत और चीन ही लक्ष्यों के अनुरूप चल रहे हैं। जबकि शेष को इसके लिए नीतिगत कदमों की आवश्यकता होगी। परेशान करने वाली बात यह है कि हाल के कुछ वैज्ञानिक कार्य बताते हैं कि दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का लक्ष्य अपने आप में बहुत ज्यादा है जो कई बड़े जोखिमों से बचाव नहीं कर पाएगा। प्रतिष्ठित जलवायु वैज्ञानिक जेम्स हानसेन और उनके सहयोगियों का कहना है कि औद्योगिक युग के पूर्व के स्तर में दो डिग्री सेल्सियस की यह

वृद्घि आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हकीकत में उन्होंने अनुमान जताया कि वैश्विक तापवृद्घि समुद्र के ठंडे जल की सतह के नीचे गरम पानी को चपेट में ले लेगी और इससे बर्फ के पिघलने की गति और तेज हो जाएगी। इससे समुद्र प्रभावित होंगे और पूरी पृथ्वी इस घटना से बुरी तरह प्रभावित होगी।

Evidences of Climate change:

- इस बात के तमाम प्रमाण हैं कि जलवायु परिवर्तन उम्मीद से कहीं तेज गति से घटित हो रहा है। फरवरी 2015 से फरवरी 2016 के बीच औसत कार्बन डाइ ऑक्साइड घनत्व 3.76 पार्ट प्रति मिलियन था। हवाई की माउना लोआ वेधशाला के मुताबिक यह एक साल में हुई सबसे अधिक वृद्घि थी। यह स्तर 400 पीपीएम से अधिक है और अब इसमें गिरावट आने की संभावना नहीं नजर आती है। ऐसे में 2030 तक ही दो डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन के एक शोध के मुताबिक वर्ष 1998 से 2014 के बीच वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी में ठहराव की खबर गलत थी।
- अमेरिकन मीटिअरलॉजिकल सोसाइटी ने वर्ष 2011 से 2014 के बीच जो बुलेटिन प्रकाशित किए उनमें से आधी से अधिक के मुताबिक मानव जनित जलवायु परिवर्तन के लिए अतिरंजित घटनाएं जिम्मेदार थीं। बीते तीन दशक के दौरान आर्कटिक में समुद्री बर्फ का दायरा आधा से अधिक घटा है। आर्कटिक 2070 के बजाय 2040 तक ही समुद्री बर्फ से रहित हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि भारत पिछली सदी की तुलना में औसतन 0.60 डिग्री सेल्सियस गरम है। वर्ष 2015 तक देश के सबसे गरम 15 सालों में से 13 वर्ष 2000 के बाद के थे।
- वहीं 2016 सन 1901 के बाद सबसे गरम वर्ष था। गरम हवाओं की घटनाएं और उनकी तीव्रता और आवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में विश्व समुदाय के समक्ष चुनौती यह है कि एक ओर तो वह अमेरिकी व्यवहार से निपटे और दूसरी ओर पेरिस समझौते से इतर भी जलवायु परिवर्तन से निपटने की गतिविधियां तेज करे। ट्रंप को लगता है कि बाजार में मोलभाव करने वालों की तरह अगर वह पेरिस समझौते से दूरी बनाएंगे तो लोग उनके पीछे आएंगे और रियायत की पेशकश करेंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका के साथ कोई रियायत हुई तो यह पेरिस प्रतिबद्घता को कमजोर करेगा।

ऐसा नहीं है कि ट्रंप के बिना काम बिगड़ ही जाएगा। अमेरिका फिर भी योगदान करेगा। कैलिफोर्निया जैसे प्रांत जलवायु परिवर्तन योजना में काफी आगे हैं और उन्होंने स्वैच्छिक कार्ययोजना बनाई है जिसके आधार पर वे अहम उत्सर्जन कटौती करेंगे। अमेरिका में अहम तकनीक आधारित कारोबारी नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली चालित वाहन और ऊर्जा किफायत के पक्ष में हैं। उन्होंने पहले ही पेरिस समझौते में अमेरिका के बने रहने को लेकर अपना समर्थन जारी कर दिया है। अमेरिकी पर्यावरण आंदोलन ने भी इसके लिए सख्त लॉबीइंग की। प्रशासनिक हलके में भी पेरिस समझौते के समर्थक हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

यूरोपीय संघ के नेता और शी चिनफिंग ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह ऐसा न करे। भारत इस मसले पर खामोश रहा है और उसे अवश्य बोलना चाहिए। इन नेताओं को अमेरिकी प्रशासन से इतर अन्य हलकों में खुलकर जलवायु परिवर्तन की सकारात्मक पहलों को आगे बढ़ाना चाहिए। कारोबारी समूहों, शोध संस्थानों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना चाहिए कि वे अमेरिका में अपने साथियों से बात करें।

ऐसा करना कठिन भी है और सरल भी। कठिन इसलिए क्योंकि जीवाश्म ईंधन वाले देश इसका विरोध करेंगे और आसान इसलिए क्योंकि इसके विकल्प बहुत तेजी से व्यावहारिक होते जा रहे हैं। इन्हें पूंजी भी मिल रही है और प्रतिभा भी। यूरोपीय संघ, चीन और भारत, तीनों देश अपनी प्रतिबद्घताओं को स्वैच्छिक रूप से बढ़ा सकते हैं। ऐसा करके वे नए चेतावनी संकेतों को लेकर बेहतर प्रतिक्रिया दे पाएंगे। जीवाश्म ईंधन उद्योग का अंत और नई नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था के उदय के साथ परिवहन, शहरी डिजाइन और भवनों आदि में बदलाव आएगा। हमें भी इतिहास की इस धारा के साथ बहना चाहिए और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ देना चाहिए।

7. जैव प्रौद्योगिकी नियामक

जेनेटिक इंजीनियरिंग आकलन समिति (जीईएसी) की ओर से जीन संवद्र्घित (जीएम) सरसों, डीएमएच-11 की वाणिज्यिक उपज को मंजूरी मिलने के साथ ही भारत जीएम फसलें उगाने वाले 25 देशों में शुमार होने के करीब पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित जीएम सरसों को किसानों तक पहुंचाने के पहले कई बाधाएं दूर करने की आवश्यकता है।

Hurdles in implementation

- इनमें से एक है जीएम फसलों के विरोधियों की तरफ से कड़ा विरोध। इसमें सत्ताधारी भाजपा और उसके सहयोगियों से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच भी शामिल है। याद रखिए कि जीएम विरोधी लॉबी के चलते ही 2010 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को बीटी बैगन पर रोक लगानी पड़ी थी जबकि जीईएसी उसे मंजूरी दे चुकी थी।
- इसके अलावा सरकार को सर्वोच्च न्यायालय जाकर जेनेटिक बदलाव वाली फसलों की खेती पर लगी रोक हटवानी पड़ेगी।
- इतना ही नहीं कुछ राज्यों में जहां जीएम फसलों के परीक्षण तक को मंजूरी नहीं है, उनके मन में इन फसलों को लेकर जो पूर्वग्रह हैं उन्हें दूर करना होगा।

100 से अधिक जीएम फसलों का भविष्य दांव पर लगा है। इनमें मुख्य अनाज, फल, सब्जियां और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। इन सभी का विकास अलग-अलग चरण में है। कुछ जीएम फसलों के डेवलपर डीएमएच-11 पर निगाहें जमाए हैं। इसकी परिणति देखकर ही वे अपने उत्पादों को जीईएसी के समक्ष पेश करेंगे। यहां ध्यान देने लायक बात यह है कि इनमें से कई गैर हाइब्रिड जीएम फसलों की किस्म हैं जिनके बीज किसानों द्वारा बार-बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जबकि हाइब्रिड फसलों के बीज हर बार नए खरीदने

होते हैं। इनमें तीन स्थानीय तौर पर विकसित बीटी-कॉटन की किस्में भी हैं जिनके वाणिज्यिक प्रसार की अनुशंसा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कर चुकी है। ऐसी किस्मों को मिलने वाली मंजूरी से जीएम बीज के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसैंटो का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अधिकांश बीटी कॉटन उत्पादक पेटेंट के जरिये संरक्षित बीजों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें यही कंपनी बनाती है।

मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जांच और परीक्षण से संबंधित तमाम जानकारी डाली है। इसमें खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा रिपोर्ट का आकलन भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक जीईएसी ने इस पर आई 700 से अधिक प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान दिया है। इसके अलावा उसने तमाम जीएम विरोधी संगठनों की बात भी सुनी है। इन बातों के बाद ही उसने इसे बाजार में उतारने की सहमति दी है। अगर जीएम फसलों का विरोध करने वाले अभी भी इस निर्णय का विरोध करना चाहते हैं तो वे किसानों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। चाहे जो भी हो सच यही है कि मौजूदा जैव प्रौद्योगिकी नियामक ढांचे में अंतिम निर्णय राजनेताओं (पर्यावरण मंत्री) का ही होता है। यह अपने आप में काफी कुछ कहता है। इसकी जगह एक मजबूत, वैज्ञानिक क्षमता संपन्न और पर्याप्त अधिकार वाला जैव प्रौद्योगिकी नियामक होना चाहिए जो गैर विज्ञान क्षेत्र से प्रभावित न हो। जब तक ऐसी व्यवस्था कायम नहीं होती है तब तक आम जनता और जीएम उत्पादों के विरोधियों को समझाना मुश्किल है। ऐसा करके ही इन फसलों के प्रति उनका वैमनस्य समाप्त किया जा सकता है।

8. केन नदी को बेतवा नदी के साथ जोड़ने के प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति

#Editorial_Business_Standard

In news:

मध्य प्रदेश में बहने वाली केन नदी को उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली बेतवा नदी के साथ जोड़ने के प्रस्ताव को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति की औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही लंबे समय से अटकी पड़ी इस परियोजना के 10,000 करोड़ रुपये लागत वाले पहले चरण की अंतिम बड़ी बाधा दूर हो गई है।

- इस बहुद्देशीय परियोजना के माध्यम से 6 लाख हेक्टेयर इलाके में सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने, 13.4 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने और 60 मेगावॉट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य है।
- इस परियोजना की स्वीकृति से नदियों को आपस में जोड़ने के अन्य प्रस्तावों के भी अनुमोदन का रास्ता साफ होगा।
- अतिरिक्त जल संसाधन वाले नदी बेसिन को पानी की कमी से जूझ रहे नदी बेसिन से जोड़कर देश भर में पानी के वितरण को समान स्तर पर लाने में नदी संपर्क योजनाओं को काफी अहम माना जा रहा है।
- नदियों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय नदी जल नेटवर्क बनाने का विचार एक सदी से भी अधिक पुराना है लेकिन कई लोग व्यावहारिक दिक्कतों के चलते इसे महज काल्पनिक अवधारणा ही मानते रहे हैं।

Is this first of its kind:

वैसे केन-बेतवा परियोजना नदियों को जोडऩे का पहला मामला नहीं होगा। हालांकि राष्ट्रीय जल योजना के तहत जिन 30 नदी-जोड़ योजनाओं के प्रस्ताव रखे गए हैं, यह उनमें से पहला जरूर होगा। गोदावरी और कृष्णा नदियों को वर्ष 2015 में आंध्र प्रदेश में पट्टïीसीमा योजना के तहत पहले ही एक-दूसरे से जोड़ा जा चुका है। इसके पहले भी शारदा-सहायक, ब्यास-सतलज, करनूल-कडप्पा, पेरियार-वैगई और तेलुगू गंगा संपर्क योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा चुका है।

Benefit:

- इससे 3.5 करोड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के अलावा 34,000 मेगावॉट बिजली उत्पादन जैसे बहुतेरे लाभ हो सकते हैं।
- बाढ़ नियंत्रण, नदी परिवहन, मत्स्य पालन और घरेलू पेयजल आपूर्ति जैसे लाभ भी होंगे।

Some apprehension:

- इन कामयाबियों के बावजूद राष्ट्रीय जल ग्रिड का गठन अब भी दूर की कौड़ी ही नजर आ रहा है।
- इतने बड़े पैमाने पर इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने से जनसंख्या के एक हिस्से का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास जैसी कई परिस्थितिजन्य बाधाएं खड़ी हो सकती हैं जिनसे पार पाना खासा मुश्किल होगा।
- इसके अतिरिक्त पानी के राज्य सूची का विषय होने से अंतर-राज्य नदी संपर्क योजनाओं पर राजनीतिक सहमति बना पाना भी आसान नहीं होगा।
- भारत जैसे देश को पानी से संबंधित तमाम समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह के समेकित जल ग्रिड की सख्त जरूरत है।

Water problem of India:

- भारत परंपरागत तौर पर पानी की कमी से जूझने वाला देश नहीं रहा है।
- भारत में वार्षिक बारिश करीब 120 सेंटीमीटर होती है जबकि वैश्विक स्तर पर यह औसत करीब 100 सेंटीमीटर का ही है।
- अगर मॉनसूनी बारिश के दौरान पानी की बड़ी मात्रा को बहकर समुद्र में जाने से रोक लिया जाता है तो मिट्टïी की उपजाऊ ऊपरी सतह को नष्ट होने से बचाया जा सकता है।
- बचे हुए पानी को समुचित तरीके से वितरित कर सकते हैं जिससे देश का कोई भी हिस्सा पानी की कमी से नहीं जूझेगा।
- हालांकि इस तरह के व्यापक जल पुनर्वितरण परियोजना के भौगोलिक, पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। केन-बेतवा परियोजना के भी संदर्भ में सरकार को पन्ना बाघ संरक्षित क्षेत्र पर इसके संभावित असर को लेकर काफी सजग रवैया अपनाने की जरूरत होगी। दरअसल केन और बेतवा नदियों को जोडऩे पर इस संरक्षित क्षेत्र का एक हिस्सा पानी में डूब जाने का अनुमान है। ऐसी परिस्थिति बाघ, घडिय़ाल और अन्य पशु-

पक्षियों के लिए काफी नुकसानदेह होगा। हालांकि केन-बेतवा योजना के बजट का 5 फीसदी हिस्सा पन्ना अभयारण्य के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए चिह्नित किया गया है लेकिन इस कार्य-योजना को परिणामोन्मुख बनाना होगा।

Science & Tech

1. स्पाइडर मिसाइल : सतह से हवा में मार करने में सक्षम इस्राइल मिसाइल

स्पाइडर मिसाइल

- भारत ने कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल परीक्षणों की श्रृंखला के तहत सतह से हवा में मार करने में सक्षम स्पाइडर मिसाइल का परीक्षण किया .और इसने चालक रहित विमान को लक्षित किया.
- वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक हथियार प्रणाली के विभिन्न मापदंडों की पुष्टि करने के लिए यह परीक्षण किया गया था.

स्पाइडर मिसाइल की विशेषताएं -

1. स्पाइडर कम समय में वायु में शत्रु पर हमला करने के लिए बनाई गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है.
2. यह इस्राइल से ली गई मिसाइल प्रणाली है.
3. कम ऊंचाई में इसकी मारक क्षमता 15 किलोमीटर तक है.
4. हालांकि यह भारत में निर्मित सतह से हवा में मार करने में सक्षम आकाश मिसाइल से छोटी है .आकाश की मारक क्षमता 25 किलोमीटर है.
5. मोबाइल लाँचर के जरिए स्पाइडर का प्रक्षेपित होती है.

GENERAL STUDIES HINDI

2. GM मस्टर्ड के इस्तेमाल को रेग्युलेटर से मिली हरी झंडी

- देश के जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) क्रॉप रेग्युलेटर ने GM मस्टर्ड (सरसों) के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दे दी। पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाली जेनेटिक इंजिनियरिंग अप्रेजल कमिटी (GEAC) ने मिनिस्ट्री को GM मस्टर्ड के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए अपनी सिफारिश भेजी है।
- अप्रेजल कमिटी के पास जीएम फसलों के आकलन की जिम्मेदारी है। जीएम मस्टर्ड से जुड़े सुरक्षा के पहलू पर विचार करने के लिए एक सब-कमिटी बनाई गई थी।
- अब इस फसल को लेकर पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे अपनी राय देंगे, जिसके बाद ही इस बारे में कोई अंतिम फैसला हो सकेगा। उनके पास इस सिफारिश को स्वीकारने, खारिज करने या फिर इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के निपटारे के इंतजार का विकल्प होगा।

- जेनेटिक इंजिनियरिंग अप्रेजल कमिटी ने इस कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद अपनी सिफारिश दी है। GEAC ने GM मस्टर्ड के व्यावसायिक इस्तेमाल की सिफारिश करने के साथ ही मिनिस्ट्री को कई शर्तें भी दी हैं।
- सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिप्युलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स (CGMCP), दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस ने 2015 में GEAC को एक ऐप्लिकेशन देकर हाइब्रिड फसलों की नई रेंज डिवेलप करने के लिए GM मस्टर्ड को पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी देने की मांग की थी।
- इस ऐप्लिकेशन पर GEAC ने कई दौर की मीटिंग की थी। सब-कमेटी ने भी इसे लेकर एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग की थी। पर्यावरण मंत्रालय को GM मस्टर्ड पर असेसमेंट ऑफ फूड ऐंड इन्वाइरनमेंटल सेफ्टी (AFES) रिपोर्ट पर किसानों और शोधकर्ताओं सहित इससे जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से 700 से अधिक टिप्पणियां मिली थी।

3. रैन्समवेयर साइबर हमला

बीते शुक्रवार को हुए सबसे बड़े साइबर हमले (रैनसमवेयर) के बाद सोमवार को दूसरा बड़ा हमला हो सकता है~इस साइबर हमले से 150 से अधिक देशों में 2,00,000 इकाइयां प्रभावित हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपी जैसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले कंप्यूटर इस मालवेयर से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इसके प्रभावित होते ही कंप्यूटर की सभी फाइल लॉक हो जा रही हैं। इसकी पहचान सबसे पहले अमेरिकी खुफिया विभाग ने की।

राष्ट्रीय सिक्योरिटी एजेंसी (एनएसए) ने माइक्रोसॉफ्ट को तीन महीने पहले इस बारे में सतर्क किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने स्थिति से निपटने के लिए एक उन्नत संस्करण जारी किया लेकिन कई उपयोगकर्ताओं ने इसे अबतक डाउनलोड नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष तथा मुख्य विधि अधिकारी ब्राड स्मिथ ने कल ब्लाग पर लिखा कि दुनिभर की सरकारों के लिए यह चेतावनी है और उन्हें इसको लेकर सतर्क हो जाना चाहिए।

GENERAL STUDIES HINDI

भारत में भी रैनसमवेयर का अटैक हुआ है. रविवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आगरा में इस तरह के दो हमले होने की खबर है. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) ने इस सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है. यह हैकिंग से बचाव और भारतीय इंटरनेट डोमेन की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली नोडल एजेंसी है. रैनसमवेयर एक ऐसा मालवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम की फाइलों को लॉक कर देता है और एक निश्चित राशि के भुगतान के बगैर उन्हें अनलॉक नहीं होने देता.

4. असुरक्षित CYBER तंत्र

#Editorial_Jansatta

क्या पूरी तरह सुरक्षित तंत्र के बिना इंटरनेट पर निर्भरता एक उचित व्यवस्था है?

पिछले कुछ महीनों के दौरान और खासकर नोटबंदी के बाद भारत सरकार की ओर से सबसे ज्यादा इस बात की वकालत की गई कि लोग नकदी रहित लेनदेन की ओर कदम बढ़ाएं। लेकिन बीते तीन-चार दिनों में दुनिया भर में जिस तरह साइबर हमले का असर देखा गया, उससे यह सवाल उठा है कि क्या पूरी तरह सुरक्षित तंत्र के बिना इंटरनेट पर निर्भरता एक उचित व्यवस्था है?

- रैंसमवेयर वानाक्राई नाम के वायरस के जरिए तकरीबन डेढ़ सौ देशों के कंप्यूटर तंत्र पर सबसे बड़ा हमला किया गया और इसकी जद में दुनिया के लाखों कंप्यूटर आए। माना जा रहा है कि
- इस हमले में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रभावित देश है। हालांकि फिलहाल किसी कंपनी या बैंक ने अपने कामकाज में बाधा आने की बात नहीं कही है, लेकिन जिस तरह देश भर में एटीएम बंद रहे और बैंकों का कामकाज प्रभावित रहा, पैसे निकालने वाले परेशान रहे, उससे यह आशंका पैदा होती है कि क्या यह केवल सावधानी बरतने का मामला था या सचमुच इसका असर व्यापक था, जिसके बारे में सही सूचना सामने नहीं आ पा रही है!
- आखिर साइबर सेल ने लोगों को वायरस से बचने के लिए आॅनलाइन के बजाय बैंकों में जाकर लेन-देन करने की सलाह दी, तो उसके पीछे कोई आधार जरूर रहा होगा!

How this Virus affects:

- इ-मेल के जरिए भेजी गई अनाम फाइल पर क्लिक करते ही एक वायरस सक्रिय होकर कंप्यूटर में मौजूद फाइलों को ब्लॉक कर देता है और उन्हें फिर से खोलने के लिए फिरौती की मांग करता है।
- इससे मची अफरातफरी के बाद पूरा बैकअप नेटवर्क से अलग व्यक्तिगत हार्डडिस्क में रखने, अनजान इ-मेल या लिंक पर क्लिक न करने, कंप्यूटर में कुछ अजीब लगने पर तुरंत नेटवर्क से अलग करने या कंप्यूटर के एसएमबी पोर्ट न खोलने जैसी सलाह दी गई है।
- मगर इन उपायों के अलावा कंप्यूटरों के पूरी तरह सुरक्षित होने की गारंटी कैसे तय की जाएगी, जब साइबर हमला करने वालों ने इतनी आसानी से दुनिया भर की कंप्यूटर व्यवस्था को बचाव की मुद्रा में खड़ा कर दिया! जाहिर है, इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है, जिसने कई देशों के सबसे सुरक्षित कंप्यूटर तंत्र में भी सेंध लगा दी। पर सवाल यह भी है कि जब आधुनिक तकनीकी क्षमता से लैस देशों का कंप्यूटर तंत्र और खुफिया एजेंसियां तक ऐसे साइबर हमले करने वाले माफिया के सामने लाचार हो सकती हैं, तो भारत जैसे देशों में इंटरनेट आधारित कामकाज के पूरी तरह सुरक्षित होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है!

GENERAL STUDIES HINDI

साइबर हमले के ताजा प्रकरण से स्वाभाविक ही भारत में समूचे कंप्यूटर तंत्र और खासकर आनलाइन लेनदेन की व्यवस्था पर विश्वास डगमगाया है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत में इंटरनेट का प्रसार बड़े दायरे में जरूर हो गया है, लेकिन आम लोगों के बीच इसके सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर जागरूकता अभी बहुत निचले स्तर पर है। ज्यादातर लोग आनलाइन कामकाज से लेकर बैंकिंग तक की सुरक्षित गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते और यही वजह है कि इस मामले में वे पर्याप्त सावधानी नहीं बरत पाते। हाल में आॅनलाइन ठगी के कई बड़े मामले सामने आए। ऐसे में अगर रैंसमवेयर वानाक्राई जैसे साइबर हमला करने वाले किसी माफिया ने संस्थानों के अलावा आम लोगों के इंटरनेट इस्तेमाल को भी निशाना बनाया, तो उसके नतीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

Social Issues

1. हर युवा को जॉब मिलने पर ही देश का रूपांतरण होगा

- नीति (नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफार्मिंग इंडिया) आयोग की संचालन परिषद की रविवार को हुई बैठक में देश में बदलाव लाने का अगले 15 साल का रोडमैप पेश हुआ।
- बैठक में त्रिवर्षीय कार्ययोजना(2017-2020) के मसौदे पर चर्चा हुई और जैसाकि सरकार ने एलान किया है कि 31 मार्च 2017 को खत्म होने जा रही 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद तीन वर्षीय योजना लाई जाएगी जो इसी 1 अप्रैल से लागू होगी, जिसमें तीन साल का एक्शन प्लान भी शामिल है।

देश की विकास दर में तेजी का लाभ युवाओं को नौकरी के बढ़े हुए अवसरों के रूप में मिले, इसके लिए सरकार रोजगार सृजन की एक व्यापक योजना तैयार करने जा रही है।

- तीन वर्षीय योजना में इसी पर खासा जोर दिया गया है,क्योंकि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल में विकास दर लगातार कई साल 9 फीसदी से ऊपर रहने के बावजूद नौकरियां नहीं बढ़ी थीं। इसलिए यूपीए सरकार पर जॉबलैस ग्रोथ का आरोप लगा था।
- खुद श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2013-14 में नौकरी की तलाश करने वाले मात्र 60 प्रतिशत ही ऐसे थे जिन्हें पूरे साल काम मिला। शेष में अधिकांश को एक-दो महीने काम करने का ही मौका मिला।
- 3.7 प्रतिशत लोग ऐसे भी थे जिन्हें कोई काम ही नहीं मिला। खासकर पढ़े-लिखे लोगों में यह प्रतिशत अधिक था। हालांकि बीते तीन वर्ष में विकास दर का स्तर सात प्रतिशत से ऊपर रहने के बावजूद रोजगार के अवसरों में अपेक्षानुरूप वृद्धि नहीं हुई है।

- प्रथम त्रिवर्षीय कार्ययोजना में क्षेत्र आधारित उपायों के साथ-साथ कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को भी प्रभावी बनाने की रणनीति की जरूरत है और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की निगरानी हेतु सहयोगात्मक संघवाद अर्थात **को-ऑपरेटिव फेडरेलिज़्म** को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे 2022 तक 'न्यू इंडिया' का सपना वास्तव में साकार किया जा सके। पांच की जगह तीन साल की योजनाओं से बदलाव की प्रक्रिया तेज होगी इसमें शक नहीं है लेकिन, देश का असली रूपांतरण तभी होगा जब हर युवा को रोजगार मिलेगा।

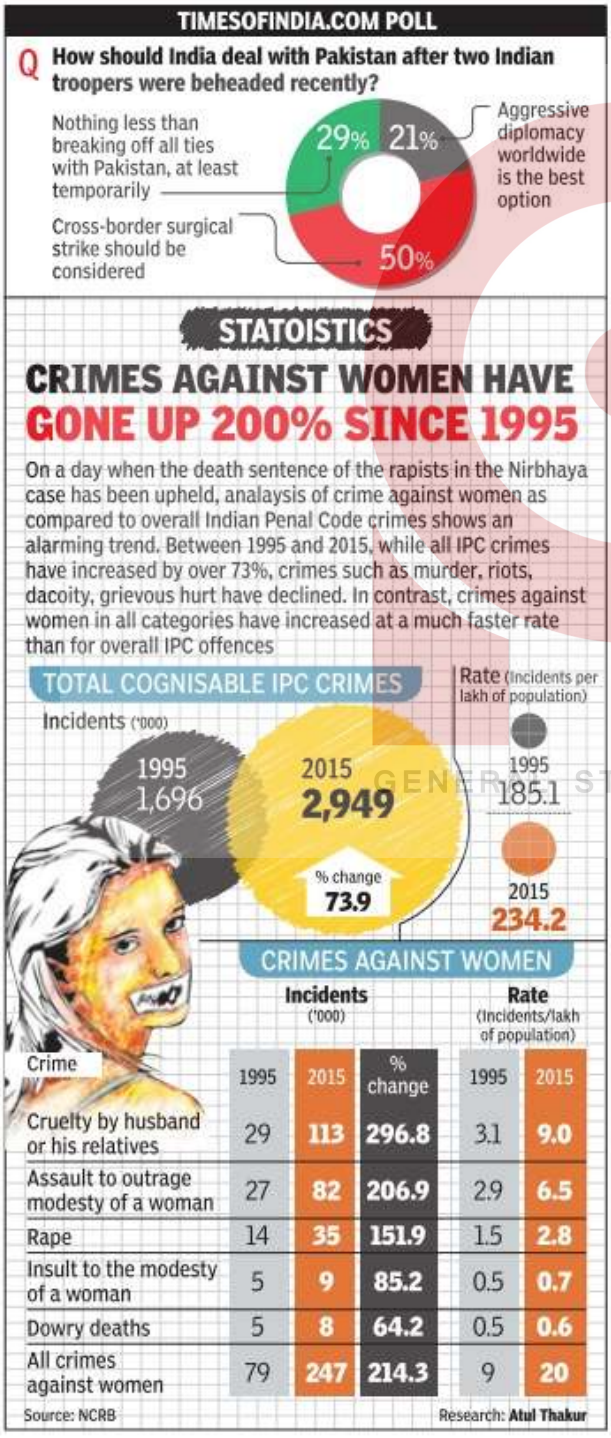

2. 20 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 200 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी

- देश में 1995 से 2015 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध में 200 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
- इस अवधि में यह आंकड़ा 79,000 से बढ़कर 2.47 लाख हो गया.
- दो दशक पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 185.1 प्रति लाख थी जो 2015 में बढ़कर 234.2 हो गई.
- पिछले दो दशक में महिलाओं पर उनके पति या संबंधियों द्वारा की गई हिंसा के मामले में तिगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 1995 में इस तरह के कुल 29,000 मामले दर्ज किए गए थे जो 20 साल बाद 1.13 लाख हो गए. महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में भी इस दौरान 152 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

3. शरियत के नाम पर महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

देश में तीन तलाक पर जारी बहस के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे महिलाओं के

मूल अधिकारों के खिलाफ बताया है| हाई कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार के खिलाफ है और कोई भी मुस्लिम पुरुष इस तरीके से तलाक नहीं दे सकता| अदालत ने यह भी कहा कि शरियत के नाम पर महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता और यह व्यवस्था केवल संविधान के दायरे में ही लागू हो सकती है.

- एकल बेंच ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा है बुरी भी पर आधार कानूनी और है 'अनुपयुक्त', क्योंकि मुस्लिम विवाह को है जाता माना 'कॉन्ट्रेक्ट', जिसे पति एकतरफा आधार पर नहीं तोड़ सकता.
- क्या था मामला : कोर्ट की यह टिप्पणी दहेज उत्पीड़न के आरोपों को रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज करते हुए आई पर याचिकाकर्ता इस . तलाक तीन पर मिलने न दहेज और करने प्रताड़ित लिए के दहेज ने पत्नी उसकी .था लगाया आरोप का देने तलाक जरिए के प्रथा
- सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तीन तलाक, बहुविवाह और हलाला निकाह के खिलाफ मामले लंबित हैं, जिन पर 11 मई से पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ रोजाना सुनवाई करेगी.

4. तीन तलाक और मुस्लिम समाज

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना का आधार ही स्त्री शोषण है। इस सत्ता को बनाए रखने के लिए औरतों को हमेशा कई तरह के रीति-रिवाजों की बेड़ियों में बांध दिया जाता है। इन रीति-रिवाजों का आधार अधिकतर धार्मिक होता है। सभी धर्मों में यह अपने चरम पर है।

Recent Context:

ताजा मामला इस्लाम धर्म को मानने वाली स्त्रियों से जुड़ा है। इस्लाम वह पहला धर्म है जिसने पति-पत्नी को संबंध विच्छेद यानी तलाक और खुला का हक दिया। मसलन, अगर किसी बीवी को अपने शौहर के साथ नहीं रहना है तो वह खुला मांग सकती है और अगर शौहर बीवी के साथ शादीशुदा जिंदगी कायम नहीं रखना चाहता तो वह तलाक दे सकता है। अगरचे औरतों को भी खुला या संबंध विच्छेद का हक हासिल है, पर उन्हें बचपन से ही इस तरह पाला जाता है कि वे खुला मांग सकने की सोचें भी नहीं। और इस तरह विवाह को तोड़ने का पूरा अधिकार मर्द के सुपुर्द हो जाता है। मतलब शौहर यह फैसला करेगा कि उसे अपनी बीवी को साथ रखना है या नहीं। विवाह को बचाए और बनाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी औरतों पर रहती है जबकि उसे खत्म करने का सामाजिक अधिकार केवल मर्दों को दे दिया गया है जो अपने आप में ही भेदभावपूर्ण है।

Is this in Koran

- इस्लाम का आधार कुरान है और इसमें लिखी सारी बातें शरिया कानून का आधार हैं। कुरान में कहीं भी एक वक्त में तीन तलाक देने का जिक्र नहीं है, बल्कि यह कहा गया है कि तलाक देते वक्त हमेशा बिगड़ी बात बनने की गुंजाइश रखो।
- इस गुंजाइश का जिक्र हदीस में कुछ इस तरह है कि पहले एक तलाक दो, बीच में तीन महीने दस दिन की इद्दत की मुद्दत और अगर उस दरमियान मियां-बीवी के बीच सुलह न हो पाए तो दूसरा तलाक, उसकी इद्दत और आखिर तीसरा तलाक और इद्दत की मुद्दत खत्म होने पर यह तलाक मान लिया जाए। इस तरीके से तलाक देने में एक बड़ा तवील वक्त गुजर जाता है जो अपने में ही मर्द के लिए झल्लाहट का सबब भी हो सकता है।
- गुजरते वक्त के साथ कई मुसलिम उलेमाओं द्वारा कुरान की अपनी सहूलियत के हिसाब से तफसीर और तजुर्मानी ने कई तरह की कुरीतियों को जन्म दिया है जिनका जिक्र भी कुरान में मौजूद नहीं है, तीन तलाक का शिगूफा भी इन्हीं में से एक है। उस पर रही-सही कसर 1973 में गठित आॅल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी कर दी जो धार्मिक (कट्टर) मुसलिम उलेमाओं का एक संगठन है और वे अपने आपको भारत के मुसलमानों का नुमाइंदा बताते हैं (जिसका हक उन्हें किसने दिया अल्लाह जाने!)। इस बोर्ड ने ही शाहबानो केस में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का तत्कालीन सरकार पर दबाव बनाया था और वह दबाव काम आया। तत्कालीन सरकार ने अपनी सियासी गरज में उलेमाओं के हक में फैसला किया।

  गौरतलब है कि यों तो ये बोर्ड कुरान में किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश से भी इनकार करते हैं, पर अलग-अलग मौलानाओं द्वारा दी गई कुरान की अलग-अलग व्याख्या (तफसीर) से भी इनकार नहीं करते, जिसकी वजह से भी इस्लामिक समाज में कुरीतियों का बोलबाला है, क्योंकि फतवे पर फतवे जारी करने वाले इन मौलानाओं या उलेमाओं का इसमें कोई निहित स्वार्थ होने से इनकार नहीं किया जा सकता।
- तलाक के मसले का भी अपना एक समाजशास्त्रीय आधार है। मर्द और औरत पारिवारिक इकाई के दो हिस्से हैं। होना तो यह चाहिए कि दोनों हिस्सों को मजबूती दें लेकिन हुआ कुछ यों कि एक के हिस्से में सारे अधिकार और दूसरे को सारी जिम्मेदारियां दे डालीं। विवाह को बनाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी औरतों के हिस्से कर दी गई, जबकि उसे खत्म करने का अधिकार केवल मर्दों को दे दिया गया, जो अपने आप में भेदभावपूर्ण है। यह ठीक है कि औरतों को भी खुला का हक हासिल है लेकिन वह बेचारी बेजुबान जब अपनी मेहर की रकम तक खुद तय नहीं कर सकती तो शौहर से खुला क्या मांगेगी? मेहर की रकम तय करने से लेकर उसे खर्च

GENERAL STUDIES HINDI

करने का इख्तियार शरियतन औरतों का हक है लेकिन यहां भी औरतों को कमजोर करने के लिए आम चलन में इसे सिर्फ सांकेतिक कर दिया है।

अक्सर मिसालों में तो यह देखने को मिला है कि मेहर की रकम एक सौ एक रुपए तय कर दी गई है, जबकि याद रखें कि हक-ए-मेहर वह रकम है जो औरतों की अमानत होती है और उनकी निजी होती है। इस तरह से औरतों को माली तौर पर कमजोर करके उन्हें मर्दों के अधीन बनाए रखना इस साजिश की दूसरी सीढ़ी है, जबकि पहली सीढ़ी छोटी बच्चियों की परवरिश और तरबियत के समय दिया जाने वाला माहौल है। औरतों का समाजीकरण मर्दों की तुलना में भिन्न होता है यह जगजाहिर है, और इसका किसी धर्मविशेष से कतई लेना-देना नहीं, बल्कि समाजीकरण की यह प्रक्रिया पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना में निहित है। बच्चियों और महिलाओं को न केवल बुनियादी या उच्च शिक्षा से महरूम रखा जाता है बल्कि कम उम्र में शादी करके मां-बाप अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाने की खुशी में अपनी बेटियों की हकतलफी की भी फिक्र नहीं करते, और ससुराल में भी उनकी सारी खुशी इस बिंदु पर टिकी होती है कि वे अपने शौहर को कितना मुतमईन रख सकती हैं। शौहर की जरा-सी टेढ़ी नजर उसके लिए नुकसानदेह है और वह हर मुमकिन कोशिश करती है कि शौहर की कृपादृष्टि उस पर बनी रहे। इतना करने के बावजूद तलाक नाम की तलवार उसके सर पर हमेशा लटकी रहती है कि न जाने कब उसकी कोई गलती शौहर-ए-नामदार को खराब लग जाए और वे तलाक दे बैठें।

इस्लाम ने तलाक और खुला के मसले को आसान बनाया, पर समाज ने उसे ही औरतों के जी का जंजाल बना दिया। जाने में हुआ हो या अनजाने में, भारतीय मुसलिम महिलाओं की स्थिति समाज में दोयम दर्जे की है। समाज के हाशिये पर आने वाले सभी वर्गों में मुसलिम महिलाएं सबसे पीछे हैं, चाहे वह शैक्षणिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो।

अच्छी बात यह है कि अब मुसलिम औरतें मुखर होकर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले इसकी बानगी भर हैं। इससे मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड घबरा गया है और वह भी तीन तलाक के मसले पर विचार कर रहा है। देर से ही सही, संवैधानिक दायरे में रहते हुए देश की शीर्ष अदालत ने इस मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए इस पर सुनवाई का फैसला लिया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर औरतों के हक में कोई फैसला आएगा। हालांकि अदालती मामलों में लगने वाले लंबे समय के कारण हमें या आपको सिर्फ अदालती फैसले के इंतजार तक महदूद नहीं होना चाहिए बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़ कर ऐसे काम करने होंगे जो औरतों के स्वावलंबन की दिशा में हों। मसलन, सबसे पहले मूल्यपरक, उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच पक्की करना। दूसरे, सभी औरतों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए नौकरियों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। तीसरे, समाजीकरण के नियमों को बदलना, जिससे कोई औरत अपने शौहर के तलाक

देने से जिंदगी से मायूस न हो और शौहर से मुतमईन नहीं होने पर खुला मांगने से न हिचकिचाए

5. बड़ी आबादी का विस्थापित होना हमारी हर समस्या का कारण

#Editorial_Bhaskar

भारत और शरणार्थी

- भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ की नार्वे शरणार्थी परिषद (एनआरसी) की रिपोर्ट में विस्थापन की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का तीसरा स्थान हैं, जहां 2016 में करीब 28 लाख लोग विस्थापित हुए हैं।
- चार लाख से ज्यादा लोगों को तो हिंसा और संघर्ष की वजह से विस्थापित होना पड़ा तथा 24 लाख लोग आपदाओं की वजह से विस्थापित हुए हैं।
- रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास असमानता को पाटने में नाकाम रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक दस में से हर तीसरा भारतीय आंतरिक विस्थापन के दौर से गुजर रहा हैं।

इसकी चुनौती

- देश में हिंसा और संघर्ष की वजह से विस्थापित लोगों की बढ़ती संख्या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किसी चुनौती कम नहीं हैं। जातीय संघर्ष से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या भी अधिक हैं, जिसमें उत्तर-प्रदेश और बिहार शीर्ष स्थान पर हैं।
- देश में ज्यादातर लोग क्षेत्रीय एवं जातीयता से संबंध रखते हैं और इनसे संबंधित संघर्ष स्थानीय हिंसा का रूप ले लेता है, जिससे निपटने में स्थानीय सरकारें नाकाम रही हैं। उन्हें केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने वाली रणनीति के साथ काम करना होगा। इसके तहत सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम जैसे मानवाधिकारों का हनन करने वाले कानूनों के असंगत इस्तेमाल को रोककर जनहानि रोकनी होगी।
- दूसरी ओर देश में करीब 24 लाख लोग आपदाओं के चलते विस्थापित हुए हैं। दुनिया में जितने तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं, वे भारत में आती रहती हैं, जिसके चलते लोग सबसे अधिक असुरक्षा महसूस करते हैं। इनका पूर्वानुमान लगाना भी मुश्किल होता है।

GENERAL STUDIES HINDI

इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों और सरकारों को आने वाली आपदा की चेतावनी से लेकर उसके पश्चात पुनर्वास,पुनर्निर्माण, भविष्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, बचाव एवं राहत कार्य बहुउद्देश्यी फैसले लेकर करने होंगे। इस मामले में हम कमजोर रहे हैं और इसीलिए

लोगों में असुरक्षा का अहसास बढ़ा है। असुरक्षा यही बोध आपसी अविश्वास, अंधविश्वास, जातीय व धार्मिक द्वेष का कारण है।

6. कैदियों को राहत देने की कोशिश

#Editorial_Dianik Tribune

In news:

लंबे समय से जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को राहत देने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह विधि आयोग है जो जमानत संबंधी कानूनी प्रावधानों में व्यापक परिवर्तन करने की सिफारिश करने जा रहा है।

Recommendations:

- विधि आयोग सिफारिश करेगा कि यदि सात साल तक की कैद की सज़ा के अपराध के आरोप में बंद विचाराधीन कैदी प्रस्तावित सज़ा की एक ढाई या अवधि तिहाई- चाहिए। जाना दिया कर रिहा पर जमानत उसे तो हो चुका गुजार में जेल साल
- हालांकि, आयोग विभिन्न किस्म के अपराध के आरोपों में बंद विचाराधीन कैदियों के प्रति नरमी दिखा रहा है लेकिन वह आर्थिक अपराध के आरोपों में गिरफ्तार आरोपियों के साथ किसी प्रकार की नरमी बरतने के पक्ष में नहीं है।
- जमानत को सहज बनाने के लिये इसमें व्यापक बदलाव के साथ ही विधि आयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-ए में भी संशोधन चाहता है ताकि सात साल से अधिक की सज़ा के अपराध के आरोप में जेल में बंद विचाराधीन कैदी को मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रस्तावित सज़ा की आधी अवधि जेल में गुजारने पर जमानत पर रिहा किया जा सके।

GENERAL STUDIES HINDI

Present law:

इस समय कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी अपराध, जिसकी सज़ा मौत नहीं है, का आरोपी अपने अपराध की सज़ा की आधी अवधि जेल में गुजार चुका है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। आयोग ऐसे विचाराधीन कैदी जो गैर पेश जमानत मौद्रिक- सकता कर नहीं, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र या पैन कार्ड जैसे शासकीय पहचान दस्तावेज जमा कराने की बजाय जमानत के लिये किसी व्यक्ति द्वारा यह वचन दिये जाने पर कि विचाराधीन कैदी आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष पेश होगा तो इसकी अनुमति दी जा सकती है। हालांकि आयोग अभी भी एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर काम कर रहा है। वह है कि यदि पहचान संबंधी दस्तावेज जमा कराने के बाद ऐसा व्यक्ति नहीं आया तो उस स्थिति में क्या होगा।

A cause worth taking action:

- इसे विडंबना ही कहा जायेगा कि केन्द्र में कानून मंत्री हमेशा ही विचाराधीन कैदियों की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते रहे हैं।
- विधि आयोग ने 2016 में एक नया जमानत कानून बनाने का सुझाव दिया था परंतु इस साल के प्रारंभ में उसने इसमें बदलाव कर दिया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि इसके लिये अलग से एक कानून की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा सरकार महसूस करती है कि आरोपियों को अधिकार के रूप में जमानत मिलनी चाहिए और किसी भी आरोपी को इससे तभी वंचित किया जाना चाहिए जब उसके साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने, गवाहों को प्रभावित करने और जेल से बाहर आने पर फिर अपराध करने की आशंका हो।
- दिलचस्प बात यह है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय महसूस करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के मौजूदा प्रावधानों में ही अपेक्षित संशोधन करके अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
- अगर विचाराधीन कैदियों के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का अवलोकन करें तो स्थिति कुछ अलग ही तस्वीर पेश करती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ही सितंबर 2014 में उच्चतम न्यायालय ने भी विचाराधीन कैदियों की रिहाई के संबंध में उच्च न्यायालयों को विस्तृत निर्देश दिये थे। इसके बाद, राजग सरकार के मौजूदा कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने भी इस दिशा में पहल करते हुए सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनसे जिलास्तर की न्यायपालिका को ऐसे मामलों की समीक्षा करने और स्वतः ही कार्रवाई करने का निर्देश देने का आग्रह किया था।

Undertrial Prisoners:

एक अनुमान के अनुसार देश की 1401 जेलों में 67 प्रतिशत से अधिक कैदी विचाराधीन हैं। इस स्थिति से निपटने के लिये अदालतों को युद्धस्तर पर काम करना होगा। एक और पहलू पर गंभीरता से विचार की जरूरत है। वह है गिरफ्तार व्यक्तियों के प्रति पुलिस को संवेदनशील बनाना।

फिलहाल तो विधि आयोग की प्रस्तावित सिफारिशों का इंतजार है। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट पर अमल होने की स्थिति में कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा हो सकेगी।

GENERAL STUDIES HINDI

International Relation& International events

1. दक्षिण एशिया उपग्रह और पडौस नीति

प्रक्षेपित किया गया दक्षिण एशियाई संचार उपग्रह (जीसैट-9) प्रौद्योगिकी के लिहाज से कोई नए आयाम नहीं छूता। लेकिन इससे यह पता चलता है कि स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक अब स्थिर हो चली है। कुल 2,230 किलोग्राम वजन वाला यह उपग्रह संचार, आपदा राहत, मौसम के पूर्वानुमान और समुद्री परिवहन की निगरानी जैसे काम करेगा।

लेकिन यह भारत के अपनी ताकत के सुलझे हुए इस्तेमाल का भी प्रदर्शन करता है। भारत ने पड़ोसी देशों को यह सेवा देकर अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की है।

- श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को इसका फायदा मिलेगा।
- अफगानिस्तान से भी इसके इस्तेमाल को लेकर बातचीत चल रही है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पहले भी उपग्रह से ऐसी सेवाएं दी हैं लेकिन भारत की क्षेत्रीय शक्ति बनने की महत्त्वाकांक्षा को लेकर देखा जाए तो जीसैट-9 पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं के अहम क्षेत्रों के आंकड़े जुटाने में मदद करेगा। इससे हासिल होने वाले अधिकांश आंकड़े साझा किए जाएंगे।
- इन देशों के वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों के बीच निकट सहयोग संभव हो सकेगा।

क्या सेवाएं उपलब्ध कराएगा :

- जीसैट-9 कई संचार सेवाओं से लैस है।
- इसमें शिक्षा और दूरवर्ती चिकित्सा संबंधी टेलीविजन और डायरेक्ट टु होम सेवाएं शामिल हैं।
- इस उपग्रह में 12 केयू बैंड ट्रांसपॉन्डर लगे हैं। प्रत्येक साझेदार देश को दूरसंचार सेवाओं के लिए ऐसा कम से कम एक ट्रांसपॉन्डर दिया जाएगा। हालांकि उनको इसके इस्तेमाल के लिए जमीनी सुविधाएं स्वयं जुटानी होंगी।
- यह उपग्रह अपने साथ रिमोट सेंसिंग तकनीक भी ले गया है ताकि मौसम संबंधी अद्यतन आंकड़े जुटा सके। इसमें भौगोलिक और पृथ्वी से जुड़े आंकड़े शामिल होंगे।
- इसकी मदद से मौसम का बेहतर अनुमान लगाया जा सकेगा और आपदा प्रबंधन कहीं अधिक बेहतर हो सकेगा। भविष्य में कोई तूफान, भूकंप, बाढ़ या सूनामी आने पर यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- जीसैट-9 देश के जीपीएस और भूसंवर्द्धित नेविगेशन सिस्टम गगन के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर भी ले गया है। इससे गगन की पहुंच में सुधार होगा और अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के मुक्त वाणिज्यिक संकेतक को और अधिक सटीक

GENERAL STUDIES HINDI

बनाने में मदद करेगा। ये बेहतर सिग्नल केवल चुनिंदा भारतीय उपयोगकर्ताओं को ही उपलब्ध होंगे।

इससे हम दोहरे उपयोग के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शायद पाकिस्तान द्वारा जीसैट-9 में साझेदारी से इनकार करने की यह भी एक वजह रही होगी। चीन की मदद से पाकिस्तान के पास पहले ही कई संचार उपग्रह मौजूद हैं। श्रीलंका पर भी यही बात लागू होती है। अफगानिस्तान भारत द्वारा निर्मित एक पुराना उपग्रह प्रयोग में लाता है। बांग्लादेश भी फ्रांस की मदद से अपना संचार उपग्रह स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। अंतरिक्ष में विशेषज्ञता और क्षमताओं की बात करें तो भारत अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों से मीलों आगे हैं। यह बात भारत की मदद कर सकती है। वह इसकी बदौलत अंतरिक्ष संबंधी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। जीसैट-9 पड़ोसियों की मदद की नीति में एक और आयाम जोड़ता है। इसकी मदद से भारत अपने निकटस्थ पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। इसरो ने जीसैट-9 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए अपने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया। इसरो ने कूटनीतिक रूप से अहम मिशन के लिए जीएसएलवी का प्रयोग किया जो बताता है कि वह इस तकनीक को लेकर आश्वस्त हो चला है। इसरो को इस दिशा में तेज विकास और आपूर्ति के लिए और अधिक फंड की जरूरत है। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक इस परियोजना पर करीब 7 करोड़ डॉलर की लागत आई यानी करीब 450 करोड़ रुपये। यह उपग्रह 12 वर्ष तक काम करेगा। वाणिज्यिक आधार पर देखें तो इस अवधि में यह आसानी से 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की सेवा देगा।

2. जापान से रिश्ते आगे बढ़ने की कवायद

भारत के साथ सबसे अहम द्विपक्षीय रिश्ते अमेरिका, चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि जापान के साथ माने जा सकते हैं। फिलहाल कोई और देश भारतीय अर्थव्यवस्था की मदद करने की वैसी स्थिति में नहीं है जैसा कि जापान।

USA and JAPAPN

सुरक्षा साझेदारी के मामले में अवश्य अमेरिका सबसे अधिक संभावनाओं से भरा है। परंतु भारत न तो पिछली सरकार और न ही मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जापान के साथ प्रगाढ़ रिश्तों का लाभ लेने की दिशा में उचित ढंग से आगे बढ़ा है। यह भी एक तरीका है जिससे यह समझा जा सकता है कि क्यों भारत का विकास का दायरा और उसकी विकास संबंधी प्राथमिकताएं चीन के उस वक्त के स्वरूप से अलग हैं जब वह भारत के मौजूदा आकार के बराबर था। यह तकरीबन 20 वर्ष पुरानी बात है। चीन ने न केवल व्यापार को अपनाया बल्कि उसने तमाम सांस्कृतिक और आपसी शंकाओं के बावजूद जापानी निवेश का इस्तकबाल किया। विदेशों में रहने वाले चीनी नागरिकों ने जापानी नकदी जमकर बचाई और अरबों डॉलर के निवेश से चीन का स्वरूप बदल दिया। अब चीन अति राष्ट्रवादी

हो गया है और उसका विकास मॉडल छिटक रहा है। जापान की नजर भारत समेत तमाज जगहों पर है।

जापान और भारत के सम्बन्ध

- जापान भारत में पहले ही काफी कुछ कर रहा है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन हाल ही में अपनी जापान यात्रा में कह चुकी हैं कि मॉरीशस और सिंगापुर को छोड़ दिया जाए तो जापान भारत में सबसे बड़ा निवेशक है। वर्ष 2000 के बाद से वह भारत में 25.2 अरब डॉलर की राशि निवेश कर चुका है। वर्ष 2010 तक वह पेंशन और बीमा फंड में 80 खरब डॉलर की राशि लगा चुका था। शिंजो आबे के मंत्रिमंडल ने विदेशों के बुनियादी निवेश में 200 अरब डॉलर के निवेश की बात कही है। कहना नहीं होगा कि यह काफी आसान शर्तों पर दिया जाएगा। निवेश और विशेषज्ञता के मोर्चे पर भी हमारे पास जापान जैसा विकल्प नहीं है।
- सामरिक दृष्टि से भी देखें तो जापान की सेना जो आत्मरक्षा तक सीमित रही आई है अब वह दूसरों की मदद करने लगी है। शिंजो आबे ने जापान की समुद्री क्षमताओं में इजाफा करने की प्रतिबद्घता जताई है। दूसरे विश्व युद्घ के बाद उसने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज तैयार किया है और वह इस समय प्रशांत सागर में छोटे अमेरिकी आपूर्ति जहाज की रखवाली कर रहा है। जुलाई में भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाएं संयुक्त अभ्यास करेंगी। शायद ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शिरकत करे।

रिश्तो में कडवाहट :

- जापानी पूंजी के स्वागत और जापानी सैन्य प्रतिष्ठान के साथ रिश्तों की दलील में दम है। इसके बावजूद हम इस दिशा में जरूरी कदम नहीं उठा पा रहे।
- जापान में भी भारत को लेकर सबकुछ ठीक नहीं है। इसमें सरकार की ही गलती हो ऐसा भी नहीं।
- दाइची सैंक्यो को रैनबैक्सी के साथ सौदे में जो नुकसान हुआ उसका सरकार से कोई लेनादेना नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर जापान की भारत के प्रति निवेश प्रतिबद्घता का यह बहुत बड़ा उदाहरण था और रैनबैक्सी घटनाक्रम ने भावी निवेश को गहरे तक प्रभावित किया।
- लेकिन कुछ बातें हैं जिनके लिए भारत जिम्मेदार है। मसलन टाटा द्वारा एनटीटी डोकोमो का जायज पैसा रोकने की घटना। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आखिरकार इस मामले में कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया। इससे अच्छा संकेत यह गया कि भारत अभी भी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सम्मान करता है। यह जापानी निवेशकों के लिए राहत की बात है।
- इस बीच बाधाएं लगातार आ रही हैं। तमिलनाडु जिसे कारोबारियों के अनुकूल राज्य माना जाता है वह निशान कंपनी को 2,000 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान करने से

GENERAL STUDIES HINDI

इनकार कर रहा है। यह राशि एक द्विपक्षीय निवेश नीति के अधीन उसे चुकाई जानी थी। यह तब हुआ जबकि कंपनी ने वर्ष 2015 में राज्य में 4,500 करोड़ रुपये का निवेश किया था। उसकी योजना इसे दोगुना करने की थी। अगर कंपनियों के साथ ऐसा व्यवहार हो तो फिर प्रधानमंत्री और मंत्रियों की यात्रा का क्या औचित्य हो सकता है?

जापान को भारत की जरुरत

जापान भारत के लिए अपवाद बनने को तैयार है और इसकी वजहें भी हैं। जापान उम्रदराज हो रहा है और उसे प्रतिफल चाहिए। हमारी आबादी युवा है और हमारे यहां वृद्घि की संभावना है। लेकिन हम प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। यह बात सुरक्षा के मोर्चे पर भी नजर आई। यह सच है कि मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार की हिचक तोड़ी है और उसने जापान को मालाबार अभ्यास में शामिल किया। इसके लिए चीन की नाराजगी भी मोल ली गई। जापान ने भी आसामान्य रुचि दिखाते हुए हमें नए यूएस-2 सी प्लेन की पेशकश की। यह एक बड़ा सौदा है। जापान आमतौर पर उन्नत रक्षा उपकरण बेचता नहीं है। यह पेशकश हमारी जरूरत के मुताबिक है। इसके दो इस्तेमाल हैं। इसे बचाव और खोज अभियान में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इसकी मदद से एक लंबे इलाके की निगरानी भी की जा सकती है। यह पेशकश हमें आठ साल पहले की गई थी। चार साल पहले इसे दोहराया गया लेकिन इस पर अभी भी विचार ही चल रहा है। आखिर हम इतने अहम साझेदार की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? समय बीतने के साथ हमें जापान के सहयोग की और अधिक आवश्यकता पडऩे वाली है।

क्या हो कदम

इस दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना है। भारत को अधिक से अधिक छात्रों और प्रशिक्षुओं को जापान भेजने की आवश्यकता है। भारत को जापान में चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। अबे सरकार को जापान में काम कर रही भारतीय चिकित्सा परिचारिकाओं के साथ सहज बनाने के लिए जो किया जा सके करना चाहिए। उम्रदराज होते जापान में ऐसे देखरेख करने वालों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर इसके लिए नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पड़े तो वह भी करना चाहिए। यह काम पूर्वोत्तर में किया जा सकता है जहां जापानी भाषा पढ़ाई जाती है। लेकिन सबसे बढ़कर हमें अपने रवैये में बदलाव लाना होगा। ठीक वैसे ही जैसे चीन ने दशकों तक किया। हमें जापान को अहसास कराना होगा कि उसका हमारे यहां स्वागत है। जापान के साथ रिश्ते ने चीन की तस्वीर बदल दी थी। यह बदलाव हमारे यहां भी घटित हो सकता है।

3. चीन और आसियान देश दक्षिण चीन सागर पर लंबे समय से जारी विवाद सुलझाने के लिए नियम बनाने पर सहमत

GENERAL STUDIES HINDI

दक्षिण चीन सागर पर जारी टकराव को दूर करने की कोशिशें आगे बढ़ती दिख रही हैं.

- इसे लेकर चीन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के सदस्य देशों के बीच एक बैठक हुई. इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए लंबे समय से अटकी पड़ी आचार संहिता की रूपरेखा पर सभी पक्षों में सहमति बन गई है. आसियान में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ब्रुनेई और लाओस शामिल हैं.

Why conflict:

प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दक्षिण चीन सागर व्यापारिक परिवहन का भी एक प्रमुख जरिया है. चीन और ज्यादातर आसियान देशों के बीच इसे लेकर काफी समय से टकराव है. चीन इस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार बताता है. इसके अलावा ब्रूनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी इस पर अपना दावा जताते हैं. लेकिन, बीते साल जुलाई में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय पंचाट का फैसला फिलीपींस के पक्ष में आने के बाद इसको लेकर सभी दावेदारों के बीच तनाव बढ़ गया था. चीन ने कहा था कि वह इस फैसले को नहीं मानेगा. वहां के सरकारी मीडिया में आई खबरों में यह भी कहा गया कि चीन अमेरिका के साथ संभावित सैन्य टकराव की तैयारियों में जुट गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए कि दक्षिण चीन सागर विवाद पर चीन के दावों का मुकाबला करने के लिए वह पहले से ज्यादा सख्त नीति अमल में लाएंगे.

अब इस नए घटनाक्रम से यह तनाव कुछ हद तक छंटने की उम्मीद है. हालांकि आसियान देशों के कुछ अधिकारी इस घटनाक्रम को लेकर आशंकित हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि चीन ज्यादा ईमानदार हो गया है या फिर आसियान देशों ने इतनी रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है कि वे चीन को कुछ नियम मानने के लिए बाध्य कर सकें.

GENERAL STUDIES HINDI

4. पाकिस्तान के भीतर भी संप्रभुता का सवाल और OBOR

भारत और OBOR

चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर बीते दिनों बीजिंग में आयोजित सम्मेलन में भारत ने हिस्सा नहीं लिया. चीन पाकिस्तान औद्योगिक गलियारा (सीपेक) भी इस परियोजना का हिस्सा है जिसका भारत संप्रभुता के आधार पर विरोध कर रहा है. यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है. भारत ने इस पर आपत्ति जताते हुए चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया है.

पकिस्तान में सवाल

लेकिन अब चीन पाकिस्तान औद्योगिक गलियारे को पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए भी खतरा बताया जा रहा है. पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डान ने इस औद्योगिक गलियारे से संबंधित प्रमुख दस्तावेजों के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसके मुताबिक इस गलियारे के लिए जिस दस्तावेज पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं, उसमें कई ऐसी बातें हैं जो किसी भी संप्रभु देश के लिए आपत्तिजनक होनी चाहिए.

- दस्तावेज में यह लिखा है कि चीन पाकिस्तान से चीनी नागरिकों और कारोबारियों के पाकिस्तान आने-जाने के लिए वीजा की बाध्यता को समाप्त करने की उम्मीद कर रहा है
- इस आधार पर यह अंदेशा भी जताया जा रहा है कि कहीं चीन पाकिस्तान की स्थिति भी तिब्बत की तरह बनाने की योजना पर तो नहीं काम कर रहा. इस अंदेशे को बल इस तथ्य से भी मिल रहा है कि चीन में रह रहे मुस्लिम स3मुदाय की स्थिति अच्छी नहीं है. उसे कई तरह के सरकारी दमन का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में पाकिस्तान जैसे मुस्लिम राष्ट्र पर चीन के इतने बड़े दांव को लेकर कई स्तर पर संदेह जताया जा रहा है. कई जानकारों का मानना है कि इससे पाकिस्तान चीन का आर्थिक उपनिवेश बन जाएगा.
- दूसरी आपत्तिजनक बात यह बताई जा रही है कि पूरे औद्योगिक गलियारे पर 24 घंटे वीडियो कैमरों के जरिए निगरानी होगी, लेकिन इस निगरानी के लिए जो आॅफिस बनाया जाएगा वह कहां होगा, यह स्पष्ट नहीं है. डाॅन के मुताबिक संभव है कि चीन पाकिस्तान की सीमा में बनने वाले औद्योगिक गलियारे के इन वीडियो फीड की निगरानी अपनी जमीन से करे. अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि यह पाकिस्तान की संप्रभुता के विरुद्ध होगा क्योंकि इससे चीन को पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से की पल-पल की जानकारी मिलती रहेगी
- कहने को तो यह औद्योगिक गलियारा है लेकिन इसके मूल दस्तावेज में चीन कई ऐसी शर्तें पाकिस्तान के सामने रख रहा है जिनसे पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र में चीन का काफी दखल बढ़ जाएगा| बीज से लेकर फसलों के प्रसंस्करण तक में चीन की भूमिका बढ़ने के स्पष्ट संकेत इस दस्तावेज से मिलते हैं. साथ ही चीनी संस्कृति को पाकिस्तान में बढ़ावा देने वाले कदमों की चर्चा भी इस दस्तावेज में की गई है. इन सभी बिंदुओं को देखते हुए पाकिस्तान में एक वर्ग इस औद्योगिक गलियारे को लेकर सवाल उठाने लगा है. पहले से ही पाकिस्तान के कुछ हिस्से में इस औद्योगिक गलियारे के लिए प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद चल रहा है. जिनकी जमीन इसके लिए जानी है उनमें से एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है.

National Issue

1. भारतीय आईटी सेक्टर का संकट अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी बड़ी चेतावनी

#Editorial Indian Express

IT Sector in Crisis

मेक इन इंडिया कार्यक्रम ठीक उसी क्षेत्र में लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है जिसके बारे में यह अनुमान लगाया जाता था कि वह भविष्य की चुनौतियों का सामना सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र (आईटी सेक्टर) के विकास की इमारत मुख्य रूप से निजी कंपनियों की बुनियाद पर खड़ी है. लेकिन इस वक्त इन कंपनियों के हजारों कर्मचारियों पर छंटनी का खतरा मंडरा रहा है.

Report on IT Jobs:

- माना जा रहा है कि इस साल देश की आईटी कंपनियां तकरीबन 56 हजार कर्मचारियों की छंटनी कर सकती हैं. हालांकि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के संगठन नैसकॉम ने इसे बढ़ा-चढ़ा अनुमान बताया है.
- संगठन के मुताबिक रोजगार पैदा करने में आज भी आईटी सेक्टर की अहम हिस्सेदारी है, फिर भी वह मानता है कि 2008 के वॉल स्ट्रीट संकट के बाद पैदा हुई मंदी के चलते कंपनियों द्वारा अपने राजस्व की तुलना में नौकरियां देने की दर लगातार कम हुई है.
- दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच1बी वीजा से जुड़े नियमों की सख्ती से भी कंपनियों के राजस्व पर असर पड़ना तय है. इसके चलते इन्फोसिस ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए घोषणा की है कि वह अमेरिका में चार टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करेगी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे क्षेत्रों में दस हजार अमेरिकियों को नौकरी देगी.
- रिक्रूटमेंट फर्म हेड हंटर्स इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसने छंटनी के आंकड़े को और बढ़ाकर दिखाया है. इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारतीय आईटी सेक्टर अगले तीन सालों में हर साल 1.75 हजार से दो लाख तक कर्मचारियों की छंटनी करेगा. फर्म के मुताबिक इस छंटनी की मुख्य वजह यह होगी कि कंपनियां तेजी से बदलते बाजार के मुताबिक अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित नहीं कर पाएंगी.

Reason for these job losses

- परंपरागत रूप से आईटी सेक्टर पहले पर्सनल कंप्यूटर पर केंद्रित था, फिर इसकी जगह मोबाइल फोन ने ले ली. इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम आ गया और

अब हर जरूरत के लिए ऐप का विकास हो रहा है. इस तरह आईटी सेक्टर बुनियादी तौर पर बदल रहा है. अब आईटी सेक्टर में नैनो टेक्टनोलॉजी, रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे कई क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है, इस क्रम में जो पुराने ढर्रे की कंपनियां और कर्मचारी हैं, वे पीछे छूट जाएंगे.

- आईटी सेक्टर में हलचल मचाने वाले ये कारक जल्द ही दूसरे क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे और इनकी वजह से और दूसरे रोजगार भी खतरे में पड़ जाएंगे. आज से कुछ समय पहले की ही बात है जब ट्रेवल एजेंट या स्टेनोग्राफर जैसी नौकरियां बहुतायत में पाई जाती थीं लेकिन आज ऑनलाइन टिकट और टूर बुक करने से लेकर टाइपिंग जैसी चीजें इतनी आम हो गई हैं कि ये नौकरियां तकरीबन खत्म हो चुकी हैं.
- कुछ ही सालों में अपनी वेबसाइट तैयार करना इतना आसान होने जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति यह काम आसानी से कर पाएगा. जाहिर है इससे आईटी सेक्टर की निचले दर्जे की हजारों नौकरियां खत्म हो जाएंगी. स्वचालित इलेक्ट्रिक कारों का भी व्यवहारिक इस्तेमाल ज्यादा दूर नहीं हैं. इनके सड़कों पर उतरने के बाद भी कई रोजगार खत्म होंगे. पिछले दिनों आईबीएम ने वाट्सन नाम का सुपर कंप्यूटर विकसित कर लिया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस है और जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी समस्या का विश्लेषण कर सकता है. इससे कोई भी सवाल किया जा सकता है और यह ठीक इंसानों की तरह सोच-विचारकर उसका सही जवाब दे सकता है. बड़ी संख्या में वकील इस सुपर कंप्यूटर से आशंकित हैं क्योंकि यह कानूनी पेचीदगियों को आसानी से समझा सकता है. यानी इसके चलन में आने से उनकी आमदनी कम हो सकती है.

What to be done:

इतनी ज्यादा छंटनी होने और नौकरियों के कम होने के बाद जो लोग बचेंगे उन्हें नई तकनीक में प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि उन्हें स्वचालित मशीनों के विकास के काम में लगाया जा सके. भविष्य में सर्जन्स को सिर्फ यह जिम्मेदारी मिल सकती है कि वे सर्जरी करने वाले रोबोटों पर निगाह रखें. इससे उनके रोजगार में भी कटौती होगी. यह भी हो सकता है उन्हें फिर ऐसे रोबोट डिजाइन करने वाली प्रयोगशालाओं में ही नौकरी मिले या फिर यहां भी उनके लिए काम के मौके खत्म हो जाएं.

ये ऐसे वास्तविक मुद्दे हैं जिन पर कंपनियों को सोचना होगा ताकि वे प्रतिस्पर्धा में बनी रहें. ये भविष्य में लगने वाले अवश्यंभावी लेकिन अनिश्चित झटके हैं सो सामाजिक तानेबाने को बचाए रखने के लिए सरकार को रचनात्मक तरीके से दखल देने की जरूरत है. इस समय आईटी सेक्टर में जो अनपेक्षित हलचल दिखाई दे रही है उसे पूर्व चेतावनी की तरह समझा जा सकता है, लेकिन भविष्य में अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में जो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, उनका सामना करने की तैयारी का यह मौका भी है

GENERAL STUDIES HINDI

2. सामरिक साझेदारी नीति : विश्लेषण

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा मंत्रालय की सामरिक साझेदारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन छह भारतीय कंपनियों के चयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है जो विदेशी निर्माता कंपनियों के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर, विमान, पनडुब्बी और हथियारबंद वाहन बनाने का काम करेंगी। इस नीति का ब्योरा सार्वजनिक कर उसे रक्षा खरीद नीति 2016 में शामिल किया जाना है।

- मंत्रालय इन साझेदारों के चयन में धीरेंद्र सिंह समिति (2015) और वी के अत्रे कार्यबल (2016) की अधिकांश अनुशंसाओं को मानने का इच्छुक है।
- ये साझेदार विदेशी कंपनी के साथ साझा उद्यम बनाएंगे और चार तय श्रेणियों में रक्षा मंत्रालय के निविदा जारी करने पर हथियार खरीद की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे।
- नौसेना की छह पारंपरिक पनडुब्बी तैयार करने की मांग अब आगे बढ़ेगी और सेना को हथियारबंद वाहन और हेलीकॉप्टर की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी।

विश्लेषण

- लेकिन एक अनिश्चितता अब भी है। इस नीति में रक्षा निर्माण भारत को स्थानांतरित करने की बात शामिल है या नहीं इस पर भी संदेह है ।
- भारतीय कंपनियों तथा विदेशी साझेदारों के लिए एक अहम समस्या यह है कि भारत में उत्पादन करने वाले संयुक्त उद्यमों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर 49 फीसदी की सीमा निर्धारित की गई है।
- विदेशी कंपनियों की शिकायत है कि यह सीमा उनको संयुक्त उद्यम में इस्तेमाल होने वाली तकनीक पर पूरा नियंत्रण नहीं देती। ऐसे में देश में उच्च तकनीकयुक्त उपकरण नहीं बन पाएंगे क्योंकि विदेशी कंपनियां उच्च तकनीक वाले घटक, सिस्टम्स आदि की आपूर्ति विदेश से करेंगी।
- भारतीय कंपनियां अलग वजह से दुखी हैं। उनकी शिकायत है कि 51 फीसदी की न्यूनतम हिस्सेदारी से उन पर सारा जोखिम आ गया है जबकि सारे पत्ते तो विदेशी साझेदार के हाथ में होंगे। यानी तकनीकी ज्ञान तो उनके पास होगा।
- चिंता तो यह भी है कि नई सामरिक साझेदारी नीति बहुत संकीर्ण सोच वाली है। इसका लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि वह सिस्टम्स का एकीकरण करे। यानी विदेशों में बने उपकरणों और हथियारों को भारत में एक सैन्य प्लेटफॉर्म पर असेंबल करे।

क्या होना चाहिए

- इसके बजाय नीति ऐसी होनी चाहिए कि भारत में रक्षा उपकरणों और हथियार के निर्माण का पूरा माहौल तैयार किया जा सके।

GENERAL STUDIES HINDI

- इसमें पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के आपूर्तिकर्ता, कलपुर्जे और अन्य सामान निर्माता सब शामिल हों।
- इसके अलावा बाद में रखरखाव, मरम्मत, सुधार और उनको उन्नत बनाने की पूरी व्यवस्था भी भारत में होनी चाहिए।

फिलहाल इस नीति में यह सब शामिल नहीं है। न ही इसमें वैश्विक निर्माता कंपनियों की जटिल निर्माण श्रृंखला को स्थान दिया गया है। कई भारतीय रक्षा कंपनियों के अधिकारी मानते हैं कि भारतीय कंपनियों के बजाय उन विदेशी निर्माता कंपनियों को वरीयता दी जानी चाहिए। इसमें बहुलांश हिस्सेदारी और सहयोगी छोटे कारोबारियों से चर्चा आदि शामिल है। इसमें निर्माण का एक खास हिस्सा भारत में करने की शर्त होनी चाहिए। मंत्रालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि संयुक्त उद्यम पर सामरिक नियंत्रण हो। वहां भी जहां बहुलांश हिस्सेदारी विदेशी साझेदार के पास हो। इसमें केवल भारतीय कर्मचारियों का होना, इसका भारतीय धरती पर होना और भारतीय अधिकारियों द्वारा इसका संचालन होना मात्र यह तय कर सकता है। इस नीति को वैश्विक रक्षा उद्योग की हकीकत से वाकिफ होना चाहिए।

3. पशु कल्याण नई नियमावली की अधिसूचना और संघीय ढांचा

पशुओं के प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने का कानून 1960 में ही बन गया था। पर इस कानून के तहत जैसी नियमावली अब जाकर जारी की गई है, पहले की किसी सरकार ने उसकी जरूरत महसूस नहीं की।

विवाद :

बीते हफ्ते पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नियमों को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। दरअसल, इन नियमों को बनाना जितना आसान है, इन्हें लागू करना उतना ही मुश्किल।

- केरल और मिजोरम ने नए नियमों को नागरिक अधिकारों पर हमला करार देते हुए इनके विरोध का आह्वान किया है और इन्हें लागू न करने की घोषणा की है।
- केरल में तो मुख्य विपक्ष यानी कांग्रेस ने भी विरोध जताया है। क्या पता कुछ और राज्य भी विरोध में खड़े हो जाएं।
- केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों के विरोध की मूल वजह वहां के लोगों की भोजन संबंधी आदतें हैं

Security Issues:

1. नक्सली समस्या से निपटने के लिए 'समाधान' सूत्र

In news:

गृहमंत्री ने नक्सली समस्या से निपटने के लिए एकीकृत कमान के गठन की बात कही है. इसके लिए उन्होंने इससे प्रभावित सभी राज्यों को एक साथ आकर साझा रणनीति अपनाने की अपील की है

गृहमंत्री ने इस चुनौती से निपटने के लिए आठ सूत्रीय 'समाधान (SAMADHAN)' सूत्र का प्रस्ताव रखा है. यहां समाधान का मतलब है-

- कुशल नेतृत्व (स्मार्ट लीडरशिप)
- आक्रामक रणनीति (एग्रेसिव स्ट्रेटजी)
- प्रोत्साहन और प्रशिक्षण (मोटीवेशन एंड ट्रेनिंग)
- कारगर खुफिया तंत्र (एक्शनेबल इंटेलीजेंस)
- कार्ययोजना के मानक (डेशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर)
- प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल (हार्नेसिंग टेक्नॉलॉजी)
- प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना (एक्शन प्लान फॉर थियेटर) और
- नक्सलियों की फंडिंग बंद करना (नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग) शामिल है.

2. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है नक्सलियों पर नियंत्रण

#Editorial_Bhaskar

GENERAL STUDIES HINDI

सुकमा में नक्सली हमले और जवानों की शहादत के बाद केंद्र सरकार नक्सलियों को जवाब देने के लिए सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने में जुट गई है परंतु, क्या सिर्फ सुरक्षाबलों की कार्रवाई से ही समस्या का समाधान हो सकता है?

- हमलों में घायल जवानों के अनुसार नक्सलियों ने गांव के लोगों की आड़ में हमला किया, तो क्यों न उनके ही समर्थन आधार को कमजोर किया जाए।
- आंतरिक संघर्ष के स्थान पर आदिवासियों और गांव वालों को मुख्य धारा से जोड़ना बेहतर विकल्प हो सकता है।

अब प्रश्न यह उठता है, क्यों और कैसे? यह विकल्प 'क्यों' बेहतर है इसके कारण है। एक, अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहते हैं तो देश के विभिन्न प्रांतों में आंतरिक शांति के साथ नक्सलवाद का अंत आवश्यक है। दो, नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोयले, लौह अयस्क और बॉक्साइट से समृद्ध है किंतु, इनका अवैध और अपूर्ण

उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था की उन्नति में बाधक है। इन क्षेत्रों में विकास के लिए निवेश बेहतर कदम होगा। तीन, भारतीय वायुसेना का सिंगारसी हवाई ठिकाना नक्सली क्षेत्र के समीप है। यह वायु ठिकाना पांच पड़ोसी देशों (जिसमें चीन भी शामिल है) कि हवाई गतिविधियों की निगरानी करता है।

अब जानते हैं 'कैसे'?

ज्यादातर नक्सल प्रभावित इलाके आदिवासी बहुल हैं। 2011 की गणना के अनुसार इन क्षेत्रों की साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय और आधारभूत सुविधाएं शेष भारत की तुलना में निचले स्तर पर है। सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए नीतियां बनाई है परंतु कुछ ही चल रही हैं। प्रमुख कारण हैं राष्ट्रीय और राज्य सरकार के बीच कमजोर ताल-मेल और भ्रष्टाचार। आवश्यक है कि दोनों साझेदार बनकर राष्ट्रव्यापी पुनर्वास कार्यक्रम की शुरुआत करें। विकास और रोजगार पैदा करने के प्रयासों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, कुशल सहकारी मशीनरी आदि की उपस्थिति होनी चाहिए। इससे नक्सलियों का आधार कमजोर होगा और आदिवासियों में यह विश्वास जगेगा कि वे

मुख्यधारा में श्रेष्ठतर स्थिति में होंगे।

3. सुकमा के सबक

Why in news:

छत्तीसगढ़ के सुकमा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के (सीआरपीएफ)90 सदस्यीय दल पर नक्सलवादियों के हमले और उसमें 25 जवानों की शहादत ने फिर एक बार न सिर्फ वामपंथी अतिवाद के खतरे को रेखांकित किया है, बल्कि उस सीआरपीएफ की तैयारी, उनके साधनों, प्रशिक्षण और रणनीति पर भी प्रश्न चिह्न लगाया है, जो इस संघर्ष में सबसे अधिक योगदान दे रहा है। सुकमा हमले से अप्रैल 2010 में ऐसे ही घात लगाकर किए हमले में सीआरपीएफ के 75 जवानों के शहीद होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना याद आती है, जिसके बाद नक्सली हथियार व विस्फोटक लेकर भाग गए थे।

Problem as it is no solution till now?

जैसाकि अनुमान था इस घटना से हर तरफ रोष और गुस्सा है और नक्सलियों को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन, यह तथ्य स्पष्टीकरण से परे हैं कि पांच दशक से चल रहे नक्सल विरोधी अभियान और माओवादी क्षेत्र में बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस की तैनाती के बाद भी इस समस्या को लेकर कोई सुनियोजित रणनीति दिखाई नहीं देती। खेद है कि इन क्षेत्रों में हमारे सुरक्षा बल हावी होते दिखाई नहीं देते। यह समस्या इस तथ्य से और जटिल हो गई है कि नक्सल प्रभावित गलियारा कई राज्यों से होकर गुजरता है और इनसे निपटने की किसी साझी योजना के अभाव में हर राज्य सरकार नक्सलियों से

अपनी रणनीति के अनुसार निपटने में लगी है। इसके कारण हमारे सीआरपीएफ और पुलिस बलों को जवानों के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके साथ लोगों का धैर्य खत्म होता जा रहा है।

Attacks before?

जहां पिछले साल छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा में काफी कमी आई थी, जब ऐसी मुठभेड़ों में हमारे बलों के 36 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2007 में यह संख्या 182 थी। वैसे 2005 और 2017 के बीच नक्सल हमलों में देशभर में सुरक्षा बलों के 1,910 जवान शहीद हुए, जिनमें 954 तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में हमलों के शिकार हुए। इसमें हाल में हुआ नक्सली हमला भी शामिल है।

Is insufficient training responsible for such ambush?

कई दशकों से सीआरपीएफ और पुलिस बलों तथा नक्सलियों के बीच संघर्ष में एक बात प्रखरता से स्पष्ट हुई है कि वह यह कि सीआरपीएफ में सैनिकों की भर्ती की जाती है तथा उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिए बगैर वर्दी पहनाकर समस्या पर काबू पाने को कह दिया जाता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से यह मुद्दा संसद में उठाया है और इसके तहत सुरक्षा बलों में बारूदी सुरंग विरोधी वाहनों के अभाव का मामला खासतौर पर उठाया है। नक्सली क्षेत्रों में एक के बाद एक होने वाली मुठभेड़ों और घात लगाकर किए हमलों में सीआरपीएफ और पुलिस दलों की कमजोरी बार बख्तरबंद आवाजाही की बलों है। हुई उजागर बार-इलेक्ट्रॉनिक) आईईडी व लॉन्चर ग्रेनेड और हमलों किए लगाकर घात से करने में गाड़ियों मा-जान से हमलों के (विस्फोटकोंल के नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। वर्ष 2010 में केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के लिए 350 बारूदी सुरंग विरोधी वाहनों की मंजूरी दी थी लेकिन, मार्च 2017 में भी सीआरपीएफ के पास ऐसे सिर्फ 122 ही वाहन थे। इनमें से भी करीब दर्जनभर वाहन जम्मूहैं गए जाए ले कश्मीर-, जहां पर सीआरपीएफ को 2016 के बाद से नक्सलियों जैसे आईईडी हमलों की आशंका लगने लगी है।

Are forces not fully equipped to contain Naxalism?

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बलों की लड़ने की अपर्याप्त क्षमता माकूल जवाब देने में सुरक्षा बलों की नाकामी का प्रमुख कारण बनी हुई है। फिर नक्सली अथवा माओवादी अभियान चलाने में केंद्र सरकार पर राज्य पुलिस बलों की निर्भरता भी उतना ही अहम कारण है। राज्यों और विभिन्न नक्सली इलाकों के बीच खुफिया जानकारी के आदान प्रदान--गैर लगातार नक्सली भी का अभाव के तालमेल क्षेत्रीय और व्यवस्था संस्थागत लिए के हैं रहे उठाते फायदा, यह बार बार-होने वाले हमलों से स्पष्ट है।

अविभाजित आंध्र प्रदेश का ग्रेहाउंड्स नामक विशेष बल नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे कारगर बल रहा है, जो नक्सली हिंसा का ट्रेंड उलटने में कामयाब रहा था। आंध्र

में 2005 के बाद से 429 अति वामपंथी अथवा नक्सली मारे गए हैं और इनके हमलों में सुरक्षा बलों के 36 जवानों की जानें गई हैं। इसी तरह 2014 में बने तेलंगाना में चार नक्सली मारे गए हैं और सुरक्षा बलों में से कोई हताहत नहीं हुआ। वर्ष 2012 में गृह मंत्रालय ने नक्सली और माओवादी हिंसा से ग्रस्त पांच राज्यों में ग्रेहाउंड्स जैसे बल गठिन करने का प्रस्ताव रखा था। जाहिर है कि यह प्रस्ताव अब तक धरातल पर साकार नहीं हुआ है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में। खुफिया जानकारी एकत्र करने में जाहिर खामी के अलावा, इस बात के भी स्पष्ट सबूत हैं कि सीआरपीएफ भी रणनीति और जमीनी व्यूहकौशल में पिछड़ा हुआ है। घात लगाकर होने वाले हमले रोकने के लिए गश्ती दलों के आसपास निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल पर्याप्त नहीं है। सुकमा जैसे हमलों में एक चौथाई-व्यूहरचना को नेतृत्व सीआरपीएफ बाद के घटना दुर्भाग्यपूर्ण की देने खो दल गश्ती, प्रशिक्षण और हथियार व उपकरणों की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। मुंबई में 26 नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमले के बाद मैंने गृह मंत्रालय में मौलिक फेरबदल की मांग करते हुए आंतरिक सुरक्षा के काम नए केंद्रीकृत व जवाबदेह आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय को सौंपने का आग्रह किया था। अब इसका समय आ गया है।

Conclusion

हमारे सीआरपीएफ जवानों की सेवा और बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और सरकार के िलए, खासतौर पर गृह मंत्रालय के लिए यह चेतने का वक्त है। सुकमा हमला नक्सलवाद के खिलाफ 26/11 जैसा पल है। नक्सलियों, माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ हमारे वर्दीधारी जवानों का जीवट और परिश्रम न हो बल्कि उन्हें बेहतर व्यूहरचना, साजोंसामान-, प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्पित रणनीति का भी साथ मिलना चाहिए। इसे संबंधित राज्य और केंद्र सरकार के संसाधनों और नेतृत्व की मिलचाहिए। मिलनी शक्ति जुली-

4. मैनचेस्टर में दहशतगर्दी का दायरा

GENERAL STUDIES HINDI

#Editorial_Jansatta

In news:

ब्रिटेन के मैनचेस्टर में जो घटित हुआ उसने इस देश को ही नहीं, पूरे यूरोप को दहला दिया है। बाकी दुनिया के माथे पर भी दुख और चिंता की लकीरें पढ़ी जा सकती हैं। मैनचेस्टर में हुए विस्फोट में बाईस लोगों के मारे जाने और दर्जनों लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। मारे गए और घायल हुए लोगों की तादाद से जाहिर है कि हमले के पीछे इरादा अधिक से अधिक कहर बरपाना और बड़े पैमाने पर आतंक पैदा करना था। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आइएस ने ली है। यों आइएस इराक तथा सीरिया में कई इलाके गंवा चुका है जो उसके कब्जे में थे। पर आतंकी वारदात करने की उसकी ताकत बरकरार है। मैनचेस्टर एरिना में हमला अमेरिकी पॉप स्टार एरियाना ग्रैंडे के कंसर्ट के दौरान हुआ। एरियाना बच्चों, किशोरों और युवाओं में खासी लोकप्रिय हैं, लिहाजा कंसर्ट के दौरान उन्हीं की मौजूदगी अधिक थी और स्वाभाविक ही मारे गए तथा घायल हुए लोगों में भी ज्यादातर

वही हैं। अपने बच्चों के मारे जाने की खबर पाकर या उन्हें लापता समझ कर ट्विटर पर उनकी फोटुएं पोस्ट करते माता-पिताओं पर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना भी सिहराने वाली है।

हमले के सिलसिले में मैनचेस्टर पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, पर उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया है। यों वहां की पुलिस ने अनुमान जताया है कि यह आत्मघाती हमला था और हो सकता है इसेसिर्फ एक व्यक्ति ने अंजाम दिया हो। लेकिन हमले की योजना बनाने और उसे ठिकाने तक पहुंचाने में कुछ और लोग भी जरूर शामिल रहे होंगे। देखना है उनके सुराग कब तक पुलिस के हाथ लगते हैं! इस घटना से फिर जाहिर हुआ है कि एक आतंकी गुट अपने अनुयायी के दिलोदिमाग को इतना जहरीला इतना क्रूर इतना वहशी बना देता है कि उसे भरसक ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार डालना ही 'पवित्र मकसद' नजर आता है।

Why target these areas:

यह पहला मौका नहीं है जब कोई कंसर्ट या पब या रेस्तरां आतंकवाद का निशाना बना हो। आइएस और अल कायदा जैसे आतंकी संगठन ऐसी जगहों को पश्चिमी संस्कृति के अड्डे मान कर इन्हें पहले भी निशाना बना चुके हैं। फिर, ऐसे स्थानों पर जमा भीड़ में उन्हें ज्यादा से ज्यादा कहर मचाने का मौका भी दिखता है। नवंबर 2015 में पेरिस में भी आतंकी हमला एक कंसर्ट हॉल को लक्ष्य करके हुआ था, जिसमें 89 लोग मारे गए थे। इस हमले से सारी दुनिया हिल गई थी। फिर, आतंकवाद से लड़ने और उसे समूल उखाड़ फेंकने के खूब संकल्प किए गए। सारे यूरोप में सुरक्षा संबंधी निगरानी बढ़ा दी गई। खुफिया जानकारी के लेन-देन में तेजी आ गई। पर सारे संसाधन, सारी तकनीकी दक्षता के बावजूद यूरोप एक बार फिर उतना ही अरक्षित नजर आने लगा है। मैनचेस्टर की त्रासदी पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों और राजनेताओं ने शोक जताया है और आतंकवाद के खिलाफ ब्रिटेन का साथ देने का भरोसा दिलाया है। पर ऐसे बयान अक्सर अवसरोचित रस्म अदायगी भर साबित होते रहे हैं। आतंकवादी घटनाओं ने यूरोप के कई देशों में आप्रवासियों को शक की नजर से देखने की प्रवृत्ति और दक्षिणपंथी राजनीति को तो खूब हवा दी, मगर नागरिकों की सुरक्षा के मोर्चे पर क्या हासिल हुआ है?

GENERAL STUDIES HINDI

ECONOMY

1. वित्त वर्ष में बदलाव के क्या हैं मायने?

#Business_Standard_Editorial

In news:

मध्य प्रदेश ने वित्त वर्ष की शुरुआत जनवरी से करने का निर्णय लिया है और केंद्र सरकार भी यह फैसला लागू कर सकती है। मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में फिलहाल वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और अगले साल 31 मार्च को वित्त वर्ष पूरा होता है। (हालांकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है लेकिन सामान्य प्रावधान अधिनियम 1897 में यह परिपाटी निहित है।) यहां ध्यान में रखना होगा कि निजी कंपनियों और कारोबारी संगठनों के लिए जरूरी नहीं है कि वे सरकारी वित्त वर्ष के मुताबिक ही अपना लेखा-जोखा रखें। अगर सरकार वित्त वर्ष में बदलाव करती है तो भी कारोबारी जगत के लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं होगा।

Background:

- भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था और 1867 तक वित्त वर्ष की गणना 1 मई से 30 अप्रैल तक होती रही थी।
- हालांकि वर्ष 1867 में ब्रिटिश सरकार के साथ साम्यता स्थापित करने के मकसद से भारत में भी वित्त वर्ष का समय बदल दिया गया।
- वर्ष 1865 में भारतीय खाता जांच आयोग बना था जिसमें असिस्टेंट पेमास्टर जनरल फॉस्टर और डिप्टी अकाउंटेंट जनरल व्हिफेन सदस्य बनाए गए थे। उस आयोग ने वित्त वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से करने का सुझाव दिया था। लेकिन तत्कालीन भारत सचिव इससे सहमत नहीं हुए। उनका मानना था कि ऐसा करने से ब्रिटिश सरकार के साथ भारतीय शासन का तालमेल स्थापित करने में समस्या खड़ी हो जाएगी।
- वर्ष 1913 में भारतीय वित्त एवं मुद्रा पर सुझाव के लिए गठित शाही आयोग (जिसे चैम्बरलिन आयोग के नाम से भी जाना जाता है) ने भी इस पर अपना सुझाव दिया था। चैम्बरलिन आयोग ने कहा था, 'वित्तीय नजरिये से यह साफ नजर आता है कि वित्त वर्ष का वर्तमान समय बजट के लिहाज से काफी असुविधाजनक है। हमारी तरफ से सुझाव है कि वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल के बजाय 1 नवंबर या 1 जनवरी से की जाए। इस सलाह को अमल में लाने में कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां आ सकती हैं लेकिन वित्तीय रूप से यह उल्लेखनीय सुधार होगा।'
- **आजादी के बाद वर्ष 1958** में लोकसभा की अनुमान समिति ने भी अपनी 20वीं रिपोर्ट में वित्त वर्ष की शुरुआत की तारीख बदलने की संस्तुति की थी। समिति का कहना था कि 1 अप्रैल के बजाय 1 अक्टूबर से वित्त वर्ष शुरू किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधारों के लिए गठित पहले आयोग ने 1966 में पेश अपनी

GENERAL STUDIES HINDI

रिपोर्ट में भी वित्त वर्ष को 1 अप्रैल से शुरू करने के खिलाफ राय दी थी। आयोग के वित्तीय प्रशासन अध्ययन दल ने 1 जनवरी के बजाय 1 अक्टूबर से नया वित्त वर्ष शुरू करने के पक्ष में तर्क दिए थे।

- **वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण पर पेश चौथी रिपोर्ट** में भी कहा गया था कि '1 अप्रैल से वित्त वर्ष की शुरुआत न तो भारत की परंपराओं पर आधारित है और न ही यह हमारे देश की जरूरत पर आधारित है। हमारी अर्थव्यवस्था अब भी मूलत: कृषि पर आधारित है, ऐसे में वास्तविक वित्त वर्ष राजस्व का सटीक आकलन करने में सहयोग देने वाला और कामकाजी मौसम के अनुरूप होना चाहिए।'
- वर्ष 1983-84 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी सलाह मांगी। इस पर अपनी बात रखने वाले लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने वित्त वर्ष में बदलाव का समर्थन किया। यह अलग बात है कि वित्त वर्ष के नए समय को लेकर उनकी राय बंटी हुई थी। उनमें से कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि मॉनसून के बाद खरीफ की उपज को लेकर अनुमान लगाना अधिक आसान होता है। वहीं कुछ मुख्यमंत्रियों ने नए साल के साथ ही वित्त वर्ष की भी शुरुआत करने का समर्थन किया। कुछ लोगों का कहना था कि 1 जुलाई से वित्त वर्ष शुरू होने से विकास कार्यों को तेजी दे पाना आसान होगा।

- इन सुझावों पर विचार के लिए गठित एल के झा समिति ने वर्ष 1984 में पेश अपनी रिपोर्ट में 1 जनवरी से वित्त वर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा था, 'हमें ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष को जनवरी-दिसंबर करना काफी लाभप्रद होगा क्योंकि इससे बजट को नवंबर में पेश किया जा सकेगा। उस समय तक खरीफ फसल की उपज के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध होती है और रबी फसल के बारे में भी अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा करने से न केवल राष्ट्रीय लेखा के लिए सांख्यिकी आंकड़े जुटाए जा सकेंगे बल्कि अंतरराष्ट्रीय परंपरा के भी अनुकूल होगा। इसके अलावा वित्त वर्ष और कैलेंडर साल अलग-अलग होने से पैदा होने वाला भ्रम भी दूर होगा।'

इन सभी बिंदुओं को उठाने का मकसद यह दिखाना है कि यह कोई नया मामला नहीं है। वित्त वर्ष में बदलाव के लिए कई कारण गिनाए जाते रहे हैं।

- वित्त वर्ष की मौजूदा व्यवस्था से कामकाजी सत्र का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है;
- कृषि फसल की अवधि, सूचनाओं और आंकड़ों के संकलन की अवधि में अंतर होने से राष्ट्रीय खाता तैयार कर पाना मुश्किल हो जाता है
- विधायिका के लिए बजटीय कार्य आसान हो जाएगा
- अंतरराष्ट्रीय रवायतों के अनुरूप होगा और पांचवां, राष्ट्रीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप होगा। राष्ट्रीय आय में कृषि की हिस्सेदारी घटने की भी स्थिति में कामकाजी सत्र को लेकर एक समस्या तो पैदा होती ही है।

हालांकि उस सुझाव को लागू नहीं किया गया था। सरकार ने इस पर कहा था कि वित्त वर्ष में बदलाव के फायदे कुछ खास नहीं होंगे और आंकड़ा जुटाने में भी समस्या होगी। इसके अलावा कर नियमों और वित्तीय प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए सुधार करने की बाध्यता का भी हवाला दिया गया। हालांकि झा समिति ने केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) से जब इस बारे में राय मांगी थी तो उसने वित्त वर्ष में बदलाव से कोई बड़ा विघ्न पडने की आशंका को खारिज किया था। सीएसओ ने यहां तक कहा था कि वित्त वर्ष में बदलाव से उसे आंकड़ों को सहेजते समय अवधि की एकरूपता के चलते कम समस्या होगी।

GENERAL STUDIES HINDI

Difficulties?

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी माना था कि 'वित्त वर्ष में बदलाव से थोड़े समय के लिए प्रशासनिक और सांख्यिकीय मोर्चों पर असुविधा बढ़ेगी लेकिन इसकी वजह से हमें एक अधिक तर्कसंगत, व्यावहारिक और सुविधाजनक व्यवस्था अपनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

इस बदलाव से होने वाले तमाम लाभों को भी ध्यान में रखना होगा।' अभी तो सार्वजनिक व्यय और बजट प्रक्रियाओं में बदलाव का सिलसिला चल रहा है। योजनागत एवं गैर-

योजनागत व्यय के विभेद को खत्म किया जा चुका है, 14वें वित्त आयोग ने भी अपनी अनुशंसाएं दे दी हैं और केंद्र से प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का पुनर्गठन हुआ है। ऐसे में यह वित्त वर्ष में बदलाव लाने का माकूल वक्त है। इसके पक्ष में तर्क तो 1865 से ही दिए जाते रहे हैं। हालांकि झा समिति के सुझावों को लागू करने के बारे में योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने 1993 में ही वित्त मंत्री को पत्र लिखा था। उस समय यह जवाब आया था कि देश सुधारों के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में वित्त वर्ष बदलने के लिए अच्छा समय नहीं है। उस तरह तो लगातार खराब समय ही चल रहा है।

2. थोक मूल्य और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 होगा

सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) का आधार वर्ष बदलकर 2011-12 कर दिया. इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का आधार वर्ष भी 2011-12 कर दिया गया है. इनके लिए पहले साल 2004-05 आधार वर्ष हुआ करता था.

- नए आधार वर्ष में 2011-12 की देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप बदलाव किए गए हैं. अब डब्ल्यूपीआई की सूची (बास्केट) में 676 की जगह 697 वस्तुएं शामिल की गई हैं.
- इसमें 199 नए सामानों को जोड़ते हुए पुराने 146 सामान हटा दिए गए हैं.
- नए सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं की हिस्सेदारी पहले से 2.5 प्रतिशत बढ़कर अब 22.62 फीसदी हो गई है. वहीं ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं का शेयर क्रमश: 1.8 प्रतिशत और 0.75 प्रतिशत घट गया है.
- डब्लूपीआई में ईंधन का शेयर अब 13.15 फीसदी और विनिर्मित वस्तुओं का सबसे अधिक 64.23 फीसदी रहेगा. वहीं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए अब नई सूची में 809 वस्तुओं को शामिल किया गया है. पहले वाली सूची में केवल 620 वस्तु शामिल थे.

GENERAL STUDIES HINDI

3. रेलवे की 'रोल आन-रोल आफ' परियोजना

रेल मंत्री सरेश प्रभु ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए 'रोल आॅन, रोल आॅफ' (रो-रो) परियोजना का शुभारंभ किया था. इसका लक्ष्य दिल्ली होकर दूसरे राज्यों में जाने वाले हजारों ट्रकों को दिल्ली आने से रोकना था ताकि सड़कों पर जाम और प्रदूषण में कमी की जा सके. लेकिन कई समस्याओं के चलते यह महत्वाकांक्षी परियोजना जल्द ही ढेर हो गई.

What was the scheme:

- इसके तहत व्यवस्था की गई थी कि पंजाब और हरियाणा से सोनीपत के रास्ते दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में जाने वाले ट्रकों को दिल्ली से बाहर ही रोक दिया जाए.
- उसके बाद इन ट्रकों को वहां मालगाड़ी पर लादकर दिल्ली से बाहर तक पहुंचाया जाता था. वहां से आगे का रास्ता वे सड़क मार्ग से तय कर सकते थे.
- परियोजना को हरियाणा के गुरुग्राम से शुरू किया गया था. पहली खेप में वहां से 30 ट्रक लादकर उत्तर प्रदेश के मुरादनगर पहुंचाए गए.

Benefit to Trucks

- इस नई व्यवस्था से ट्रक मालिकों को काफी फायदा होना था
- इससे एक तो उनका दिल्ली पार करने में होने वाला ईंधन बचना था. हालांकि यह उतना नहीं था कि अकेले ही ट्रक मालिकों को इस योजना के प्रति आकर्षित कर सकता. क्योंकि ट्रक मालगाड़ी पर लादकर पहुंचाने के लिए उन्हें रेलवे को भी पैसा देना था.
- ट्रक मालिकों की असली बचत दिल्ली में अदा किए जाने वाले ग्रीन टैक्स के बचने से होती. दिल्ली की सीमा में आने पर सभी छोटे-बड़े ट्रक या अन्य वाणिज्यिक वाहनों को ग्रीन टैक्स के रूप में एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है.
- ट्रक मालिकों को सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के 'नो एंट्री' के नियम से होती है. यहां की सड़कों पर हर वक्त ट्रकों को नहीं चलाया जा सकता
- ट्रकों को दिल्ली से गुजरने के लिए अक्सर इसके बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता है. इससे उन्हें खासा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है. यदि रेलवे की यह परियोजना सही ढंग से चलती तो ट्रक मालिकों और इन्हें चलाने वालों की इन सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बड़े अरमानों के साथ शुरू हुई यह परियोजना ठीक से महीने भर भी नहीं चल पाई.

GENERAL STUDIES HINDI

Why Stoppage

- परन्तु तो इस परियोजना की परिकल्पना से लेकर क्रियान्वयन तक इसमें मोजूद रहीं अनेक खामियों के चलते इसे रोकना पड़ गया. इसकी सबसे बड़ी गलती तो यही रही कि रेलवे के अधिकारियों ने इसे शुरू करने से पहले ठीक से जमीनी सर्वेक्षण तक नहीं किया.
- इस परियोजना के तुरंत बंद हो जाने की वजह यह बताई जा रही है कि मालगाड़ी और बिजली के तारों के बीच की दूरी इसके मुताबिक नहीं है. ट्रक जब मालगाड़ी पर लादे जाने लगे तब अधिकारियों को इस बात का अंदाजा हुआ. अब तारों और ट्रैक की दूरी तो बढ़ाई नहीं जा सकती. सरकार यदि ऐसा करना भी चाहे तो उसे कई तकनीकी समस्याओं से जूझना पड़ेगा और इसमें कई साल लग सकते हैं.
- ऐसे में तय हुआ कि मालगाड़ी पर केवल छोटे ट्रकों को ही लादा जाए. जो ट्रक लादे जा सकते थे, उसकी अधिकतम ऊंचाई 3.2 मीटर तय की गई. तकरीबन दो हफ्ते

तक ऐसा ही हुआ. लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं थी जितनी इस योजना को सही से चलाने के लिए पर्याप्त होती. रेलवे अधिकारियों की परेशानी यह थी कि उन्होंने कुछ ही दिनों में इस सेवा से 20 हजार ट्रकों की रोज ढुलाई करने का लक्ष्य तय किया था. लेकिन उनकी सारी योजना धरी रह गई.

- अधिकारियों ने रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी. इसमें कहा गया कि तकनीकी वजहों से अभी यह सेवा चलाना संभव नहीं है, इसलिए इसे बंद करने की अनुमति दी जाए. इसके बाद इस सेवा को बंद कर दिया गया.
- इस परियोजना से जुड़े रहे रेलवे अधिकारियों का दावा है कि इसे जल्द ही दोबारा शुरू किया जाएगा. लेकिन मंत्रालय के ही अन्य लोग बताते हैं कि कम से कम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसके दोबारा शुरू होने की संभावना काफी कम है. इस क्षेत्र में बिजली के तारों की ऊंचाई बाकी क्षेत्रों से काफी कम इसलिए भी है कि यहां रेल पटरियों के ऊपर से गुजरने वाले पुलों की संख्या काफी ज्यादा हैं

4. भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सहयोग के बुनियादी सिद्धांत

#Business_Standard Editorial

India's steps to secure energy:

दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में शामिल भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां बढ़ा दी हैं। विदेश में तेल और गैस परिसंपत्तियां हासिल करने, नाभिकीय रिएक्टरों के आयात को लेकर लगातार दूसरे देशों के संपर्क में बने रहने, ऊर्जा सक्षमता बढ़ाने के लिए लंबी चर्चाओं का हिस्सा बनने और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देने को लेकर भारत लगातार रुचि दिखाता रहा है। भारत दूसरे देशों के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को किस तरह से साधे कि उसके दीर्घावधि हितों के भी अनुकूल रहे? इसके लिए पांच सिद्धांत पथप्रदर्शक हो सकते हैं:

GENERAL STUDIES HINDI

Changing Price dynamics:

कीमत मायने रखती है : ऊर्जा की दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और तमाम राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर रही है। ऊर्जा क्षेत्र में किए गए अधिकांश निवेशों की उत्पादन-पूर्व अवधि काफी लंबी होती है। नाभिकीय रिएक्टरों जैसे कुछ मामलों में तो संयंत्र बनाने में लंबा वक्त लग जाता है। कोयला-आधारित परियोजनाएं पांच दशक तक चल सकती हैं। तेल एवं गैस आयात के लिए दिए गए लंबे समय के अनुबंध होने से कीमतों में स्थिरता आती है लेकिन कीमतों में अनुकूल बदलाव होने पर भी उपभोक्ताओं को उसका फायदा उठाने से रोकती है। अगर संबंधित पक्ष अनुबंध की शर्तों को लेकर बार-बार चर्चा और बदलाव की मांग उठाते रहते हैं तो फिर ऊर्जा सहयोग कामयाब नहीं हो सकता है। इसी तरह अगर नागरिकों को यह लगने लगता है कि सरकार ने बदलती तकनीक और

कारोबारी मॉडल के चलते कीमतों में होने वाले बदलाव के दौर में भी उन्हें एक खास ढांचे में बांधकर रख दिया है तो भी लोगों के बीच उसे वैधता नहीं मिल पाएगी।

- द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और परमाणु ऊर्जा के आयात को लेकर भारत ऐसी ही दुविधा का सामना कर रहा है।
- मसलन, अमेरिका से मंगाई जाने वाली एलएनजी की लागत 8.5 डॉलर प्रति मिलियन बीटीयू पड़ती है। अगर पश्चिम एशिया या अफ्रीका से इसे मंगाया जाता है तो एलएनजी की लागत कम हो सकती है
- । गेल ने अमेरिका के दो टर्मिनलों से एलएनजी आयात करने के लिए करार किया है लेकिन घरेलू स्तर पर अभी तक इसका कोई खरीदार नहीं मिला है। करीब 16,000 मेगावाट क्षमता की गैस-
- आधारित परियोजनाएं मांग नहीं होने से लटकी हुई हैं। फूकुशिमा रिएक्टर हादसे के बाद से ही नाभिकीय ऊर्जा कारोबार में वैश्विक स्तर पर एक गतिरोध देखा जा रहा है। इसके चलते विदेश से आयातित परमाणु रिएक्टरों में पैदा बिजली घरेलू रिएक्टरों में उत्पादित बिजली से करीब दोगुनी महंगी हो सकती है।
- इस बीच सौर बिजली की दरें वर्ष 2010 के 10.95 रुपये प्रति इकाई से गिरकर इस महीने 2.44 रुपये प्रति इकाई पर लुढ़क चुकी हैं। गैस और परमाणु बिजली की कीमतें अगर कोयला या सौर बिजली के अनुपात में नहीं आती हैं तो उनके लिए लंबी अवधि के आपूर्ति करार और विदेशी निवेश जुटा पाना चुनौती का सबब होगा। हालांकि समग्र मांग बढ़ने पर अधिक महंगी दर पर बिजली मंगाने की स्थिति पैदा सकती है।

ऊर्जा उपलब्धता बनेगी प्राथमिक चालक : ग्रामीण विद्युतीकरण के मोर्चे पर काम में आई तेजी के बावजूद लाखों घरों तक बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी है। इसके अलावा अधिकांश ग्रामीण घरों में खाना पकाने के लिए उन्नत ईंधन विकल्पों का भी अभाव है। ऊर्जा उपलब्धता से इन घरों में ऊर्जा के इस्तेमाल की आदतों को बदला जा सकता है जिससे वे ऊर्जा के लिए स्थायी भुगतान करने वाले ग्राहक के रूप में तब्दील हो सकें। इसके अलावा ऊर्जा कारोबार से जुड़ी कंपनियों की वित्तीय सेहत और तकनीकी क्षमताओं का आपूर्ति की जाने वाली बिजली की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। ऊर्जा उपलब्धता सुधारने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के वास्ते सहयोगी इकाइयां अहम सहारा बन सकती हैं।

भारत के औद्योगिक और शहरी विकास के लिए ऊर्जा सक्षमता अहम है: हमारी ऊर्जा मांग का रुझान अगड़ी अर्थव्यवस्थाओं के तालमेल में नजर आता है। जब इन देशों की प्रति व्यक्ति आय भारत के बराबर हुआ करती थी तब उनकी ऊर्जा मांग भारत के ही बराबर हुआ करती थी। (भारत में फिलहाल प्रति व्यक्ति 25 गीगा जूल बिजली की सालाना मांग बनी हुई है।) लेकिन भारत को ऊर्जा का अपव्यय किए बगैर विकसित देशों की आय के स्तर तक पहुंचने की जरूरत है।

Meeting climate targets:

भारत का औद्योगिक क्षेत्र करीब एक चौथाई ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार है। ऊर्जा इस्तेमाल में सटीकता की दरकार है क्योंकि उत्सर्जन का स्तर काफी बढ़ चुका है। (सीईईडब्ल्यू के शोधकर्ताओं के मुताबिक ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन 2 लाख इकाई तक जा पहुंचा है) फिलहाल तो केवल बड़ी इकाइयों के स्तर पर ऊर्जा सक्षमता की योजनाएं लागू की जा रही हैं जबकि अधिकांश छोटी इकाइयों को लेकर सुस्त रवैया अपनाया जा रहा है। इसके चलते निम्न ऊर्जा उत्पादकता और उच्च ऊर्जा लागत की स्थिति पैदा हो रही है।

औद्योगिक प्रगति को स्थायी बनाए रखने के लिए छोटे एवं मझोले उपक्रमों को सहयोग दिया जाना जरूरी होगा। इसी तरह तेजी से शहरीकृत होती जा रही अर्थव्यवस्था के लिए वैकल्पिक परिवहन साधनों और ईंधन विकल्पों पर अंतरराष्ट्रीय मदद और भागीदारी लगातार अहम होती जाएगी। भारत में अगले दो दशकों में वातानुकूलन की जरूरत करीब पांच गुनी हो जाएगी जो कि चीन के शहरों से भी अधिक होगा। लिहाजा इस क्षेत्र में भी तकनीकी सहयोग, भवन निर्माण डिजाइन और ऊर्जा उपभोग की आदत के स्तर पर भी काफी कुछ करने की संभावना बनेगी।

भारत की शर्तों पर ऊर्जा सुरक्षा: भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा जरूरी संसाधनों की उपलब्धता, पहले से अंदाजा लगाई जा सकने वाली कीमतों और न्यूनतम आपूर्ति व्यवधानों के साथ ही पर्यावरणीय पहलुओं का भी ख्याल रखने पर निर्भर करती है। परंपरागत तौर पर भारत ने द्विपक्षीय तरीके से ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने की कोशिश की है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ईरान, सऊदी अरब और मोजाम्बिक जैसे देशों के साथ ऊर्जा संबंधों को भी गहरा किया जा रहा है। इसके साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित रखने के लिए समुद्री नौवहन सुरक्षा सहयोग को भी आश्वस्त करने की जरूरत है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने एलएनजी खरीद के अधिक अनुकूल और लचीले सौदों के लिए मिलकर बातचीत करने के वास्ते मार्च में एक गठजोड़ किया है। भारत को भी एलएनजी की बढ़ती मांग को देखते हुए आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के गठबंधन के बारे में विचार करना चाहिए।

GENERAL STUDIES HINDI

अर्थव्यवस्था को चलाने वाले दो ईंधन: ऊर्जा और वित्त किसी भी अर्थव्यवस्था में ईंधन का काम करते हैं। वित्त के अभाव में ऊर्जा आर्थिक प्रगति को रफ्तार नहीं दे सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा सक्षमता को बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की जरूरत होती है। इस तरह की ढांचागत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर बिना जोखिम वाली संस्थागत पूंजी की दरकार होती है। इसके अलावा ऊर्जा से संबंधित शोध एवं विकास कार्यों में भी लगातार निवेश की जरूरत होती है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र का रूपांतरण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बगैर मुमकिन नहीं हो पाएगा। दरअसल भारत को पूंजी की आसान उपलब्धता के साथ ही नई तकनीक के स्तर पर भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी। भारत ने

दूसरे देशों के साथ मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में शोध एवं विकास कार्य शुरू किए हैं और छोटे स्तर के द्विपक्षीय क्रेडिट भी मिलने लगे हैं। ऊर्जा के भंडारण की तकनीकें, विभिन्न वित्तीय जोखिमों को कम करने और बॉन्ड बाजार को सशक्त करने जैसे असली गेम चेंजर तो अभी तक नदारद ही हैं। इस दिशा में अवसर मौजूद हैं जिन्हें आजमाने की जरूरत है।

5. ऑटोमेशन के दौर में रोजगार की धुंधली तस्वीर

इस साल ऑटोमेशन के चलते सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरियां गंवाने वाले कर्मचारियों की संख्या उतनी अधिक नहीं है लेकिन भविष्य में यह आंकड़ा काफी परेशानी पैदा करने लायक हो सकता है। अगर कंपनियों और सरकार ने आईटी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कौशल विकास पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो स्थिति बिगड़ सकती है। उसके अभाव में बहुतेरे लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं क्षीण नजर आ रही हैं।

क्या हम इसको पचा पा रहे है ?

- कर्मचारी और संगठन दोनों ही तकनीक के मोर्चे पर हो रही तीव्र प्रगति के साथ कदमताल नहीं कर पा रहे हैं।
- मसलन, कंप्यूटर प्रोसेसर की क्षमता हरेक 18 महीनों में दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब है कि प्रोसेसर हरेक पांच साल में 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे में सभी को तकनीकी बेरोजगारी जैसी शब्दावली के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
- इस पर कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी प्रगति का कौशल, पारिश्रमिक और नौकरी पर गहरा असर पड़ता है। तीव्र गणना क्षमता वाले सस्ते कंप्यूटरों और बड़ी तेजी से बुद्धिमान हो रहे सॉफ्टवेयर की जुगलबंदी ने मशीनों की क्षमता को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जिसे कभी मानव की सीमा से परे समझा जाता था। अब बोले गए शब्दों को समझ पाने, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने और खास पैटर्न को पहचान पाने में भी ये सक्षम हो चुके हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

एक उदाहरण

- अतीत के कॉल सेंटर कर्मचारियों की जगह सवालों के खुद-ब-खुद जवाब देने वाले सिस्टम लेने लगे हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता या ऑटोमेशन बड़ी तेजी से कारखानों से निकलकर उन क्षेत्रों में भी तेजी से पैठ बना रहा है जो बड़ी संख्या में रोजगार देते रहे हैं।
- रोजमर्रा का अनुभव बताता है कि तकनीकी बदलाव ने पिछले दो दशकों में किस तरह से कम और मध्यम स्तर की दक्षता वाली नौकरियों का सफाया ही कर दिया।
- क्या कोई भी कंपनी (एयर इंडिया जैसी को छोड़कर) सचिवों, टाइपिस्टों, टेलीफोन, कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्कों की भारी-भरकम फौज को बरकरार रख पाई है?

- इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक विशाल सिक्का ऑटोमेशन के चलते चलन से बाहर हो जाने की समस्या के बारे में पिछले कुछ समय से लगातार बोलते रहे हैं। कंपनी की तरफ से शुरू किया गया 'ज़ीरो डिस्टेंस' कार्यक्रम इसी सोच को बयां करता है।
- ग्राहकों के साथ संपर्क के स्तर पर ही आकार लेने वाले विचारों को फलने-फूलने का मौका देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के भीतर से करीब 300 लोगों की पहचान की है।
- सिक्का ने कहा था, 'इस समय तकनीक के क्षेत्र में सबसे बड़ा गतिरोध ऑटोमेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ज्वारीय उफान के चलते आ रहा है जो आसानी से तकनीकी नौकरियों को बेदखल कर सकते हैं।

क्या करना चाहिए

- खुद को आगे रखने के लिए जरूरी है कि उन्हें अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए और महज मशीनी तौर पर अपना काम पूरा करने के बजाय उपभोक्ताओं के लिए अधिक मूल्यवान कार्य करने पर ध्यान देना होगा।'
- अगर हम संकीर्ण जगह में ही सिमटे रह गए, केवल लागत पर ही ध्यान देते रहे और कोई समस्या आने पर प्रतिक्रिया में ही समाधान तलाशते रहे तो हम बच नहीं पाएंगे।
- अब ज्यादा चर्चा बड़े डाटा और डाटा विश्लेषण की हो रही है जिसके चलते परंपरागत आईटी पेशेवरों और प्रबंधकों के सामने अपनी क्षमता का विस्तार करने या फिर नौकरी गंवाने की चुनौती खड़ी होने लगी है। अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि हमारी दुनिया का डिजिटल रूपांतरण हो जाने से परंपरागत आईटी सेवा उद्योग गंभीर खतरे में आ चुका है।

अन्य देशो में स्थिति

GENERAL STUDIES HINDI

- ब्रिटेन के ऑक्सफर्ड मार्टिन स्कूल के कार्ल बेनेडिक्ट फ्रे और माइकल ए ऑजबर्न ने 'द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट' शीर्षक से जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका में इस समय उपलब्ध नौकरियों में से करीब आधी नौकरियां अगले दो दशकों में ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो जाएंगी।
- रिपोर्ट के अनुसार, 'हमारा अनुमान है कि अमेरिका के कुल रोजगार का 47 फीसदी हिस्सा ऑटोमेशन के चलते गहरे खतरे में होगा। इसका मतलब है कि अनुषंगी कारोबार भी अगले एक या दो दशकों में ऑटोमेशन की जद में आ जाएंगे।'
- उद्योगों में लगे रोबोट विवेक और निपुणता बढ़ने से अब पहले से अधिक उन्नत होते जा रहे हैं। वे रोजमर्रा से अलग हटकर भी विस्तृत मानवीय गतिविधियों को अंजाम देने में सक्षम होंगे। तकनीकी क्षमता के लिहाज से देखें तो उत्पादन कार्यों में बड़े पैमाने पर लगे लोगों की नौकरी अगले एक दशक में लुप्त होने की आशंका है।

निष्कर्ष

लेकिन मुद्दा यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या ऑटोमेशन को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि इससे कंपनियों को आकर्षक रिटर्न मिलता है और जो काम इंसान नहीं कर सकते हैं उन्हें भी इसके जरिये बखूबी अंजाम दिया जा सकता है। जैसे, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का आकलन है कि अमेरिका में एक वेल्डिंग कर्मचारी पर प्रति घंटे लागत रोबोटिक वेल्डर की तुलना में तिगुनी होती है। ऐसी स्थिति में कंपनियां उन्हीं लोगों को काम पर रखेंगी जिनके पास ऊंचे दर्जे के काम अंजाम देने की क्षमता होगी। भारत जैसे देश के लिए तो यह मामला और भी अधिक गंभीर है जहां एक करोड़ से भी अधिक लोग हर साल रोजगार की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। सार्थक काम की बात छोड़ दीजिए, जब लोग अपनी नौकरी ही नहीं बचा पाएंगे तो उससे काफी गंभीर सामाजिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए अपनी काबिलियत बढ़ाने और नए सिरे से कौशल बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

6. खेती से होने वाली आमदनी को टैक्स

#Editorial_Dianik Tribune

In news:

Some Question which needs to be answered:

पिछले महीने नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय ने सुझाव दिया कि मौसमी उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के बाद किसानों की आय पर अन्य नागरिकों के समान कर लगना चाहिए। उनके बयान आते ही देश भर में किसानों के तथाकथित रहनुमाओं की बाढ़ आ गई। सुझाव का विरोध करने वालों ने तनिक भी नहीं सोचा कि अब तक खेती से होने वाली आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर रही है, फिर भी किसान खुशहाल क्यों नहीं है?

GENERAL STUDIES HINDI

A look on figures:

- देश के 12 करोड़ किसानों में से 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन रखने वाले किसान मात्र चार फीसदी (48 लाख) हैं।
- इनमें से 4 लाख किसान हर साल हजारों करोड़ रुपये की आयकर छूट का लाभ उठाते हैं जो कि कुल किसान आबादी का महज 0.33 फीसदी हैं।
- इन चार लाख किसानों में अधिकांश कागजी किसान हैं जो पेशे से चिकित्सक, फिल्मी कलाकार, चार्टर्ड एकाउंटेंट, व्यापारी, नौकरशाह हैं। ये नकली किसान अपनी काली कमाई को सुरक्षित ठिकाने लगाने के लिए किसान बने बैठे हैं।

जिस समय नेता से लेकर उद्योगपति तक कृषि आय पर कर लगाने के सुझाव का विरोध कर रहे थे, उसी समय महाराष्ट्र के किसान मुंबई स्थित कृषि विभाग के मुख्य द्वार पर प्याज और अरहर फेंककर अपना विरोध जता रहे थे क्योंकि उन्हें इन फसलों की वाजिब कीमत नहीं मिल रही थी। गौरतलब है कि इस साल महाराष्ट्र में अरहर की बंपर पैदावार

हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने पूरे देश में 11 लाख टन अरहर खरीदी है, उसमें चार लाख टन अरहर अकेले महाराष्ट्र में खरीदी गई है। यद्यपि सरकार ने अरहर का समर्थन मूल्य 5050 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है लेकिन सरकारी खरीद के कमजोर नेटवर्क के चलते अधिकांश किसानों को 4200 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा की कीमत नहीं मिल पा रही है। दूसरी विडंबना यह है कि इस साल सरकार ने 10114 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 27.8 लाख टन अरहर दाल का आयात किया।

कमोबेश यही हालात दूसरी दालों की भी है। जिस देश की आधे से अधिक कार्यशील आबादी खेती पर निर्भर हो वहां विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की ऊंची विकास दर के बल पर देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उदारीकरण के दौर में खेती-किसानी की बदहाली और बढ़ती असमानता इसका ज्वलंत प्रमाण है।

Need Visionary farm Policy:

स्पष्ट है विकास का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब विकास नीति को दूरगामी नतीजे देने वाले सड़क, सिंचाई और सरकारी खरीद पर केंद्रित किया जाए। उल्लेखनीय है कि सिंचित रकबे और सड़कों की लंबाई में एक-एक फीसदी की बढ़ोत्तरी से कृषि विकास दर में क्रमश: 0.98 फीसदी और 0.94 फीसदी की बढ़ोत्तरी होती है। कृषि उपज के कारोबार में एक फीसदी के इजाफे से कृषि विकास दर में 1.7 फीसदी का इजाफा होता है। इन्हीं सुविधाओं के बल पर गुजरात ने एक दशक से अधिक समय तक 10 फीसदी से अधिक कृषि विकास दर हासिल की।

समस्या यह है कि इक्का-दुक्का राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्य इन दूरगामी उपायों को अपनाने के बजाय सस्ते कर्ज और सब्सिडी के जाल में उलझे हुए हैं। नतीजन कृषि ऋणों में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी के बावजूद किसानों की बदहाली बढ़ती जा रही है। दरअसल, जितना अधिक कर्ज बंटता है किसान उतने ही ज्यादा कर्ज में डूबते जाते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 59वें सर्वे के मुताबिक 2003 में देश के 48 फीसदी किसान ऋणग्रस्त थे।

खेती से जुड़े कई अध्ययन बताते हैं कि किसानों की ऋणग्रस्तता व आत्महत्या की मुख्य वजह उपज की वाजिब कीमत न मिलना है। कृषि ऋण पर राधाकृष्णन समिति (2007) और 2006 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग ने भी यही बताया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है लेकिन खरीद होती हो मुख्यत: गेहूं और धान की। इनकी सरकारी खरीद भी केवल अग्रणी उत्पादक राज्यों तक सीमित रहती है। यही कारण है कि देश के महज 6 फीसदी किसान समर्थन मूल्य का लाभ पाते हैं और 94 फीसदी किसान अपनी उपज की बिक्री हेतु स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते हैं। इस साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में पांच हजार गेहूं खरीद केंद्र के जरिए 80 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। यह एक प्रगतिशील कदम है। स्पष्ट

है संपन्न किसानों को टैक्स के दायरे में लाने का विरोध करने मात्र से खेती फायदे का सौदा नहीं बनेगी। किसानों की आमदनी तभी बढ़ेगी जब सस्ते कर्ज बांटने से आगे बढ़कर सड़क, बिजली, सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ कृषि उपजों के कारोबार को बढ़ावा दिया जाए।

7. छोटे शहरों की बड़ी समस्याएं

#Editorial_live_Hindustan

Regional inequality in India:

भले ही पिछले दो-ढाई दशक में भारत ने तेजी से तरक्की की है, मगर यहां स्थानीय (स्थान या क्षेत्रवार) असमानताएं भी काफी बढ़ी हैं। भारत का विकास दरअसल बड़े शहरों तक सिमटकर रह गया है। यह तस्वीर चीन और अमेरिका से बिल्कुल जुदा है, जहां मंझोले शहर विकास व रोजगार सृजन के नए सूत्रधार बने।

Big question

सवाल यह है कि आखिर सभी आर्थिक गतिविधियां भारत के महानगरों, बड़े शहरों तक ही क्यों सिमटी हुई हैं? मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर (विनिर्माण व सेवा क्षेत्र) का विकास क्या किसी खास स्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या भविष्य में बड़े शहरों से आमदनी कम नहीं होगी? मंझोले शहर आखिर विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वहां का बुनियादी ढांचा कमजोर है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए शोधकर्ताओं ने 900 जिलों का अध्ययन किया और 'द स्पैशियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया' नामक रिसर्च पेपर तैयार किया।

- अध्ययन में उन्होंने पाया है कि भारत में विनिर्माण व सेवा क्षेत्रों का विस्तार दुनिया के दूसरे देशों की तरह नहीं हो रहा। दुनिया भर में विनिर्माण संबंधी विकास-कार्य उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों (बड़े शहरों) से निकलकर कम घनत्व वाले इलाकों, यानी छोटे शहरों तक पहुंच रहे हैं, जिसके कारण सेवा क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है।
- मगर हमारे यहां 'नए' उद्योग किसी खास स्थान में अधिक सिमटे रहते हैं, जबकि 'पुराने' उद्योगों में व्यापक विस्तार की प्रवृत्ति होती है। यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब पुराना उद्योग बन गया है और चौथी औद्योगिक क्रांति परवान चढ़ रही है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं की मांग बढ़ रही है, जो एक नया उद्योग भी है।
- अध्ययन के दौरान यह भी पाया कि भारत के सर्विस सेक्टर और अमेरिका के सर्विस सेक्टर में कुछ समानताएं हैं, जैसे दोनों देशों में शहरों व औद्योगिक इलाकों के इर्दगिर्द ही लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। हालांकि दोनों देशों में अंतर भी दिखा कि अमेरिका में ऐसी सेवाएं मंझोले शहरों में ज्यादा हैं। वहां तीन हाई-टेक काउंटी हैं- सांता क्लैरा (कैलिफोर्निया), मिडलसेक्स (मैसाचुसेट्स) और डरहम (उत्तरी कैरोलिना)। जबकि इसके उलट भारत में सेवा क्षेत्र उच्च घनत्व वाले इलाकों में ज्यादा हैं, जैसे हैदराबाद व चेन्नई।
- इसके अलावा, अमेरिका में सेवा क्षेत्र का भारी जमावड़ा उन शहरों में भी है, जहां रोजगार-घनत्व प्रति किलोमीटर 150 कर्मचारी से कम है, जबकि भारत में ऐसा नहीं

GENERAL STUDIES HINDI

है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका यदि कोई बेंचमार्क तय करता है, तो 150 कर्मचारी प्रति किलोमीटर का घनत्व तमाम आर्थिक गतिविधियों का फायदा उठाने के लिए एक आदर्श स्थिति मानी जाएगी, जबकि भारत के मंझोले शहर इस पायदान पर फिसड्डी दिखते हैं।

यह सही है कि भारत के मंझोले शहरों में विकास की राह की बाधाओं या उसे बेपटरी करती परिस्थितियों की पहचान करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। मगर ऐसे सुबूत भी हैं, जिनके आधार पर यह सुझाव दिया जा सकता है कि बड़े शहरों की तरह लाभ कमाने के लिए हमें दो बातों पर अपनी नीतियां गढ़नी होंगी-

- पहली, उच्च शिक्षा हासिल करने वाली आबादी के प्रतिशत के आधार पर और
- दूसरी, दूरसंचार सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले घरों के प्रतिशत के आधार पर।

ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जो यह बताए कि इन दोनों में से किसी एक किसी एक आधार की उपेक्षा करने के बाद भी बड़े शहरों में सेवाओं का विस्तार तेजी से हुआ हो। यानी, अगर देश के सभी हिस्सों में उच्च शिक्षा हासिल करने वाली स्थानीय आबादी का प्रतिशत एक समान होता या सभी जगहों के घरों में दूरसंचार सेवाएं एक समान मौजूद होतीं, तो भारत में बड़े शहरों की तरफ लोगों में आज जैसा रुझान न होता।

- लिहाजा अमेरिका की तरह भारत की विकास दर में भी अगर इन पैमानों की बात हो, तो बढ़ते सर्विस सेक्टर का फायदा देश के अलग-अलग हिस्सों को मिलेगा। तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में भी काफी तरक्की होगी। अहमदाबाद, पुणे जैसे मध्यम घनत्व वाले शहर और आईटी हब बेंगलुरु भविष्य में तेजी से विकास करेंगे, जबकि चेन्नई और मुंबई जैसे अधिक घनत्व वाले शहरों की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी होगी।
- निस्संदेह, तेज विकास के साथ-साथ भारत में स्थानीय विषमताएं भी बढ़ रही हैं। ग्रामीण इलाकों के लोग प्रवासी बनकर लगातार बड़े शहरों में आ रहे हैं। भारत में स्थानीय विकास अब भी उन्हीं जिलों में सिमटा हुआ है, जहां रोजगार के अवसर ज्यादा हैं। सेवा क्षेत्र का मामला इससे अलग नहीं है, मगर हां, विनिर्माण क्षेत्र में मिली-जुली तस्वीर निकलती है। यानी आर्थिक गतिविधियों के ये उच्च घनत्व वाले इलाके भारत के विकास के इंजन हैं।
- यह स्थिति कई महत्वपूर्ण नीतिगत सवाल खड़े करती है। क्या भारत को अब भी तमाम सेवाओं की अहमियत समझते हुए अपने बड़े शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और सामान्य तौर पर स्थान विशेष पर रोजगार मुहैया कराने के लिए अपने संसाधन झोंक देने चाहिए? या फिर उसे मध्यम घनत्व वाले इलाकों यानी मंझोले शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वहां पर विकास की राह में मौजूद बाधाओं को दूर करना चाहिए?
- इसमें दोराय नहीं है कि चीन और अमेरिका की तरह भारत में भी विकास और रोजगार के वाहक मंझोले शहर ही बनेंगे। मगर फिलहाल इनकी दशा काफी खराब

है। आखिर इन शहरों से फायदा उठाने के लिए कौन-सी ताकत हमारे नियंताओं को रोक रही है? उन्नत अर्थव्यवस्था में उनके हिस्से का विकास उन्हें क्यों नहीं मिल रहा? यदि हमें देश के तमाम हिस्सों में विकास की चमक बिखेरनी है, तो इन गंभीर सवालों के हल तलाशने ही पड़ेंगे।

Editorials

1. पंचायती राज से विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए

पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक विशिष्ट स्वरूप है। हमारे यहां पंच-परमेश्वर की अवधारणा रही है और हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। औपनिवेशिक शासन ने हालांकि इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास की जमीन तैयार हुई। 24 अप्रैल को यह ऐतिहासिक संविधान संशोधन लागू हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में यह दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि सहभागी स्थानीय स्वशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूती दी जा सके।

Contributions of PRI

- सरकार की सकारात्मक सोच और पहल के नतीजों को आज हम ऐसी पंचायतों की बढ़ती हुई संख्या के रूप में देख रहे हैं, जो जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ई-सक्षमता, डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, अन्य नागरिक सुविधाओं, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर जन-कल्याण हेतु अपना योगदान दे रही हैं।
- प्रभावी काम-काज के लिए पंचायतों के बीच जागरूकता पैदा करने और उनके क्षमता-निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों व अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में पंचायत स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों को उन्मुख करने के लिए माड्यूल और तंत्र में गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि उन्हें अच्छे प्रशासन के प्रति सक्षम बनाया जा सके। इसे और व्यापक रूप देने और परिणाम मूलक बनाने के लिए आठ राज्यों के करीब एक हजार सरपंचों और पंचायत सचिवों के साथ हाल ही में एक अभिनव क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया गया, जिसके आशातीत नतीजे दिखाई दिए हैं। बड़ी संख्या में जन-प्रतिनिधियों व पंचायत स्तरीय अधिकारियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए नई तकनीक की सहायता ली जा रही है।

Government schemes &Programme to strengthen PRIs

GENERAL STUDIES HINDI

- सोशल मीडिया पर सूचनाओं के तेज प्रसार के लिए तत्काल मैसेजिंग एप्स के जरिये पंचायत प्रतिनिधियों को जानकारी देने की योजना है। यह ग्रामीण इलाकों में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को ही नहीं, समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों को भी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने का साधन बन सकेगा।
- जागरूकता सृजन कार्य के विस्तार के लिए शुरू की जा रही पत्रिका की सामग्री क्यूआर कोड के जरिये किसी भी मोबाइल फोन पर देखी जा सकेगी।
- पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के बीच प्रतिस्पद्र्धा और नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत और सम्मानित करने की भी कई योजनाएं बनाई गई हैं। पीआरआई की ई-सक्षमता को प्रोत्साहित करने का परिणाम यह हुआ है कि अब राज्यों के बीच इस पुरस्कार के लिए परस्पर प्रतिस्पद्र्धा देखी जा रही है। स्वाभाविक रूप से इसके परिणाम भी अनुकूल होंगे।
- ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी और क्रियान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को व्यापक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्थानीय विकास एजेंडे की ऐसी योजनाएं बनाने में सक्षम किया गया है।
- 14वें वित्त आयोग के अनुदान अब सीधे ग्राम पंचायतों को जारी किए जा रहे हैं। अब इस अनुदान के तहत संसाधन आवंटन को 13वें वित्त आयोग की अपेक्षा तीन गुना ज्यादा कर दिया गया है।

पंचायतों को सशक्त बनाने की कोशिश में प्रौद्योगिकी के अधिकतम इस्तेमाल, और उनमें जागरूकता पैदा करने व ग्रामोदय के संदर्भ में प्रधानमंत्री के आह्वान का खासा असर पड़ा है। अगर विगत वर्षों में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन में कोई सार्थक बदलाव नहीं हुआ, तो अब यह मान लेना चाहिए कि ऐसे विकास के लिए प्रयोजन की स्पष्टता के साथ ईमानदार प्रतिबद्धता की भी जरूरत पड़ती है। सकारात्मक नतीजों के साथ ग्रामीण भारत को नया भारत बनते देखना तभी संभव है।

2. खेती पर कर कितना उचित

सुर्ख़ियों में

हाल ही में नीति आयोग की कार्ययोजना पेश करते समय आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने कृषि आय को कर प्रणाली में शामिल करने का सुझाव बताकर इस विवाद को जन्म दे दिया। हालांकि देबरॉय के बयान के तत्काल बाद वित्त मंत्री ने इस संभावना को खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि आय पर कर लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने भी कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाने में लगी हुई है। लिहाजा कर लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके बावजूद देबरॉय के बयान से निकले संदेश को अच्छी तरह से लिया गया है

कर दायरा बढाने के तरीके ?

- अगर सरकार कर दायरा बढ़ाना चाहती है तो उसका स्वाभाविक तरीका यह है कि करारोपण से दी जाने वाली छूटों और अपवादों को या तो खत्म कर दिया जाए या न्यूनतम किया जाए।
- देबरॉय की राय के मुताबिक एक खास सीमा से अधिक कृषि आय पर ही कर लगाया जाना चाहिए।
- हालांकि पानगडिय़ा आशंका जता चुके हैं कि ऐसा करना सरकार के अन्य लक्ष्यों के साथ टकराव पैदा करेगा। इसके अलावा सियासी नजरिये से भी इस राह पर कदम बढ़ा पाना सरकार के लिए खासा मुश्किल होगा।

क्या खेती को कर के दायरे में लाने से राजकोषीय लाभ होगा ?

- लेकिन यह ध्यान रखना भी अहम है कि कृषि आय को कर दायरे में लाने से होने वाला राजकोषीय लाभ कम ही होगा। इसकी वजह यह है कि कर दायरे में लाए जाने वाले किसानों की संख्या काफी कम होगी। दरअसल पिछले कुछ दशकों में भारत में खेतों का आकार लगातार सिकुड़ता चला गया है जिससे कृषि अधिक लाभ का काम नहीं रह गया है। खेतों के बंटवारे से खेतों का औसत आकार काफी छोटा हो गया है। हालत यह है कि देश के 86 फीसदी से अधिक खेत आकार में दो हेक्टेयर से भी छोटे हैं।
- वर्तमान वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक आय पर ही कर लगाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम आंकड़ों की मानें तो 10 हेक्टेयर से अधिक खेत वाला एक कृषक परिवार भी साल भर में औसतन 2.35 लाख रुपये ही कमा पाएगा।
- इस तरह कृषि आय पर निर्भर बहुत कम परिवार ही कर दायरे में लाए जा सकेंगे।

GENERAL STUDIES HINDI

और क्या तरीके ?

अगर बढ़ते राजकोषीय बोझ के चलते ऐसा फैसला किया जाता है तो उसके लिए कई अन्य तरीके भी हो सकते हैं। कृषि आय पर कर लगाने से अच्छा है कि :

- कृषि क्षेत्र को समर्थन मूल्य और अन्य तरीकों से दी जा रही तमाम सब्सिडी पर रोक लगा दी जाए।
- इसके स्थान पर कई देशों में लागू प्रत्यक्ष आय समर्थन का तरीका आजमाया जा सकता है।
- लेकिन इस आय को कुछ समय बाद अर्जित आयकर प्रणाली में शामिल करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इससे लोग स्वेच्छा से कर प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हालांकि अगर सरकार इसे लेकर चिंतित है कि कृषि आय पर मिली

छूट का इस्तेमाल अन्य स्रोतों से हुई आय पर कर देने से बचने के लिए किया जा रहा है तो कर नियमों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करना ही उसका सही तरीका हो सकता है।

निश्चित रूप से कृषि आय पर कर लगाने जैसे प्रस्ताव पर फैसला करने के पहले सभी बिंदुओं पर गौर करना होगा। इसके अलावा नीति आयोग को भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए कारगर संरचनात्मक बदलावों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

3. प्रवासी योगदान बढ़ाने को कौशल विकास पर है ध्यान

#Business_Standard Editoria

Migration of skilled Indians: Is it Brain Drain or Brian Gain?

- भारत के संदर्भ में पारिभाषिक शब्द 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) का गलत प्रयोग होता है। जो भारतीय विदेशों में अपने लिए अवसर तलाश करते हैं वे हमारे लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत हैं।
- भविष्य के लिए एक बड़ा अवसर भी हैं।
- तकरीबन 1.6 करोड़ भारतीय विदेशों में रहते हैं। भारत इस मामले में शीर्ष पर है। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट (एमजीआई) के मुताबिक भारतीय प्रवासी जिन देशों में रहते और काम करते हैं वहां वे 430 से 490 अरब डॉलर का योगदान जीडीपी में करते हैं।
- वे अन्य देशों के प्रवासियों की तुलना में काफी धन स्वदेश भी भेजते हैं। वर्ष 2016 में 65 अरब डॉलर की राशि स्वदेश आई जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 3 फीसदी के बराबर है।
- यह पूरी राशि देश के तेल आयात बिल से अधिक है। आगामी दशक में भारत इस राशि को दोगुना करके 130 अरब डॉलर तक पहुंचा सकता है।
-
- भारत आज न केवल दुनिया का सबसे बड़ा विदेशों से धन पाने वाला देश है बल्कि इस मामले में वह सबसे तेज विकसित होते देशों में से भी एक है।
- वर्ष 1991 से विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा देश भेजे जाने वाले धन में 20 गुना का इजाफा हुआ है। जबकि वैश्विक स्तर पर यह इसके आधे से भी कम दर से बढ़ा है। यहां तक कि बीते दशक के दौरान देश के पुन:धनप्रेषण में 2.3 गुने की दर से बढ़ोतरी हुई जबकि वैश्विक वृद्घि दर 1.8 गुना रही। हालांकि वैश्विक वृद्घि में आई स्थिरता, बढ़ते राष्ट्रवाद और सीमा के आरपार वित्तीय प्रवाह की निगरानी की वजह से भारत और विश्व दोनों की धनप्रेषण दर में स्थिरता आई है।

But is this complete picture of Indian Diaspora? (क्या यह भारतीय प्रवासियों की पूर्ण तस्वीर है ?)

इन झटकों के बावजूद सच यही है कि विकसित देशों में प्रवासी श्रमिकों पर निर्भरता बहुत अधिक है। वर्ष 2000 से 2014 तक प्रवासियों ने उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ओशेनिया और खाड़ी सहयोग परिषद देशों के श्रमिकों में 40 से 80 फीसदी तक का योगदान किया। बीते 25 साल में भारतीय प्रवासियों की तादाद दोगुनी से ज्यादा हो गई है। उत्तरी अमेरिका और खाड़ी देशों में तो 70 फीसदी से अधिक भारतीय प्रवासी काम करते हैं। वहां उनकी तादाद इस अवधि में चार गुना बढ़ी है।

- तमाम प्रमाण बताते हैं कि लोगों के सीमापार आवागमन ने वैश्विक उत्पादन में इजाफा किया है। एमजीआई का अनुमान है कि वर्ष 2015 में वैश्विक जीडीपी में प्रवासियों का योगदान 67 अरब डॉलर यानी 9.4 फीसदी था।
- अगर वे अपने मूल देश में रहते तो यह राशि 30 अरब डॉलर कम होती। इस नवाचार से उन देशों को भी फायदा मिलता है जहां वे जाते हैं।
- वे अपने साथ अपने देश की उद्यमिता, सांस्कृतिक योगदान आदि लेकर जाते हैं। इसके बावजूद दुनिया के अलग-अलग देशों से आए प्रवासियों को स्थानीय कामगारों की तुलना में 20 से 30 फीसदी तक कम वेतन मिलता है। उनके बेरोजगार होने की आशंका भी ज्यादा होती है। अच्छी खबर यह है कि भारतीय प्रवासियों का प्रदर्शन प्राय: बेहतर रहा है। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की बेरोजगारी स्थानीय कामगारों से बस एक या दो फीसदी ही कम है जबकि अन्य विकासशील देशों के प्रवासियों में यह 10 फीसदी तक ज्यादा है।

Demand of Skilled labour ??

आने वाले दशकों में विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी। ऐसे में प्रवासियों की जरूरत बढ़ेगी। ऐसे में आर्थिक वजहों से चीन, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका को कुशल कर्मियों की आवश्यकता होगी। ठीक वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वर्षों से करते आ रहे हैं। यहां तक कि बढ़ती राष्ट्रवादी धारणाओं के दौर में भी ऐसा होगा। जाहिर है भारत को कुशल कर्मियों पर ध्यान देना चाहिए ताकि विदेशों में भारतीय प्रतिभाओं की मांग बढ़ती रहे।

GENERAL STUDIES HINDI

सरकार का इस और कदम

इस वर्ष के आरंभ में प्रधानमंत्री ने प्रवासी कौशल विकास योजना आरंभ करने की बात कही थी ताकि विदेशों में रोजगार तलाश कर रहे देश के युवाओं को अधिक कुशल बनाया जा सके। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों की मांग का ध्यान रखा जाएगा ताकि प्रशिक्षण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जा सके। इसके बाद प्रमाणित प्रशिक्षुओं को वहां भेजा जाएगा। फिलीपींस ने ऐसी ही नीति अपनाकर दुनिया भर में नर्सों की कमी को पहचाना और दूर किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में फिलीपींस में 29 अरब डॉलर की राशि बाहर से आई जबकि वैश्विक स्तर पर काफी मंदी बनी रही।

- देश में लक्षित प्रशिक्षण और विदेशों में उनके प्रभावी ढंग से उनकी नियुक्तियों को अंजाम देने से इन प्रवासियों को कमाने की अधिक ताकत मिलेगी और वे ज्यादा धन देश में वापस भेज पाएंगे।

इसके सामाजिक लाभ भी हैं।

- विदेशों में काम करने के बाद ये कुशल कामगार अच्छे कारोबारी व्यवहार के ज्ञान के साथ देश में आते हैं। उनके पास बढ़िया वैश्विक संपर्क होते हैं और वे अधिक फंड और सहयोग आकर्षित कर सकते हैं। इसका सटीक उदाहरण है प्रवासियों द्वारा सिलिकन वैली में प्राप्त अनुभव का बेंगलूरु के आईटी उद्योग में इस्तेमाल। देश की नई नीति विदेशी निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में हमारी छवि को मजबूत कर रही है। इस दौरान अनिवासी भारतीयों पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

भारत ने विदेशों में कार्यरत भारतीयों से खास अपील की है कि वे देश के आर्थिक विकास में योगदान दें। इसके लिए वे स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग कर सकते हैं और साथ ही घरेलू कारोबारों में निवेश भी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एक संयुक्त शोध सुविधा की शुरुआत करने जा रहा है जो अनिवासी भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकविदों को शोध कार्य में शामिल होने की सुविधा देगी। अगले 10 वर्ष की अवधि में विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन की मात्रा दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को एक ठोस नीति अपनानी पड़ेगी जिसमें सरकार और कारोबारी अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर काम करें। इसके अलावा कौशल विकास और शिक्षा का दायरा भी बढ़ाना होगा। देश के श्रमिकों को वैश्विक तैयारी से लैस करना आने वाले दिनों में देश में आने वाले धन में अल्पावधि में और अधिक इजाफा कर सकता है। वहीं इससे जो मानव संसाधन तैयार होगा वह लंबी अवधि में देश के लिए लाभदायक साबित होगा।

GENERAL STUDIES HINDI

4. संरक्षण विकास की गारंटी नहीं है

#Editorial_Hindustan_times

क्यों यह मुद्दा

आजकल भारतीय मीडिया और सरकारी हलकों में एक समूह-गान चल रहा है कि भारतीय ऑनलाइन कंपनियों को उबर और अमेजन जैसी अमेरिकी कंपनियों से बचाने की जरूरत है। इन दिनों राष्ट्रवाद एक ऐसा जरिया बन गया है, जिसके सहारे आप किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन नई दिल्ली में बैठे नीति-नियंताओं ने दूरदर्शिता दिखाते हुए फिलहाल ऐसे किसी तर्क-वितर्क में उलझने से अपने को दूर रखा है। कम से कम अब तक का उनका रुख तो यही बताता है।

- पिछले कुछ महीनों से संरक्षण की चाहत में कुछ तथाकथित भारतीय कंपनियां एक लॉबी समूह बनाने की कोशिश में लगी हैं। फ्लिपकार्ट और एएनआई टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां भी इनमें शामिल हैं।
- एक बहुराष्ट्रीय वेंचर कैपिटल फर्म के अधिकारी मुताबिक़ किस तरह एक शख्स को इस लॉबी समूह के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि उसके नाम या ऐसी किसी लॉबी समूह के बारे में कोई घोषणा सामने नहीं आई है। मगर फ्लिपकार्ट में निवेश करने वाली स्टीडव्यू कैपिटल के अधिकारी रवि मेहता बीते दिनों वेंचर कैपिटल व निजी इक्विटी फर्म, नीति-निर्धारकों व पत्रकारों के साथ मेल-मुलाकात करते दिखे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य संरक्षणवाद के पक्ष में एक माहौल बनाना था।

विश्व में सरक्षणवाद

पहली नजर में संरक्षण के पक्ष में गढ़े जा रहे तमाम तर्क प्रेरित करने वाले हैं। मसलन, चीन ने अमेरिकी ऑनलाइन कंपनियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया और अपना ऑनलाइन कारोबार खड़ा किया, भारत को भी ऐसा करना चाहिए। भारत में कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय अमेरिकी ऑनलाइन कंपनियां अपेक्षाकृत सस्ती कीमत पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और 'प्राइस वार' के बहाने भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। कीमतों का यह अवमूल्यन वजूद की लड़ाई लड़ रहे देसी इनोवेशन को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।

भारत में :

देखा जाए, तो अभी अमेरिकी ऑनलाइन कंपनियां और खासतौर से उबर व अमेजन ही निशाने पर हैं। अलीबाबा के अलावा भारत में किसी दूसरी चीनी ऑनलाइन कंपनी की सीधी मौजूदगी भी कहां है? वैसे अलीबाबा का भी फिलहाल कोई बड़ा कारोबार यहां नहीं दिखता। अलबत्ता एक अन्य चीनी ऑनलाइन कंपनी टेनसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में निवेश किया है, और कुछ दिनों पहले जीजी शूझिंग ने अपनी पूंजी ओला में लगाई है।

बहरहाल, संरक्षणवाद के पक्ष में जो तमाम तर्क गढ़े जा रहे हैं, वे इसकी 'परिभाषाओं' के मानक पर खरे उतरते नहीं दिखते। इन परिभाषाओं की चर्चा करने से पहले इनसे जुड़ी कुछ दूसरी जानकारियां भी ले लीजिए। अमेजन अमेरिका में सूचीबद्ध कंपनी है (फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी निवेशक टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की भी हिस्सेदारी अमेजन में है, हालांकि पिछले साल इसमें उल्लेखनीय रूप से कमी की गई है।) जबकि उबर एक क्लासिक स्टार्ट-अप जरूर है, मगर यह अब तक सूचीबद्ध नहीं है। वेंचर कैपिटल और कुछ खास पार्टनर (इसमें जिसकी पूंजी लगी है) इसे आर्थिक मजबूती देते हैं। इन पार्टनरों को निवेशक भी कह सकते हैं, क्योंकि वे वेंचर कैपिटल और निजी इक्विटी कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी

GENERAL STUDIES HINDI

में अपना योगदान देते हैं। मुमकिन है कि इनके पैसे ओला व फ्लिपकार्ट में भी लगे हों। उल्लेखनीय यह भी है कि ज्यादातर वेंचर कैपिटल विदेशों से पैसे जुटाती हैं। इसका सीधा अर्थ है कि भारतीय और अमेरिकी, दोनों स्टार्ट-अप में निवेश के लिए पूंजी की लागत लगभग एक समान है।

दरअसल, भारतीय कानूनों में किसी कंपनी की 'भारतीयता' की बहुत स्पष्ट परिभाषा तय है। यह पूरे देश में लागू है, यहां तक कि भारतीय व भारतीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित व स्वामित्व (सर्वाधिक शेयर) वाली इकाइयों पर भी। फ्लिपकार्ट तो इस परिभाषा पर खरी नहीं उतरती, संभव है कि ओला इस मानक को पूरा कर रही हो। इतना ही नहीं, ये चारों कंपनियां- अमेजन, उबर, ओला और फ्लिपकार्ट भारत में संचालन सेवा देने के कारण भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं, अमूमन भारतीय ग्राहकों को ही अपनी सेवा देती हैं और भारत के लघु कारोबारियों व उद्यमियों की मदद कर रही हैं। यहां उद्यमियों या कारोबारियों से आशय हर उस ड्राइवर से है, जिसकी अपनी कैब इसमें लगी है।

इसके साथ-साथ, सस्ती कीमतों पर सेवा देने को लेकर भी भारतीय कानून में स्पष्ट व्याख्या है। मगर यह मसला प्रतिस्पद्र्धा नीति के अंतर्गत आता है, जिसे '**अब्यूज ऑफ डॉमिनेंस**' यानी प्रभुत्व का बेजा इस्तेमाल करना भी कहते हैं। इस प्रावधान के अनुसार, बाजार में शीर्ष कंपनी ही लागत की अपेक्षा सस्ती कीमतों पर सेवा देने व प्रतिस्पद्र्धा को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराई जा सकती है। रिलायंस जियो इंफोकॉम की मूल्य नीति का मसला इसी वजह से भारतीय प्रतिस्पद्र्धा आयोग में नहीं टिक सका था। यह सही है कि इस कानून में बदलाव का वक्त आ गया है, लेकिन यह एक अलग मुद्दा है, जिस पर चर्चा फिर कभी। बहरहाल, आंकड़े यही गवाही देते हैं कि अमेजन के भारत आने के बहुत पहले फ्लिपकार्ट ने भी काफी ज्यादा छूट दे रही थी, और सभी चारों कंपनियां 'प्राइस कार्ड' खेलकर ही मौजूदा मुकाम तक पहुंच सकी हैं। ऐसे में, संरक्षणवाद की वकालत करने वालों का विलाप ठीक वैसा ही लगता है, जैसे स्कूल के मैदान में अपनी धौंस जमाने वाला कोई बच्चा वहां खुद से ज्यादा बलशाली को पाकर टीचर से मदद की गुहार लगाने लगे।

इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती कि हमारी हुकूमत को देसी इनोवेशन को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करना चाहिए। मगर यह प्रोत्साहन उन इनोवेशन्स को मिले, जो लघु उत्पाद व सेवा कंपनियों के रूप में काम कर रहे हैं; उन स्टार्ट अप को नहीं, जिनके पास पूंजी है और जो ऐसे आइडिया पर काम करते हैं, जो दूसरे बाजारों की सफल कंपनियों को देखकर (या यूं कहें कि चुराकर) तैयार किए गए हों। सच तो यह है कि अगर सरकार वाकई कुछ करना चाहती है, तो उसे उपभोक्ता के संरक्षण को लेकर काम करना चाहिए। उसे तमाम संबंधित कानूनों का पालन सुनिश्चित कराना चाहिए और यह भी कि सभी के लिए एक समान हालात या माहौल पैदा हो। फिर चाहे वह छोटी कंपनी हो या बड़ी, भारतीय हो या विदेशी। यदि ऐसा हो सका, तो यकीन मानिए, बाकी चीजें बाजार खुद-ब-खुद दुरुस्त कर लेगा।

5. भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग को चुनौतियाँ

#Business_Standard_Editorial

भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के लॉबी समूह नैसकॉम ने भले ही कहा हो कि देश का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हर वर्ष 1.50 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है लेकिन कुछ हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि इस क्षेत्र की कंपनियां अपनी कारोबारी संभावनाओं पर पुनर्विचार कर रही हैं और वे शुरुआती और मझोले स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी में हैं।

हाल ही खबरों में

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की लगभग सभी कंपनियों ने इस वर्ष कड़े प्रदर्शन मानक अपनाने की बात कही है। इन्फोसिस ने तो वेतन वृद्धि भी तीन महीनों के लिए टाल दी है। इस बीच इस क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाएं भी सीमित रहने की बात कही जा रही है। इस विषय में अमेरिका के नए प्रशासन को दोष देना एक आसान बचाव है।

- अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एच1बी अस्थायी वीजा कार्यक्रम को सख्त बनाने की इच्छा बहुत पहले जता दी है। इस बीच इन्फोसिस ने 10,000 और अमेरिकियों को रोजगार देने की इच्छा जताई है। ऐसा संभवत: बदली हुई नीतिगत परिस्थितियों को देखकर किया गया है।
- परंतु यह मामला यहीं सीमित नहीं है। इसके अलावा स्वचालन भी एक बड़ी चुनौती है। इन्फोसिस के मुख्य कार्याधिकारी विशाल सिक्का भारतीय आई टी कंपनियों के कारोबारी मॉडल को स्वचालन से पहुंचने वाले संभावित खतरे को लेकर खासे मुखर रहे हैं। उन्होंने अनुमान जताया है कि इंजीनियरों के आधे से लेकर तीन चौथाई तक रोजगार अगले एक दशक में समाप्त हो जाएंगे। ये काम कृत्रिम बुद्धिमता के हवाले हो जाएंगे।

चुनौती स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमता की

उस तरह देखा जाए तो भारतीय आईटी कंपनियों द्वारा शुरू की गई छंटनी बस एक शुरुआत है। यह मानने की कोई वजह नहीं है कि भारतीय आईटी उद्योग पर जोखिम मंडरा रहा है। यह चुनौती स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमता की ओर से आ रही है। इन बड़े तकनीकी बदलावों में संरक्षणवाद के नए वैश्विक रुझान को शामिल कर लिया जाए तो हालात और खराब नजर आते हैं। अमेरिका का एच1 बी वीजा संबंधी कदम इसकी एक बानगी भर है। शायद दुनिया भर में मझोले दर्जे का कौशल अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। संरक्षणवाद के बढने के साथ ही बाजार छोटे होते जाएंगे और प्रौद्योगिकी का विकास होता चला जाएगा। शारीरिक श्रम करने वालों की जगह रोबोट के लेने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ रही है। उनके नियोक्ताओं को विश्व बाजार में पहुंच बनाने में कड़ी मशक्कत

करनी होगी। वहीं बौद्धिक श्रम करने वाले भी बचे नहीं रहेंगे क्योंकि उनके काम का एक बड़ा हिस्सा कृत्रिम बौद्धिकता के हिस्से में जा सकता है।

क्या किया जाना चाहिए

इन रुझानों को देखते हुए कौशल, उत्पादकता और रोजगार और अधिक महत्त्वपूर्ण होते जाएंगे। भारत सरकार ने बहुत लंबे समय से इन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। रोजगार में इजाफा करने के लिए व्यापार और निवेश पर जोर देना समझ में आता है लेकिन अब वक्त आ गया है कि कौशल विकास और उत्पादकता में बढ़ोतरी को लेकर युद्घ स्तर पर काम किया जाए। आने वाले दिनों में स्वचालन और संरक्षणवाद के चलते नए भारत की नई पीढ़ी के कई लोग रोजगार पाने से वंचित रह जाएंगे। इससे बचने के लिए जरूरी है कि उनको उन्नत कौशल का प्रशिक्षण दिया जाए जो उन्हें समकालीन रोजगारों के लिए दक्ष बना सके। भविष्य में रोजगार तो रहेंगे ही बस उनकी प्रकृति बदल जाएगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश में ऐसी श्रम शक्ति तैयार की जाए जिसे इस सिलसिले में जरूरी प्रशिक्षण हासिल हो। इस सरकार के कार्यकाल के बचे हुए वक्त में उसे मानव पूंजी, कौशल विकास और उत्पादक वृद्घि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देश के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से उठी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

6. भारत और OBOR

In news:

भारत ने बेजिंग में हुए ओबीओआर शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। ओबीओआर यानी वन बेल्ट वन रोड चीन की एक अति महत्त्वाकांक्षी परियोजना है और इसी पर व्यापक सहमति बनाने के मकसद से उसने यह सम्मेलन आयोजित किया था। प्रस्तावित परियोजना कितनी विशाल है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि :

- दुनिया की आधी से अधिक आबादी, तीन चौथाई ऊर्जा-स्रोत और चालीस फीसद जीडीपी इसके दायरे में आएंगे।
- इस परियोजना के तहत सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों का ऐसा जाल बिछाया जाएगा जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच संपर्क और आवाजाही को आसान बना देंगे।
- तीनों महाद्वीपों के पैंसठ देशों को जोड़ने की इस महा परियोजना पर चीन 2013 से साठ अरब डॉलर खर्च कर चुका है और अगले पांच साल में इस पर छह सौ से आठ सौ अरब डॉलर निवेश करने की उसकी योजना है।
- चीन का मानना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा 'सिल्क रूट' होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्ती को तोड़ने का कारगर उपाय साबित होगा।

प्रस्तावित परियोजना के दायरे और संभावित असर ने स्वाभाविक ही दुनिया भर की दिलचस्पी इसमें जगाई है, जो कि बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव शिखर सम्मेलन में अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों समेत बहुत-से देशों के राजनीतिक नेताओं और प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी से भी जाहिर है। लेकिन अपने तय रुख के मुताबिक भारत ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया।

Objection of India

- दरअसल, भारत का एतराज सीपीईसी की वजह है। चीन सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर का निर्माण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कर रहा है, जिस भूभाग को भारत अपना हिस्सा मानता है। सीपीईसी ओआरओबी का हिस्सा है। इसलिए सीपीईसी से भारत के विरोध की परिणति ओआरओबी से अलग रहने के रूप में हुई है। जाहिर है, भारत का एतराज संप्रभुता से संबंधित है, न कि परियोजना के आर्थिक या व्यापारिक पक्ष को लेकर।
- उसने कुछ दूसरे सवाल भी उठाए हैं। मसलन, परियोजना के तहत दिए जाने ऋण की अदायगी आसान हो। क्या यह मुद्दा उठा कर भारत ने ओआरओबी के दायरे में आने वाले छोटे देशों तथा बलूचिस्तान की दुखती रग पर हाथ रखना चाहा है!
- गौरतलब है कि गिलगित-बल्तिस्तान के बहुत सारे लोग सीपीईसी को शक की नजर से देखते हैं; उन्हें लगता है कि सीपीईसी उनके लिए किसी दिन नई गुलामी का सबब बन जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में चीनी कंपनियों का दखल बढ़ता गया है और दूसरी तरफ चीन से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने की पाकिस्तान की मजबूरी भी बढ़ती गई है।

यही नियति ओआरओबी के दायरे में आने वाले अन्य छोटे देशों की भी हो सकती है। एक तरफ उनके बाजार चीन के सस्ते उत्पादों से पट जाएंगे, और दूसरी तरफ वहां की सरकारें चीन से महंगे ऋण लेने को विवश होंगी। लेकिन तब हो सकता है वहां का राजनीतिक नेतृत्व कुछ ढांचागत परियोजनाओं का हवाला देकर, चीन के आगे झुकते जाने की विवशता को भी विकास के रूप में पेश करे। ओआरओबी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना है और उनके सत्ता की कमान संभालने के कुछ समय बाद ही इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। पर चीन की महा तैयारी के बावजूद ओआरओबी की राह आसान नहीं होगी। कहीं दुर्गम इलाके आड़े आएंगे, तो कहीं दो देशों के बीच स्थायी रूप से बनी रहने वाली तकरार। कई देशों का चीन के प्रति संदेह-भाव भी बाधा बन सकता है। अमेरिका से चीन की प्रतिस्पर्धा और दक्षिण चीन सागर के विवाद का भी असर पड़ सकता है। लिहाजा, ओआरओबी के भविष्य को लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

7. आईसीजे का यह आदेश वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए था, लेकिन क्या पाकिस्तान इसे मानेगा?

GENERAL STUDIES HINDI

#Editorial_Asian age

In news:

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस) आईसीजे (ने अपने एक अंतरिम फैसले में कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है .यह फैसला बुनियादी रूप से तार्किक लगता है .साथ ही यह उन मानवीय मूल्यों का भी सम्मान करने वाला है जिन्हें राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए|

- 11 में से सभी जज इस पर एकराय थे कि यह मामला आईसीजे के अधिकारक्षेत्र में आता है क्योंकि यह जाधव को राजनयिक सहायता का अधिकार देने से जुड़ा है.

What was the matter:

कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी. हेग स्थित आईसीजे ने आदेश दिया है कि इस सजा की तामील पर फिलहाल रोक लगा दी जाए और पाकिस्तान सरकार उसे यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दे. अदालत को अभी इस मामले में आखिरी फैसला सुनाना है.

आईसीजे के इस आदेश से पाकिस्तान में काफी निराशा और असमंजस का माहौल है. आपसी आरोप-प्रत्यारोप भी लग रहे हैं. यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि दोष पाकिस्तानी सरकार पर मढ़ा जाएगा और सेना ऐसा होने देगी. हालांकि जाधव के मामले की सुनवाई के किसी चरण में पाकिस्तान सरकार की भूमिका नहीं रही. इस मामले को पाकिस्तानी सेना ने शुरुआत में ही अपने हाथ में ले लिया था ताकि वह अपनी राष्ट्रवादी छवि चमका सके.

GENERAL STUDIES HINDI

India's response to Pakistan

भारत ने अपने नागरिक कुलभूषण जाधव को अपने उच्चायोग तक पहुंच देने के लिए पाकिस्तान से 16 बार लिखित अनुरोध किया था. लेकिन पाकिस्तान ने यह ठुकरा दिया. जाधव को अपनी मर्जी का कोई वकील भी नहीं दिया गया. उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सार्वजनिक भी नहीं किए गए और न ही कई अनुरोधों के बावजूद भारत को इनके बारे में सूचित किया गया. पाकिस्तान का आरोप है कि कुलभूषण जाधव भारतीय जासूस हैं. अगर यह आरोप सच भी है तो यह भी उतना ही सच है कि जासूसों और आतंकियों के भी कुछ मानवाधिकार होते हैं.

देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक भारतीय नागरिक पर यह सुनवाई दुनिया को दिखाने के लिए की थी. कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी जिन परिस्थितियों में हुई वे संदिग्ध हैं (हालांकि पाकिस्तान भारत के तर्कों का विरोध करता है. उसका कहना है कि पूर्व नौसैनिक अधिकारी जाधव एक भारतीय जासूस हैं) और आईसीजे ने भी यह बात मानी.

Will Pakistan abide:

पर क्या पाकिस्तान इस आदेश को मानेगा? यह एक ऐसा देश है जहां कई मामलों में सरकार की भी नहीं चलती और जो नैतिकता के मामले में भी ढीला है. इसलिए हो सकता है कि यह इस आदेश से राहत पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास जाए और फिर से आईसीजे के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाए. यह भी उतना ही संभव है कि वहां चीन भी उसका समर्थन करे.

अगर ऐसा होता है तो आईसीजे के फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास अपने आदेश की तामील करवाने का कोई जरिया नहीं है, हालांकि उसने कहा है कि पाकिस्तान पर उसके आदेश का पालन करने की कानूनी जवाबदेही है. सबसे बुरा यह हो सकता है और जो बहुत दूर की संभावना भी नहीं है कि कानूनी प्रक्रियाओं की परवाह न करते हुए सेना अपने कैदी को सीधे-सीधे फांसी पर चढ़ा दे और बाद में कहे कि उसका कोई दोष नहीं है

8. शिक्षा अधिकार :क्या पर्याप्त सुविधाए उपलब्ध है ?

#Editorial_Jansatta

शिक्षा क्षेत्र की विडम्बना

यह विडंबना ही है कि एक ओर केंद्र व राज्य सरकारें शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्धता जता रही हैं वहीं शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की भारी कमी से शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज देश के तकरीबन सभी शिक्षण संस्थान शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो देश भर के एक हजार से ज्यादा केंद्रीय स्कूलों में बारह लाख से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन छात्रों की अनुपात में शिक्षकों की कमी है। यहां शिक्षकों के 10,285 पद रिक्त हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

- कमोबेश यही हालत देश के सभी राज्यों के शिक्षण संथानों की है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षकों की भारी कमी है। पिछले वर्ष ही मंत्रालय की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि देश में एक लाख से अधिक सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं।
- पिछले वर्ष जीके चड्ढा पे रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट से भी पता चला कि देश भर में 44.6 फीसद प्रोफेसरों के पद और 51 फीसद रीडरों के पद रिक्त हैं। इसी तरह व्याख्याता के 52 फीसद पद रिक्त हैं।
- एक आंकड़े के मुताबिक 48 से 68 फीसद शिक्षकों के सहारे पठन-पाठन चलाया जा रहा है। इस तरह देश तकरीबन चौदह लाख शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है।
- गौरतलब है कि देश में सरकारी, स्थानीय निकाय और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के पैंतालीस लाख पद हैं। लेकिन स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और

पश्चिम बंगाल समेत आठ राज्यों में ही शिक्षकों के नौ लाख से अधिक पद रिक्त हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में तीन लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है। पिछले माह सर्व शिक्षा अभियान की वास्तविक स्थिति जानने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आए ज्वाइंट रिव्यू मिशन के सामने यह खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश में 7429 परिषदीय स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं।

- **प्राथमिक विद्यालयों की हालत :**उत्तर प्रदेश के तकरीबन 47,483 अर्थात 42 प्रतिशत परिषदीय प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें छात्र-शिक्षक अनुपात 1:35 के मानक से अधिक है। मजेदार बात यह कि राज्य के विभिन्न स्कूलों में छात्र-संख्या के अनुपात में तकरीबन पैंसठ हजार से अधिक शिक्षक तैनात हैं और तकरीबन सात हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात मानक से अधिक है। राज्य के 87 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं। 'प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन' की सालाना रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश में पिछले दो साल के दरम्यान स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 4.9 से बढ़ कर 5.3 हो गया है। प्रदेश के केवल सैंतीस फीसद बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 16,12,285 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। यही हाल अन्य राज्यों का भी है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह भी है कि देश में उपलब्ध शिक्षकों में भी तकरीबन बीस फीसद शिक्षक योग्यता मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

क्या शिक्षक योग्यता रखते है ?

- एक आंकड़े के मुताबिक सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त शिक्षकों में छह लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। बिहार में 1.90 लाख और उत्तर प्रदेश में 1.24 लाख शिक्षक जरूरी योग्यता नहीं रखते।
- छत्तीसगढ़ में पैंतालीस हजार और मध्यप्रदेश में पैंतीस हजार अप्रशिक्षित शिक्षकों के भरोसे काम चलाया जा रहा है। इसी तरह की समस्या से झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम समेत अन्य राज्य भी जूझ रहे हैं। जबकि शिक्षा अधिकार कानून में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर स्कूली छात्र को प्रशिक्षित शिक्षकों से पढ़ाए जाने का प्रावधान है। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध शिक्षक भी अपने उत्तरदायित्वों का समुचित निर्वाह नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों के शिक्षण संस्थानों से गायब रहने की खबरें आए दिन आती रहती हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में वर्ष 2006-07 में प्राइमरी स्कूलों में 81.07 फीसद और 2012-13 में 84.3 फीसद ही शिक्षक उपस्थित मिले, यानी पंद्रह से बीस फीसद गायब थे। इसका असर पढ़ाई पर दिखेगा ही।

शिक्षा के outcome

- अन्य कई रिपोर्टों से भी उजागर हो चुका है कि देश के तिरपन फीसद से अधिक बच्चे दो अंक वाले घटाने के सवाल हल करने में सक्षम नहीं हैं। आधे से अधिक बच्चे गणित में बेहद कमजोर हैं। पांचवीं के अस्सी फीसद छात्र दूसरी कक्षा के पाठ सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। आठवीं के बच्चे जोड़-घटाना और भाग तक नहीं जानते।
- संयुक्त राष्ट्र की एजुकेशनल फॉर आॅल ग्लोबल मॉनिटरिंग 2013-14 की एक रिपोर्ट में भारत में शिक्षा की बदहाली के कई कारण गिनाए गए हैं लेकिन शिक्षा पर होने वाले खर्च में भारी असमानता को सर्वाधिक प्रमुख कारण माना गया है। उदाहरण के तौर पर, केरल में प्रतिव्यक्ति शिक्षा पर खर्च लगभग बयालीस हजार रुपए है, जबकि बिहार समेत कई राज्यों मे यह छह हजार रुपए या इससे भी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गरीबी के कारण सत्तर फीसद और मध्यप्रदेश में पचासी फीसद गरीब बच्चे पांचवीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं।
- चिंताजनक तथ्य यह भी कि देश में शिक्षा अधिकार कानून तथा सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के बावजूद लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा की परिधि से बाहर हैं। वर्ष 2014 में कराए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार छह से चौदह साल के आयु वर्ग में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 60.64 लाख थी। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि भारत 2030 तक सबको शिक्षा देने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हालात इसी तरह बने रहे तो सबको प्राथमिक शिक्षा 2050 तक, सेकेंडरी शिक्षा 2060 तक और अपर सेकेंडरी शिक्षा 2085 से पहले मिलना कठिन है।

गौरतलब है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने के संकल्प पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अब ये लक्ष्य काफी दूर दिखने लगे हैं। आज देश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या 1.11 करोड़ है जो दुनिया में सर्वाधिक है। इसी तरह अपर सेकंडरी शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों की तादाद 4.68 करोड़ है। यह स्थिति तब है जब देश में शिक्षा अधिकार कानून लागू है और सर्व शिक्षा अभियान पर अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोलह फीसद बच्चे बीच में ही प्राथमिक शिक्षा और बत्तीस फीसद बच्चे जूनियर हाईस्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तकनीकी शिक्षण संस्थानों का हाल भी बेहद चिंताजनक है। हर वर्ष साठ हजार भारतीय छात्र इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। एक वक्त था जब इंजीनियर बनने का सपना देखने वाला हर छात्र यही चाहता था कि उसे इंडियन इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी यानी आइआइटी में दाखिला मिले। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में युवाओं की सोच में बदलाव आया है और उनकी नजर में अब आइआइटी को लेकर पहले जैसा आकर्षण नहीं है।

इसके लिए संस्थानों में शिक्षकों का अभाव और संसाधनों की भारी कमी मुख्य रूप से जिम्मेवार है। पिछले दिनों उद्योग संगठन एसोचैम की तरफ से कराए गए एक अध्ययन में

कहा गया कि शिक्षा में सुधार की रफ्तार अगर ऐसी ही रही तो भारत को विकसित देशों की तरह अपनी शिक्षा के स्तर को शीर्ष पर ले जाने में एक सौ छब्बीस साल का समय लगेगा। उसने अपने सुझाव में यह भी कहा है कि शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की जरूरत है और शिक्षा बजट जीडीपी का छह फीसद किया जाना आवश्यक है।

MISCELLANEOUS

1. मोबाइल टावर विकिरण की माप बताएगा तरंग संचार पोर्टल

- दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टावर से निकलने वाले विकिरण का पता लगा के लिए 'तरंग संचार' पोर्टल बनाया है
- यह पोर्टल मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगों के बारे में व्याप्त मिथ्या धारणाओं को तोड़ने का काम करेगा।
- यह ग्राहकों को एक माउस के क्लिक पर किसी क्षेत्र में कार्यरत तमाम टावरों के बारे में जानकारी देगा। यह बताएगा कि किसी खास टावर से निकलने वाली तरंगें सरकार की ओर से तय मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।

Background

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ही ग्वालियर के एक 42 वर्षीय मरीज की मांग पर उसके इलाके से मोबाइल टावर हटाने का आदेश दिया था। मरीज का दावा था कि इस टावर से निकलने वाली घातक तरंगों के कारण ही उसे कैंसर हुआ है। कोर्ट के इस आदेश के बाद मोबाइल टावरों से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को लेकर जारी बहस नए सिरे से तेज हो गई थी। सरकार का कहना है कि भारतीय मोबाइल टावर सुरक्षित हैं

GENERAL STUDIES HINDI

2. दक्षिण एशिया उपग्रह जीसैट-9

दक्षिण एशिया उपग्रह 'जीसैट-9' के सफल लॉन्च के साथ भारत ने अंतरिक्ष कूटनीति की दिशा में कदम बढ़ा दिया है| इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया. इसके लॉन्च में 49 मीटर लंबे और 450 टन वजनी जीएसएलवी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया. इस उपग्रह को बनाने से लेकर लॉन्च तक कुल 450 करोड़ रुपये का खर्च आया है, जिसे भारत ने उठाया है.

Who will share the data from this satellite

भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों को दिए गए इस तोहफे से संचार सुविधाएं मजबूत होंगी. इसके अलावा आपदा राहत के कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके आंकड़े नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ साझा

किए जाएंगे. पाकिस्तान ने इस सैटेलाइट से कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया था. उसका तर्क है कि इन कामों के लिए उसका अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम है.

Background:

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के आठ सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के पास अपने उपग्रह हैं, जबकि अन्य के पास अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं है. भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जहां स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है, वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका ने चीन की मदद के अपने-अपने उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं. अफगानिस्तान के पास यूरोपीय स्पेस एजेंसी से खरीदा गया एक संचार उपग्रह है. नेपाल और बांग्लादेश के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन वे इसे हासिल करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहे हैं.

GENERAL STUDIES HINDI